खण्ड-177, अंक-5
शुक्रवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(31 अगस्त, 1956 ई0)

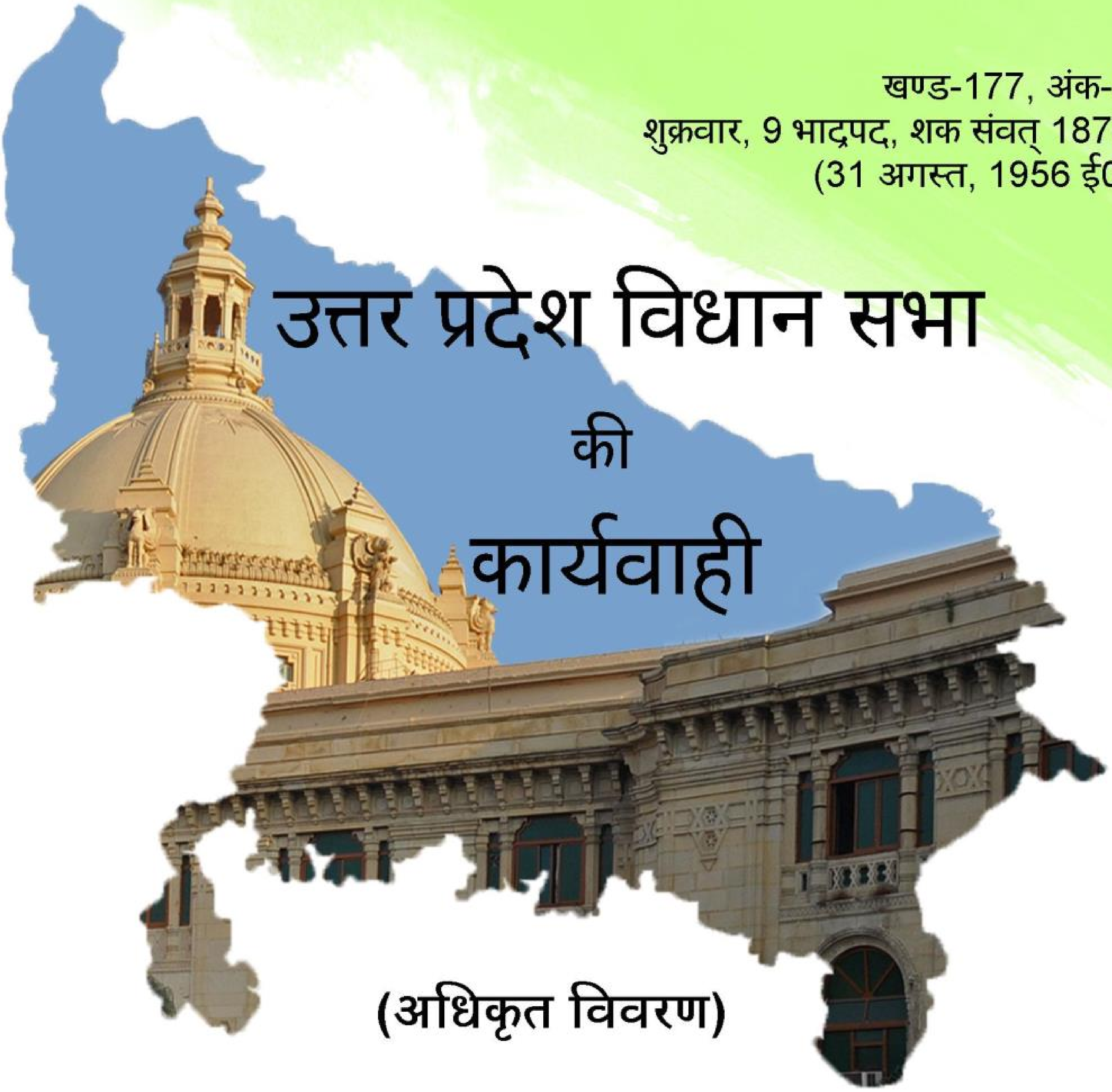

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 177 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२११)

अंसमानसिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐज़ाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री

नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान सहाय, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा जिले में हरिजनों के लिए निर्मित कूप

*२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में हरिजनों के पानी पीने के कितने कुयें सन् १९५२ की अप्रैल से अब तक बनवाये गये हैं? इनमें से किस-किस तहसील में कितने हैं?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---हरिजन सहायक विभाग की ओर से आगरा जिले में कथित समय में हरिजनों के लिये ५६ नये कुयें तथा ६ कुयें, जिनका जीर्णोद्धार किया गया, बनवाये गये। इनकी सूची निम्नलिखित है---

तहसील		नये	पुराने
आगरा	..	१२	..
बाह	..	२	..
फतेहाबाद	..	६	..
फिरोजाबाद	..	८	..
खेरागढ़	..	१०	३
किरावली	..	९	१
एतमादपुर	..	९	२
योग	..	५६	६

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा तहसील में १२ और बाह तहसील में सिर्फ २ कुयें बनवाने का क्या कारण था ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इसके लिये जितनी दरख्वास्तें होती हैं वह जिला नियोजन कमेटी के सामने पेश की जाती हैं और उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं कि एक आंशिक खर्च कुयें के दरख्वास्त कुनिंदा को देना पड़ता है और कोई विशेष स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आंशिक खर्च जो दरख्वास्त कुनिंदा को देना पड़ता उसे माफ भी कर सकता है। तो जितनी दरख्वास्तें आयी होंगी उसी के अनुसार यह वितरण हुआ होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष में १९५६-५७ में हरिजन सहायक विभाग की ओर से हरिजनों के पानी-पीने के लिये कितने कुयें आगरा जिले में बनवाने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष---यह नया प्रश्न है, अगर आप तैयार हों तो जवाब दे दें।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह जिलेवार कुंओं की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन इतना काफी धन रखा गया है कि काफी कुयें उससे बन सकते हैं और मैं समझता हूं कि जितनी दरख्वास्तें पड़ेंगी उसमें उनकी पूर्ति हो सकेगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला प्लानिंग कमेटी ने किस आधार पर बाह में और आगरा में इतने कमोबेश कुएं बनवाये ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो जैसा मैंने आपको बताया कि निश्चित नहीं हुआ है और सम्भव है कि वहां की जितनी ही दरख्वास्तें आयी हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन सहायक विभाग से जो रुपया दिया जाता है उसमें से आगरा को कितना रुपया दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---इस कथित साल के भीतर ३३,८७५ रुपया, ५ आना हरिजन सहायक विभाग से दिया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि जो इम्दाद कुओं के लिये आती है और जो इम्दाद उनको दी जाती है उसका आखिरी फैसला यहां गवर्नमेंट में होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वहीं कमेटी में होता है। जितने रुपये की आवश्यकता होती है उसके लिये वे सरकार को लिखते हैं और हरिजन सहायक विभाग से वह रुपया दिया जाता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या इन कमेटियों के काम की देख-रेख सरकार की तरफ से होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, यह प्लानिंग आफीसर करते हैं। निकट भविष्य में हरिजन सहायक आफीसर की नियुक्ति हो रही है और इस तरह से जो कुयें बने हैं और बनेंगे उनकी देखरेख में बनेंगे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या यह सही है कि जिला नियोजन समिति के अतिरिक्त हरिजन सहायक बोर्ड भी हरिजनों को कुओं के निर्माण के लिये सहायता देता है ?

डाक्टर सीताराम---हरिजन सहायक सब कमेटी सब आवेदन-पत्रों को रिकमेंड करके जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है तब यह ग्रांट फाइनल स्वीकार की जाती है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सरकारी स्कालरशिप्स

*३---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा सहायतार्थ तथा योग्यता के आधार पर दिये गये स्कालरशिप्स की लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी संख्या है तथा इन पर इस वर्ष कुल कितना रुपया एकेडेमिक ईयर १९५५-५६ में खर्च किया गया ?

*४---क्या सरकार बतायेगी कि स्कालरशिप्स निश्चित करके देने वालों के नाम की कब किस तारीख को घोषणा की गई ?

*५---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस एकेडेमिक ईयर में पहिली किस्त विद्यार्थियों को स्कालरशिप्स की कब दी गई ?

डाक्टर सीताराम---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री भगवान सहाय---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपके दफ्तर से ३-८-५६ को यह प्रश्न भेजे गये थे जिसको १ माह २८ दिन हो गये। इस पर भी यह जवाब सरकार की ओर से दिया जाना आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं हुआ, यह तो राय का सवाल है।

श्री भगवान सहाय---मैं आपसे प्रोटेस्ट करता हूं कि आप सरकार को तंबीह करें।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह आंकड़े कब तक इकट्ठा हो जायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अध्यक्ष महोदय, यह सूचना हमारे यहां नहीं होती। बर्सरीज का जितना रुपया होता है वह यूनिवर्सिटीज को दे दिया जाता है। यूनिवर्सिटी उसका वितरण करती है उस आधार पर जो बर्सरीज के वितरण के लिये निर्धारित किया जाता है। इसलिये आप समझ सकते हैं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आंकड़े मांग ही तो सकता हूं। उनसे पूछताछ हो रही है, जब वे उत्तर देंगे तभी उत्तर दिया जा सकता है। मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं विश्वविद्यालय को मजबूर करूं कि वह शीघ्र उत्तर दे दें।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बतायेगी कि इस सवाल के ऐडमिट होने के बाद सरकार ने कट यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा और उनके उत्तर न आने पर कोई रिमाइन्डर दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---खत भी लिखा गया और कई रिमाइन्डर भी दिये गये। जहां तक बर्सरीज का सवाल है उनको हम बन्द इसलिये नहीं कर सकते कि उनका असर लड़कों पर पड़ता है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को पहला इंस्टालमेंट कब दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---करीब-करीब अगस्त सितम्बर में उनको बतला दिया जाता है कि इतना रुपया बर्सरीज का आपको मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कुल कितना रुपया प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत लखनऊ यूनिवर्सिटी को स्कालरशिप बांटने के लिये दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---सूचना की आवश्यकता है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का इल्म है कि विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप दिया गया उसका पहला इंस्टालमेंट जनवरी माह में दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

*६-८---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[हटा दिये गये।]

नैनीताल जिले के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को इंक्रीमेंट के एरियर्स का न मिलना

*९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सरकार द्वारा स्वीकृत इंक्रीमेंट के एरियर्स का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---इस विषय पर राजाज्ञा, जिसमें समस्त जिला परिषदों को प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के इंक्रीमेंट के एरियर के भुगतान के हेतु अनुमानित पूर्ण व्यय का ५० प्रतिशत अनुदान रूप में दिया जा रहा है, प्रसारित की जा रही है। शेष धन परिषदों से अध्यापकों की कुल संख्या तथा वास्तविक पूर्ण व्यय की सूचना प्राप्ति कर दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह राजाज्ञा किस तारीख से प्रसारित की गयी ?

डाक्टर सीताराम---६ अगस्त, सन् ५६ को की गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो एरियर्स प्राइमरी अध्यापकों को मिलेंगे वह किस तारीख से माने जायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जब से उन्होंने अपने यहां मैंडेटरी स्केल्स लागू किये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह उन्होंने कब से लागू किये ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह एक हर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलग-अलग हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या यह सहायता प्रत्येक जिले को दी गयी है ? अध्यापकों को बकाया मिल जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, करीब-करीब।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन एरियर्स के पेमेंट में यू० पी० सरकार का कितना खर्च होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--३१-३२ लाख रुपया रखा गया है। अभी एडहाक बेसिस पर दे दिया गया है। आंकड़े मांगे गये हैं उनके आने पर शेष रुपया दे दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार इस तरह का कोई आदेश देने की कृपा करेगी कि एरियर्स का पेमेंट उस तारीख से हो जिससे यू० पी० अध्यापक मंडल ने मांग की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--आदेश तो चले गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इंक्रीमेंट की दर क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंडेटरी स्केल्स में इंक्रीमेंट की दर दी हुई है।

*१०--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*११-१२--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--[७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८--श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०-२१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२६--श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हरिजन छात्रों को सहायता दिलाने के लिए समिति

*२७--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता किस कमेटी की सिफारिश पर दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता जिला हरिजन सहायक उप-समिति के परामर्श से दी जाती हैं।

*२८-२९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[२ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३०-३२—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३३-३५—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

विदेशी शासकों की मूर्तियों को संग्रहालयों में रखने की योजना

*३६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में स्थापित अंग्रेजी अधिकारी पुरुषों के पुतलों को हटा कर संग्रहालयों में सुरक्षित रखने के लिये प्रदेशीय सरकार से अनुरोध किया है? यदि हां, तो कब?

डाक्टर सीताराम—जी हां, मई सन् १९५६ ई० में।

*३७—श्री रामदुलारे मिश्र—उपर्युक्त अंग्रेजी अधिकारी पुरुषों के पुतले क्या संबंधित स्थानों से हटाकर संग्रहालयों में भेज दिये गये? यदि हां, तो किन किन स्थानों से उपर्युक्त पुतले अभी तक हटाये गये? यदि नहीं, तो अभी तक न हटाये जाने में क्या कठिनाई है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, इन पुतलों को सुरक्षित रखने के लिये भवन बनाने का निर्णय लिया गया जो अभी तक नहीं बने हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस संबंध में क्या आदेश दिये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस संबंध में भारत सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती, सुझाव देती है। जो सुझाव दिया है वह यह है कि भवन बना कर सुरक्षित स्थानों में उनको रख दिया जाय।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार के उपरोक्त अनुरोध की महत्ता को ध्यान में रखते हुये ऐतिहासिक स्थानों के पुतलों को भी अतिशीघ्र संग्रहालयों में भेजने की व्यवस्था पर विचार करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो उत्तर दे दिया गया है, भवन के बन जाने पर ही वे रखे जायेंगे, आसमान पर तो वे रक्खे नहीं जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इन पुतलों को शाब्दिक परिभाषा में मूर्तियों को भी शामिल करती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है उसकी इनकी परिभाषा में मूर्तियां तो आ ही जायेंगी।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये संग्रहालय कब तक बन जायेंगे और कब ये पुतले हटाने शुरू किये जायेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई तारीख तो नहीं बतला सकता हूं इसके लिये।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस भवन निर्माण पर कब विचार हुआ था?

डाक्टर सीताराम—यह हाल ही में विचार किया गया है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस भवन निर्माण के लिये कुल कितना रुपया बजट में सरकार के पास है?

डाक्टर सीताराम--करीब ९ लाख रुपया इसके लिये है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये भवन जो संग्रहालय बन रहे हैं वे कहां कहां बन रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह सभी अभी तो विचाराधीन होगा। जहां जैसी जरूरत होगी बनेगा, लेकिन शायद बाराबंकी और गाजीपुर में नहीं बनेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां, अंग्रेजों के पुतले या मूर्तियों और उनसे संबंधित जो बहुत से स्थल रेजिडेंसी आदि की तरह से हैं उनके संबंध में प्रादेशिक सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह सब विचाराधीन है।

*३८--**श्री गौरीराम** (जिला गोरखपुर)--[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९--**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--[२१ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में हरिजन छात्रों को दिया गया वजीफा

*४०--**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ के बजीफे में से कितना रुपया जौनपुर जिले से वापस किया गया जो हरिजन छात्रों के सहायतार्थ भेजा गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई रुपया वापस नहीं किया गया।

भारतीय विद्याभवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'रेलीजस लीडर्स' पुस्तक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है:--

"मैं निश्चित और सार्वजनिक आपत्ति महत्व के विषय पर निम्नलिखित कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं :--

प्रदेश के उर्दू पत्रों में भारतीय विद्या भवन बम्बई से प्रकाशित "रेलिजस लीडर्स" नाम की पुस्तक में विशेष कर पृष्ठ ८९,९१ और १०० में हजरत मुहम्मद और उनकी दो पत्नियों के चरित्र और जीवन के संबंध में लिखी गयी अश्लील और अपमानजनक बातों के जो कुछ उद्धरण प्रकाशित हुये उन्हें पढ़ कर प्रदेश की सर्व धर्म समान भाव रखने वाली सभी समझदार जनता में आमतौर पर तथा मुसलमानों में खासतौर पर जो नाराजगी फैल रही है, उससे पैदा हुई प्रदेश की शांति और व्यवस्था के लिये विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन का कार्य-स्थगन किया जाय"

इसके साथ साथ माननीय पालीवाल जी ने मुझे जो पत्र लिखा उसमें आखिर में उन्होंने लिखा है कि पुस्तक का उद्धरण देकर मैं उन अश्लील और आपत्तिजनक अंशों को आवश्यकता से अधिक प्रसारित नहीं करना चाहता हूं, इसलिये मैंने वह उद्धरण नहीं दिया है।

मैंने इसके ऊपर काफी गौर से विचार किया। यह कामरोको प्रस्ताव एक ऐसे विषय से संबंधित है कि जो एक नया विषय मालूम होता है बिल्कुल ही। जिस बात को कि माननीय सदस्य स्वयं ही ज्यादा शोहरत नहीं देना चाहते, इसलिये कि वह गन्दी चीज है और जिसको वह गन्दी चीज समझते हैं उस गन्दी बात को वह चाहते हैं कि सदन के सामने उपस्थित कर दी जाय और

[श्री अध्यक्ष]

उसके ऊपर वादविवाद हो, उसकी शोहरत ज्यादा हो यह विचित्र कल्पना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि सदन में जो चीज वादविवाद के लिये आती है उसकी तो सबसे अधिक शोहरत होती है। इस आदरणीय सदन का यही महत्व है और यही प्रतिष्ठा है। मैं तो इस विषय में बहुत असमंजस में पड़ा कि कैसे ऐसे विषय पर बहस हो सकती है? क्योंकि यह विषय अगर प्रत्यक्ष विवाद में सामने आता है तो वह काफी गन्दा है जिस पर चर्चा हो सकती है। माननीय सदस्य के प्रस्ताव में विषय निश्चित नहीं दिखाई देता। वह चाहते हैं कि पुस्तक की बात पर तो चर्चा न हो और उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति पर विचार किया जाय। साथ ही इसमें उन्होंने संबंधित किताबों का भी जिक्र किया है और अखबारों में जो उस विषय में जिक्र आया है वह भी किया है। मैं समझता हूं ऐसी अवस्था में यह विषय अनिश्चित ही रह जाता है और यह ऐसा विषय नहीं है कि जिसके ऊपर कोई कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करके वादविवाद किया जा सकता हो। इसलिये मैं इसकी इजाजत उनको नहीं देता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा तो मान्य है ही, लेकिन मेरा यह निवेदन अवश्य है कि वह विषय किस तरह से अनिश्चित है। मेरे यह कहने से कि मैं उसको आवश्यकता से अधिक प्रसारित नहीं करना चाहता। यदि आप मुझे पहले से कुछ निवेदन करने का अवसर दे देते तो संभवतः आपको अपना निर्णय करने में अधिक सुविधा और सहायता मिलती।

श्री अध्यक्ष---मैंने आप के पत्र को भी पूरे तौर से पढ़ा और कामरोको प्रस्ताव भी पढ़ा। उनको देखने के उपरान्त, दोनों को पढ़ने के बाद, मैंने यह राय कायम की कि यह कोई निश्चित विषय नहीं बनता। उसमें अखबारों और किताबों आदि की बातें थीं। तो निश्चितता के विषय में तो उसे मैंने अनिश्चित होने का निर्णय दे दिया जिसके ऊपर अब आप कुछ कह नहीं सकते। दूसरे आप बहस की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं जिसमें वह गन्दी बातें सदन में न कही जा सकें। इसकी तरकीब के विषय में आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। इस आदरणीय सदन में जब भी यह विषय उत्पन्न होगा तो आप अपने ऊपर तो सीमा कायम कर सकते हैं और दो एक आदमी भी आपका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सभी लोग सीमा कायम रख सकेंगे। ऐसी अवस्था में मैं इस विषय में यहां पर ज्यादा जानकारी हासिल करना नहीं चाहता। अगर किसी बात के बारे में इस विषय में मुझसे आप और चर्चा करना चाहें तो आप मेरे कमरे में आकर कर लें, लेकिन यहां पर इस पर अब और चर्चा नहीं उठाई जा सकती।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---जनाब स्पीकर साहब, यह एडजर्नमेंट मोशन तो बाद में आया, मैंने उससे पहले ही अपनी तहरीर भेज दी थी। मैं तो ऐसी राय की कद्र करता हूं जिसका कि आपने अभी इजहार फर्माया कि ऐसी गन्दी और नापाक चीजों को बार-बार न दोहराया जाय तो बेहतर है और इस चीज का अगर प्रोपेगेंडा किया जाय तो वह कितनी गंदी और गैरमोहज्जब चीज है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हाउस को जब तक कि कानूनी राय सरकार को नहीं मिलती है तब तक इतना मौका तो दे दिया जाय। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि एडजर्नमेंट मोशन पर बहस न हो लेकिन इतना मौका दे दें कि थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाय ताकि हाउस के मेम्बरों को मालूम हो जाय। अभी तक इतनी तादाद में इतनी संख्या में हमारे पास किताबें नहीं आयीं.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मैं आपको और आगे बढ़ाने की इजाजत न दूं। आप कृपा करके बैठ जायें। मैं समझता हूं कि आपने जो पत्र लिखा था उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में दे दिया कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। उन्हें जब वह सलाह प्राप्त होगी तो उन्हें उस कानूनी सलाह का नतीजा क्या होगा उसे सदन में बतलाना चीज समझते हैं उस गन्दी बात को वह चाहते हैं कि सदन के सामने उपस्थित कर दी जाय और

कर्ज हो जायगा। उस वक्त मैं समझता हूं कि आप इस तरह का सवाल उनसे कर सकते हैं लेकिन जब तक वह कानूनी सलाह सदन में न आये, तब तक बार-बार इसी बात के जिक्र करने की जिसको कि आप खुद गन्दा समझते हैं, मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—अगर आप इजाजत दे दें तो शायद माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कोई स्टेटमेंट दे सकें। ये उनको आप मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं उन्हें कानूनी राय हासिल होने के बाद जिस रोज वह मुझे इसकी सूचना दे देंगे उनको इजाजत दे दूंगा कि वह राय सदन में बता दें। तब आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता था·····

श्री अध्यक्ष—आप अब इस विषय में और कुछ कहने की चेष्टा न करें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मैं मालूम करना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री कब तक इसका जवाब देंगे?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, वह किताब भेज दी गई है लीगल एडवाइजर के पास। मैं ठीक तो नहीं कह सकता, वैसे मैं जरूर चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमें सलाह मिल जाय। तारीख नियत करना बहुत मुश्किल है। जो कुछ मुकदमें इस संबंध में होंगे, सारी नजीर वगैरह देखकर ही कुछ राय वह दे सकेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह जो लीगल एडवाइजर्स से सलाह लेने की बात है, मेरा निवेदन इतना था कि लीगल एडवाइजर से सलाह जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करने की कोशिश की जाय। जो भावना मैंने यहां व्यक्त की उसका अधिक प्रसार न हो—जितनी देर लगेगी उतना प्रसार उसका होगा। पत्रों में वह छप रही है और आन्दोलन हो रहा है। उस प्रसार को रोकना आवश्यक है। लीगल एडवाइजर से सलाह लेकर जल्दी से जल्दी ऐक्शन लिया जाय यही मुझे निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसकी इजाजत आपको तो दे ही दी। मैंने और लोगों को तो रोका लेकिन आपको नहीं रोका।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—गालिबन आज जुम्मे का दिन है। आज असेम्बली होकर बन्द हो जायगी। दो रोज का मौका और मिलेगा। माननीय वजीर आजम स्पेशल आर्डर दे देते ताकि कल तक वह राय आ जाती। वैसे यह खुली हुई चीज है ताकि देर की नौबत न आये और मुखालफीन को बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करने का मौका न मिले।

श्री अध्यक्ष—आप इस बारे में उन्हें सुझाव देना चाहें तो उनके कमरे में जाकर दे दीजिये। ऐसे कई सुझाव आ सकते हैं। मैं यहां उन्हें देने की इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपा करके बैठिये।

हरदोई जिले में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री शारदाबख्श सिंह का आया है मेरे पास जो इस प्रकार है:—

उत्तर प्रदेश हरदोई जिले में विशेषकर परगना कटियारी सांडी व कछन्दऊ में भयंकर बाढ़ से अपार क्षति पहुंची है। २५ अगस्त से प्रारम्भ होकर आज तक के सैलाब से धन तथा फसल की महान हानि हुई है। मैंने स्वयं वहां पीड़ित जनता की दयनीय दशा देखी है। वहां के लोग दैनिक आवश्यकताओं के अभाव से अत्यन्त दुखी हैं और सरकार द्वारा वहां के पीड़ित निवासियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है।

[श्री अध्यक्ष]

इस संबंध में सरकार की असफलता से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में काफी यहां बातचीत हो चुकी है और उस दिन यह निवेदन किया गया था कि यदि किसी जगह पर कोई दिक्कत किन्हीं माननीय सदस्य के अनुभव में आयी हो तो वह मेरे पास या माननीय माल मंत्री के पास लिख कर भेज दें। मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है कि अपने इस काम रोको प्रस्ताव के भेजने के पहले माननीय सदस्य ने इस हमारे अनुरोध का कुछ लिहाज किया। और मेरे पास तो कम से कम कुछ लिख कर भेजा नहीं। मैं नहीं कह सकता कि माननीय माल मंत्री के पास भेजा या नहीं। इसलिये इस वक्त में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वाकई ऐसी दिक्कत है तो वहां के अधिकारियों ने ख्याल किया होगा और अब भी सुझाव भेजें तो जरूर ख्याल करेंगे और कोशिश करेंगे उसको दूर करने की।

श्री अध्यक्ष---तो ऐसी हालत में मैं इसे सोमवार को लूंगा जब माल मंत्री मौजूद होंगे। क्योंकि इसमें माननीय सदस्य ने "सरकार की असफलता" का जिक्र किया है। इसलिये उस दिन माननीय सदस्य मुझे यह भी बतायेंगे कि सरकार को उन्होंने क्या क्या बातें इस विषय में पहले लिखी हैं और उस दिन सरकार की तरफ से भी क्या किया गया, यह भी मालूम हो सकेगा। इसलिये मैं सोमवार को इसको लूंगा।

उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबंध विधेयक, १९५६ के विषय में प्राप्त मतों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मुझे एक सूचना आदरणीय सदन को देनी है। उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध विधेयक, १९५६ को १८ अप्रैल तक जनमत संग्रह के लिये घुमाया गया था। इस सम्बन्ध में जो मत प्राप्त हुए हैं उनकी मूल प्रतियां सचिव की मेज पर रखी हैं। जो माननीय सदस्य देखना चाहें उन्हें देख सकते हैं। उन मतों का संक्षिप्त विवरण भी छपवा लिया है जो माननीय सदस्यों की मेज पर रख दिया जायगा। इस सम्बन्ध में आगे जो कार्यवाही होगी उसकी सूचना भी बाद में दी जायगी।

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६०-३७० पर)

उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७१-३७४ पर)

*उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

†खण्ड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा।

---

*२१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†३० अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

माननीय जयराम वर्मा जी को जवाब देना था। वह हैं नहीं।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी इस संशोधन का विरोध किया था और मैंने उसके स्थान पर यह सुझाव रखा था कि गवर्नमेंट को विज्ञप्ति के द्वारा समय समय पर इस अवधि को १ वर्ष के लिये ही बढ़ाने का अधिकार होगा, या बढ़ा सकती है। तो यह जो सुझाव श्री जयराम वर्मा जी का था कि दो साल तक दो दफा एक, एक साल के लिये वह बढ़ा सकते हैं, मैंने इसकी मुखालिफत की थी और अब भी इसके खिलाफ हूं। केवल एक साल के लिये ही अवधि बढ़ायी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध की पंक्ति २ व ३ निम्न प्रकार से रख दी जायं —

"समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सकेगी जो एक बार में १ वर्ष से और कुल बढ़ी हुई अवधि २ वर्ष से अधिक किसी भी दशा में न होगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८ और ९

८—यदि कोई सदस्य अपनी अशक्तता (infirmity) के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें उसकी नियुक्ति की रिक्ति अन्तर्गस्त न हो, छुट्टी के कारण या अन्य किसी प्रकार से अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति काल में उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। किसी सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति।

९—बोर्ड की बैठकें ऐसे समय में तथा ऐसे स्थानों पर होंगी और वह अपनी बैठकों में कार्य-संपादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया विषयक ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं। बोर्ड की बैठक।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ९—क

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड ९ के बाद एक नया खंड ९—क निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय —

"९—क—बोर्ड की बैठकें साल में ६ बार अवश्य हुआ करेंगी और जो सदस्य लगातार ३ बैठकों में सम्मिलित न होंगे उनके स्थान को रिक्त समझा जायगा।"

मान्यवर, मैंने बड़े ध्यान से इस विधेयक के इस खंड को और पूरे विधेयक को पढ़ा है। पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेम्बर के डिस्क्वालीफिकेशन के सम्बन्ध में यह विधेयक चुप है। यह सही है कि इस विधेयक के इस खंड में जिस पर हम इस वक्त विचार कर रहे हैं यह माना गया है कि नियमों में हो सकता है कि इसकी व्यवस्था की जाय, किन्तु श्रीमन, बोर्ड के मेम्बर के डिस्क्वा-

[श्री रामेश्वर लाल]

लीफिकेशन के सम्बन्ध में जितने भी ऐसे बोर्ड बने हैं उसमें धारायें स्पष्ट रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से श्रीमन्, आपके द्वारा एकाध प्रश्न पूछना चाहता हूं इसलिये कि मेरी शंकाओं का स्पष्टीकरण हो सके। इस विधेयक में जो बोर्ड के सदस्य होंगे उनको डिस्क्वालीफिकेशन की बात नहीं है। राज्य सरकार मेम्बरों को नियुक्त करेगी या नामिनेट करेगी ? यदि कोई ऐसा मेम्बर है जो कि चोर रहा है, डकैतियां डालता है या मारल टर्पेट्यूड में उसको सजा हुयी है तो फिर माननीय मंत्री जी के पास इस विधेयक में कौन सी ऐसी धारा है कि वह ऐसे मेम्बर को नियुक्त होने से रोक सकें, मैं समझता हूं कि गुंजाइश होगी कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछली जिन्दगी में बुरा काम करने वाले लोगों का भी नियुक्ति हो सके। तो यह स्पष्ट है कि इस विधेयक में मेम्बर की अयोग्यता के सम्बन्ध में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में कोई भी धारा नहीं है। मैंने बड़े गौर से इसे समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह समाज कल्याण-विभाग एक नया विभाग है। समाज का कल्याण करना है और मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा हुआ हूं कि समाज में बुरे लोगों को भला बताना यदि समाज-कल्याण मंत्री का काम नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि यह गृह मंत्री का काम हो सकेगा। इसलिये मैं उस प्वाइंट को, उस अपने नुक्तेनजरिये जो मैंने अभी व्यक्त किये हैं उस पर मैंने भी परदा डाला है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि मेम्बर यदि रुचि न रखता हो, बोर्ड की बैठकों में सम्मिलित न हो तो फिर वह क्यों न डिस्क्वालीफाइड हो और क्यों यह धारा और यह विधेयक उस पर चुप है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि यदि कोई भी सदस्य बोर्ड की तीन बैठकों में लगातार गैर हाजिर रहे तो और बोर्डों की तरह से वह भी डिस्क्वालीफाइड समझा जाय।

मान्यवर, यह जो बोर्ड बनेगा उसके हाथ में बड़ी ताकत है, अनाथालयों और विधवाश्रमों से उसका सम्बन्ध है। उनको लाइसेंस देना, रजिस्टर्ड करना, उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना, कर्मचारियों की भर्ती करना यह सारे काम बोर्ड के हाथ में होंगे। विधवाश्रम और अनाथालय श्रीमन, स्पष्ट है, अखबारों के पढ़ने वाले और और भी बहुत से लोग जो सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं वह जानते हैं कि यह संस्थायें अपने देश और प्रदेश में कितनी बदनाम हो चुकी हैं। यदि ऐसे लोग उसमें हों जो नियुक्त तो हो जायं नामिनेट हो जायं, लेकिन इन कार्यों में रुचि न रखें, सहयोग न दें, बैठकों में न जांय, सम्मिलित न हों, तो फिर माननीय मंत्री जी के पास इस विधेयक के अनुसार कौन सी धारा है, कौन सा वह खंड है जिसके अनुसार वह यह घोषित कर सकें कि उसकी अरुचि या उसकी अयोग्यता या उसके असहयोग के नाम पर उसे डिस्क्वालीफाइड कर सकें। मैं चाहता हूं कि बोर्ड की बैठक होने के लिये भले ही नियत समय का नियम न बनाया जाय कि कितनी बैठक हों, कितनी बार हों, यह मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर छोड़ दे सकता हूं, लेकिन बोर्ड का मेम्बर बैठक में सम्मिलित न हो और वह डिस्क्वालीफाइड न हो इस पर धारा को और खंड को चुप नहीं रहना चाहिये। इसलिये मैं बड़े अदब से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस संशोधन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें और बोर्ड की बैठकें कितनी हों, इसके लिये वह भले ही अपने सलाहकारों से मशविरा कर लें, लेकिन बोर्ड का मेम्बर अगर बोर्ड की बैठकों में सम्मिलित न हो तो वह डिस्क्वालीफाइड हो जाय। इसमें चाहे तीन की जगह यदि आज्ञा हो तो मैं पांच कर सकता हूं लेकिन ऐसे मेम्बर को डिस्क्वालीफाइड अवश्य होना चाहिये। यही मेरी मंशा है और इसी मंशा से प्रेरित होकर मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो याद नहीं, उस विषय का संशोधन रामेश्वर लाल जी ने रखा हो, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो कि क्या क्वालिफिकेशन बोर्ड के मेम्बर्स की होनी चाहिये, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जब किसी व्यक्ति को इस बोर्ड का सदस्य मनोनीत करेगी तो इस बात का जरूर ख्याल करेगी कि वह ऐसा व्यक्ति हो जो समाज-कल्याण के कार्य में दिलचस्पी रखता हो और ऐसा न हो जिसके खिलाफ कोई अपराध के लिये दण्ड मिला है या कोई अपराध

हुआ है। तो इस बात का भी मैं आश्वासन दिला सकता हूं कि गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो अनुचित हो या अनुपयुक्त हो।

दूसरा सवाल यह है कि अवधि का, ६ बार उसकी मीटिंग हो, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सब बातें तो रूल्स में आ सकती हैं और आने की गुंजाइश भी है। अगर आने की गुंजाइश न हो तो वहां पर इस तरह का संशोधन आ सकता है। इस अधिनियम में इस बात का जिक्र करना कि ६ बार मीटिंग हो और अगर तीन महीने से ज्यादा कोई सदस्य न आये तो उसको हटा दिया जाय, यह ठीक नहीं होगा। ये बातें रूल्स से सम्बन्ध रखती हैं। अगर रूल्स में प्राविजन न हो तो उसके लिये संशोधन रख सकते हैं। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुभग वर्मा, आप भी अपना संशोधन रख दें, वह भी इसी तरह का है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ९ के बाद एक नया खंड ९—क निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय—

"९—क—बोर्ड की जनरल बैठक साल के अन्त में अवश्य होगी जिसमें बोर्ड का आय-व्यय तथा साल भर के कार्य की रिपोर्ट पढ़ी जायगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन रखने का मंशा है कि किसी भी संस्था के साल भर के खर्चे की और साल भर के कार्य की जो कुछ कार्यवाही होती है वह साल भर के बाद जो जनरल बैठक रखी जाती है उसमें उसका सारा विवरण सामने आ जाता है। तो यह जो बोर्ड होगा उसमें जो खर्चे होंगे और उस संस्था में जो काम होंगे उन सारे कार्यों का विवरण साल के अन्त में जनरल बैठक में सामने आ जाना चाहिये और उसमें जो आपत्तिजनक बात होगी उसके लिये सबका सुझाव हो जायगा और बोर्ड की जो खामियां और गलतियां होंगी उन पर भी प्रकाश पड़ जायगा, जिससे आगे के लिये वह संस्था सतर्क हो जायगी और सुचारुरूप से अपना काम चला सकेगी। इससे संस्था अच्छे प्रकार से चल पायेगी और किसी तरह की खामियां नहीं आयेंगी। इसीलिये मैंने यह रखा है कि एक जनरल बैठक हो जिसमें आय-व्ययक रखा जाय और साल भर की कार्यवाही की रिपोर्ट भी पढ़ी जाय।

आचार्य जुगल किशोर—इस संशोधन के संबंध में भी वही बात कहना है कि ये सब बातें इसके बजाय कि अधिनियम में आ जायं, रूल्स में आ सकती हैं, रूल्स में इसका प्राविजन अवश्य होगा कि कोई भी बोर्ड जिसको सरकार नियुक्त करेगी उसकी बैठक कम से कम एक साल में होगी, मैं समझता हूं कि ज्यादा के लिये भी हो सकता है, इसलिये इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मंत्री जी ने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मंत्री जी ने यह कहा कि यदि नियमों में आवश्यकता होगी तो रख दिया जायगा। इसलिये स्पष्ट है कि मंत्री जी समझते हैं कि इसकी आवश्यकता है। श्रीमन्, मैंने बहुत से और बिलों को देखा है जो सदन में आने वाले हैं या पास हो चुके हैं और मैंने यह जानने की कोशिश की है कि बोर्ड में डिस्क्वालीफिकेशन के क्या तरीके हैं। अभी जो मुस्लिम वक्फ ऐक्ट आने वाला है उसमें इसका जिक्र है, और भी ऐसे कई विधेयक हैं जो पास हो चुके हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिली और मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्रतिबन्ध होना चाहिये कि जिससे मेम्बरों को प्रेरणा मिले कि बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होना आवश्यक है। मैं इन शब्दों के साथ पुनः अपने प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बतलाया कि यह आवश्यक है और साल भर में इसकी बैठक रखी जायगी और इसको रूल्स में वह ले आयेंगे, इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के बाद एक नया खंड ९--क, निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय---

"९--क--बोर्ड की बैठकें साल में ६ बार अवश्य हुआ करेंगी और जो सदस्य लगातार ३ बैठकों में सम्मिलित न होंगे उनके स्थान को रिक्त समझा जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १०

सदस्यों के स्थानों की रिक्तियों अथवा संगठन संबंधी किसी दोष से बोर्ड के कार्य अथवा कार्यवाहियों का अमान्य न होना ।

१०---बोर्ड का कोई कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अमान्य न समझी जायगी कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन (Constitution) में कोई दोष रह गया था ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

उपसमिति की नियुक्ति ।

११---ऐसे आदेशों (directions) के अधीन रहते हुये जिन्हें राज्य सरकार जारी करे, बोर्ड :

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त किसी क्षेत्र के लिये कोई स्थानीय समिति नियुक्त कर सकता है ; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजन से एक अथवा एकाधिक समितियों अथवा उपसमितियों को नियुक्त कर सकता है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की पंक्ति १ में शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "अनुदेशों" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, हिन्दी में जो टर्म्स रखे जाते हैं वह बहुधा बदल जाया करते हैं । कहीं---किसी शब्द के लिये कुछ रख दिया जाता है और कहीं पर कुछ रख दिया जाता है । इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है । 'आदेश' यह आर्डर की सेंस में इस्तेमाल होता है और जी० ओ० का तर्जुमा कहीं गवर्नमेंट के आदेश से किया जाता है और कहीं गवर्नमेंट की आज्ञा से किया जाता है । यहां पर डायरेक्शन के लिये यह शब्द रख दिया गया है । इसके लिये पहले 'अनुदेश' प्रयोग हुआ है । मैं चाहता हूं कि एक ही तरह के शब्द रखे जायं । अगर 'आदेश' शब्द रखना है तो सब जगह यही रखा जाय । अभी तक 'डायरेक्शन' के लिये 'अनुदेश' शब्द इस्तेमाल हुआ है । इसलिये मेरा संशोधन है कि यहां पर भी 'अनुदेश' रखा जाय न कि 'आदेश' रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास जो उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली है इसमें प्रयुक्त प्राविधिक शब्दों के पर्याय में 'डायरेक्शन' के लिये 'निर्देश' लिखा है । तो आप 'निर्देश' चाहते हैं या 'अनुदेश' चाहते हैं या 'आदेश' चाहते हैं ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, स्पेसिफिकेशन के लिये शब्द 'निर्देशन' इस्तेमाल हुआ है हमारे विधेयकों में। इसमें स्पेसिफाइड के लिये दूसरा शब्द रखा जाय तो ठीक नहीं है। 'निर्दिष्ट' स्पेसिफाइड के लिये इस्तेमाल हुआ है। तो 'निर्दिष्ट' तो ठीक था लेकिन अब उसके लिए इस्तेमाल करना ठीक न होगा। 'अनुदेश' शब्द यहां पर ठीक है।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे वर्मा जी का संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ की पंक्ति १ में शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "अनुदेशों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय नारायणदत्त तिवारी! एक ही आपका संशोधन और है जो समय के बाद में आया। मैं आप को खासतौर पर इसे उपस्थित करने की इजाजत देता हूं। मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी उसे उपस्थित किये जाने में।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ११ के भाग (क) में शब्द "किसी क्षेत्र के लिये कोई स्थानीय समिति नियुक्त कर सकता है" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जिले के लिये जिला समिति नियुक्त करेगा" रखे जायं।

श्रीमन्, जिस प्रकार यह खंड रखा गया है उसमें यह लिखा है कि किसी क्षेत्र के लिये कोई स्थानीय समिति नियुक्त कर सकता है। यह अधिकार बोर्ड को दिया गया है। अब 'क्षेत्र" शब्द की कोई भूगोलिक परिभाषा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिये निश्चित नहीं है। या तो "डिवीजन" शब्द का इस्तेमाल हुआ होता क्योंकि यहां रेवेन्यू डिवीजन्स होते हैं। या 'जिला" शब्द का इस्तेमाल हुआ होता। तो क्षेत्र शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके अलावा स्थानीय समिति लिखा गया है। इसके अर्थ यह भी हो सकते हैं कि किसी म्युनिसिपैलिटी विशेष के लिये या किसी टाउन एरिया विशेष के लिये यह स्थानीय समिति नियुक्त हो जायगी। और इसके अर्थ यह भी हो सकते हैं कि आधे उत्तर प्रदेश के लिये एक ही समिति हो। तो इस प्रकार के एक अस्पष्ट निबन्ध रखने के स्थान पर मैं एक स्पष्ट निबन्ध रखना चाहता हूं। और यही सिफारिश आर्फनेज ऐंड विडोज होम कमेटी रिपोर्ट में भी लिखी हुयी है कि प्रत्येक जिले में समिति स्थापित होनी चाहिये। आप देखेंगे श्रीमन् कि हम अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की परिभाषा को मंजूर कर चुके हैं। इसकी परिभाषा खंड २ के उपखंड (५) में दी हुयी है। इसमें लिखा हुआ है---

"अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (Licensing Authority) का तात्पर्य---इसमें कुछ बदला गया है---किसी जिले के जिला मैजिस्ट्रेट (District Magistrate) अथवा किसी ऐसे विशेष अधिकारी से है जिसे जिला मैजिस्ट्रेट ने अपनी ओर से अनुज्ञप्त प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के हेतु नियुक्त किया हो"

यहां पर भी हमने लाइसेंसिंग अथारिटी के लिये जिले को यूनिट माना है क्योंकि या तो जिला मैजिस्ट्रेट लाइसेंसिंग अथारिटी होगा या उसका कोई नामिनी लाइसेंसिंग अथारिटी होगा। इस प्रदेश में ५१ जिले हैं, तो जब मैं ५१ लाइसेंसिंग अथारिटी बनाने की बात इस विधेयक में रखता हूं तो फिर जहां कमेटी बनाने का सवाल आता है वहां यह भी साफ होना चाहिये कि हर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होनी चाहिये। और वैसे भी उदाहरण के रूप में भी हम यह चाहेंगे कि हर जिले में कम से कम इस प्रकार के माडल होम्स बनें। यह अन्ततोगत्वा हमारी योजना होगी। तो इस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाना हमारे लिये सब प्रकार से वांछनीय होगा। तो मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि स्थानीय कमेटी क्षेत्र की कर दी जाय यह स्पष्ट कर दिया जाय कि प्रत्येक जिले में जिला समिति बोर्ड नियुक्त करेगा और इसके साथ जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लाइसेंसिंग अथारिटी होगी वह चूंकि एक जिले के लिये होगा उसका सम्बन्ध भी दूसरी कमेटी से हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ा निर्दोष संशोधन है और उसी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार है जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक बनाया गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो क्षेत्रीय कमेटियों का जिक्र आया है उसका मतलब यह है कि केवल जिले में ही नहीं बल्कि जिले के और भागों में इस तरह की कमेटियां बन सकती हैं। उदाहरणार्थ मथुरा में, वृन्दावन में भी खुल सकती हैं, गोवर्द्धन में भी खुल सकती हैं, हरिद्वार में बन सकती हैं और अयोध्या के लिये भी बन सकती हैं। इससे कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ इस प्रकार का अधिकारी बोर्ड होगा कि ऐसे स्थानों पर जहां पर इस तरह की संस्था बनाने की जरूरत हो वहां पर भी ऐसी कमेटियां बनें। इसी उद्देश्य से यह शब्द "एरिया" लाया गया है। मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें कि जहां शब्द "क्षेत्र के लिये" आया है वहां उसके पहले शब्द "जिले या" आ जाय तो इससे चीज बहुत स्पष्ट हो जायगी। उसमें जिले के लिये भी और क्षेत्र दोनों के लिये हो जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप अपने पहले वाले संशोधन को वापस लेते हैं और उसके बाद यह दूसरा संशोधन रखते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री नारायणदत्त तिवारी का दूसरा वाला संशोधन मत के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ११ के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "क्षेत्र के लिये" के पहले शब्द "जिले या" रख दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२, १३ तथा १४

स्थानीय समितियां।

१२—धारा ११ के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उपसमिति का संगठन और उसके अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य तथा ऐसी समिति अथवा उपसमिति द्वारा उसके कार्य-सम्पादन के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाय।

विशेष प्रयोजनों के लिये बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संबंध (Temporary Association)।

१३—(१) बोर्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सहायता अथवा परामर्श उसे इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये वांछनीय हों, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो नियत किये जायं, अपने से संबद्ध (associate) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी प्रयोजन के लिये बोर्ड से सम्बद्ध (associated) किसी भी व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत (relevant) चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उसे बोर्ड की बैठक में मत देने का अधिकार न होगा तथा वह अन्य किसी प्रयोजन के लिये सदस्य न होगा।

१४---उन नियमों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये जायं, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन कुशलतापूर्वक अपने कृत्यों का सम्पादन करने अथवा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के प्रयोजन से ऐसे अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और वह उनके कृत्यों तथा सेवा की शर्तों को निर्धारित कर सकता है । बोर्ड के कर्मचारी ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२, १३ तथा १४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५

१५---बोर्ड :

(क) संस्थाओं को अनुज्ञप्ति (licen e) देने और उनका संधारण (maintenance) एवं संचालन करने से संबद्ध विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देगा; बोर्ड के अधिकार और कृत्य ।

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रबंध से सम्बद्ध सभी विषयों का सामान्यतया निरीक्षण (supervision) संचालन (direction) तथा नियंत्रण (control) करेगा ; और

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और अन्य कृत्यों का संपादन तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायं ।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य इस समय नहीं हैं और उनका संशोधन शाब्दिक है और मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---तो आप उसे स्वयं पेश कर दें ।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ के शब्द "निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "नियत" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ के शब्द "निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "नियत" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहती हूं कि खंड १५ के उपखंड (ग) को उपखंड (घ) कर दिया जाय और (ग) एक नया उपखंड निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय---

"(ग) वर्तमान संस्थाओं की भी कड़ी छान-बीन करेगा और फर्जी संस्थाओं को समाप्त करने की सिफारिश करेगा"

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही था कि जो आज वर्तमान संस्थायें हमारे प्रान्त में हैं उन संस्थाओं की बहुत बुरी हालत है । वहां दिन-दहाड़े महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और उन का व्यापार चलता है । यह कहते हुये मुझे बहुत ही लज्जा आती है पर इस बात की मैंने काफी छान बीन की है। एक साल मैंने बनारस की १४ संस्थाओं को देखा था । अध्यक्ष महोदय, वहां की हालत देखकर आंखों में आंसू निकलने लगते हैं । एक संस्था में कोई आठ महिलाओं को देखा था । वहां मैंने देखा कि वहां के पुरुषों की आमदनी उन आठ महिलाओं से २,००० रुपया बताई गई । और यह तो मैंने रसीदों में देखी, लेकिन

[श्रीमती सज्जन देवी महनोत]

वास्तव में यह आमदनी और ज्यादा थी। तो मैं यह चाहती हूं कि इन संस्थाओं की कड़ी छानबीन हो और जो संस्थायें इस तरह की निकलें उन्हें खत्म कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां आज हमारी नारी जाति के ऊपर इस तरह का पाशविक अत्याचार होता हो वहां मैं इस पुरुष समाज को क्या कहूं? यहां हमारे पुरुष समाज का इतना ऊंचा चरित्र था कि जब रावण सीता को हर कर ले जा रहा था उस समय सीता ने अपने कुछ आभूषण गिरा दिये थे। जब बाद में राम और लक्ष्मण उनको खोजने निकले तो आभूषण पाने पर राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो यह शायद सीता के जेवर हैं। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं उनके पांव को पहचान सकता हूं। मैंने तो सिवाय उन के चरणों के और कुछ देखा ही नहीं। तो हमारे देश में ऐसे-ऐसे भद्र पुरुष हो गये हैं कि जिन्होंने कभी स्त्री के ऊपर आंख उठा कर नहीं देखा था, लेकिन आज हमारे इसी देश के पुरुषों की यह बुरी हालत है! अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो संशोधन रखा है यह अत्यन्त आवश्यक है और इन संस्थाओं की छानबीन अवश्य होनी चाहिये। जितनी ऐसी संस्थायें हैं उनको अवश्य खत्म करना चाहिये। मेरा यही संशोधन है।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने यह रखा है कि पांच व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक अनाथालय या विधवाश्रम चल सकता है। यह देखने में आता है कि बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं कि जो फर्जी तौर पर चलती हैं। सरकार से एड लेती हैं और बहुत सी सुविधायें प्राप्त किया करती हैं और साथ ही उनका व्यापार भी चलता रहता है। तो इस तरह से सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और यह संशोधन मान कर, इस तरह की संस्थाओं को खत्म करके जो नाजायज तरीके से चलती हैं या जो ठीक ढंग से काम नहीं करतीं, समाज का बहुत फायदा होगा। मैंने कई जगह देखा है कि ऐसी संस्थायें बोर्ड से भी आसानी से मान्यता प्राप्त कर लेती हैं और सरकार से एड भी प्राप्त कर लेती हैं। इस तरह से मुझे शक है कि यह विधेयक होने पर भी इस प्रकार की बात शायद न रुक सके। लेकिन अगर माननीय सदस्या का संशोधन मान लिया गया तो किसी प्रकार की गड़बड़ी न होगी और समझ बूझ कर संस्थायें बनायी जायेंगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। यह समाज के लिये बड़े कलंक की बात है। हमारी बहन ने जैसा कहा, उसे सुन कर हमारा मस्तक नीचा हो जाता है। हमारा परम कर्तव्य है कि जहां तक हो सके जल्द से जल्द सब लोग मिलकर इस कुरीति का पता लगाकर इसे दूर करें। हमारे समाज में अर्जुन, लक्ष्मण, नकुल और सहदेव के आदर्श दिये जाते हैं, वे ठीक हैं। पर्दे के लिये तो कौन कहे, हमारी बहनें दिन दहाड़े सिर खोले फिरती हैं। यह संशोधन बहुत अच्छा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—जिन भावनाओं को लेकर बहन सज्जनदेवी जी ने यह संशोधन रखा है उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बहन जी ने खंड ३३ पढ़ा होता तो उसमें यह आवश्यक है कि हमारी वर्तमान संस्थाओं को भी लाइसस लेना होगा। यदि मैं आपकी आज्ञा से खंड १५ के (क) और (ख) को पढ़ दूं तो बात साफ हो जायगी। उसमें यह है कि संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने और उनका संधारण एवं संचालन करने से संबद्ध विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देगा, और (ख) में यह है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रबंध से संबंधित सभी विषयों का सामान्यतया निरीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण करेगा। यह फंक्शन बोर्ड का है। तो उनकी इच्छा इसमें पूरी हो जाती है। जब वर्तमान संस्थाओं को लाइसेंस दिया जायगा तो लाइसेंस की शर्तों में ये सब बातें आ जावेंगी। आखिर के खंड में सरकार ने नियम बनाने की शक्ति ली है। तो नियम इसके लिये हो जावेंगे और मैं समझता हूं कि बहन जी की भावना इसमें पूरी हो जायगी और वह अपने संशोधन पर ज्यादा जोर नहीं देंगी।

श्री रामेश्वर लाल---मान्यवर, मैं माननीय सदस्या द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। इसके २, ३ कारण हैं, जब वह भाषण कर रही थीं तो सबसे पहले उनके भाषण का सारांश यह रहा कि पुरुष समाज ने स्त्री समाज के ऊपर अत्याचार किया है और इसकी दुहाई देकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीया सदस्या का यह विचार इस बात का निर्देश करता है कि आज भी पुरुष समाज स्त्री समाज पर अत्याचार करता है। तो मैं मंत्री जी को कहता हूं कि वह पुरुष हैं, इसलिये उनके ऊपर इस तरह का प्रभाव न पड़ जाय कि पुरुष समाज अत्याचार करता रहे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुरुष होने के नाते वह माननीया सदस्या का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें।

दूसरी बात माननीया सदस्या के संशोधन में यह है कि कड़ी छानबीन करेगा। विधेयक में है कि सामान्यतया निरीक्षण करेगा। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीया सदस्या के प्रस्ताव को मंत्री जी स्वीकार करें और इससे विधेयक सुधरेगा, उसका रूप विकृत नहीं होगा। इस संशोधन से जिस समाज का नेतृत्व करने वाली माननीया सदस्या हैं उनको भी संतोष हो जायगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं माननीया महनौत जी के आशय से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसे अलहदा उपखंड के रूप में रखने की जरूरत नहीं है। उपखंड (ख) में ही एक लाइन बढ़ा देने से काम बन जाता है। मैं नवलकिशोर जी के इस अंश से तो सहमत हूं कि वर्तमान संस्थाओं की कड़ी छानबीन करेगा लेकिन फर्जी संस्थाओं को समाप्त करने की सिफारिश करेगा, यह उसमें नहीं है। नियंत्रण शब्द के अर्थ को इतना नहीं फैलाया जा सकता कि यह भी आजाय। नियंत्रित आप कह सकते हैं लेकिन समाप्त करना उसमें नहीं आता है। इसलिये यह किया जा सकता है कि उपखंड (ख) के अन्त में बढ़ा दें कि नियंत्रण करेगा और अवांछनीय संस्थाओं को बन्द करने की भी सलाह देगा। मैं समझता हूं कि इसके स्वीकार होने से माननीया महनौत जी का आशय भी पूरा हो जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी माननीय नवलकिशोर जी ने जो भाषण दिया उसमें यह जाहिर कर दिया गया है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी तरह की एक धारा ३३ है जिसमें यह है कि वर्तमान संस्थाओं को लाजमी तौर से मान्यता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र देना होगा। उसके ऊपर विचार करने के समय इन सब बातों पर विचार कर लिया जायगा। मैं समझता हूं कि उस धारा के होते हुये इसकी आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि वे इसे वापस ले लेंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने सुझाव दिया था कि उपखंड (ख) के अन्त में शब्द जोड़ दिये जावें, उसका क्या हुआ?

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं उसे भी स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह उसे वापस ले लेंगे।

श्रीमती सज्जनदेवी महनौत---अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का जिन-जिन भाइयों ने समर्थन किया है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं और मैंने आचार्य जी से प्रार्थना की थी कि वे इस संशोधन को मान लेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेती हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६ व १७

राज्य सरकार के अधिकार।

१६—राज्य सरकार बोर्ड को समय-समय पर ऐसे आदेश (direction) जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो तथा बोर्ड और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इन आदेशों का तुरन्त पालन करें।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

१७—राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड को ऐसी धनराशि दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के संपादन के लिये आवश्यक समझे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८ व १९

बोर्ड की निधि।

१८—(१) बोर्ड की अपनी निजी निधि होगी, उसमें ऐसी समस्त धनराशियां, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जायं, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त समस्त दान और चन्दे (donations and subscriptions) तथा बोर्ड की अन्य समस्त प्राप्तियां जमा की जायंगी और बोर्ड द्वारा सभी भुगतान इस निधि से किये जायेंगे।

(२) बोर्ड ऐसी धनराशियों को व्यय कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिये उचित समझे और ये धनराशियां बोर्ड की निधि में से देय व्यय के रूप में समझी जायंगी।

बजट।

१९—(१) बोर्ड प्रति वर्ष ऐसे रूप में तथा ऐसे समय, जो नियत किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष का एक बजट तैयार करेगा जिसमें अनुमानित (estimated) प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे।

(२) बजट राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये नियत रीति से उसको प्रस्तुत किया जायगा और राज्य सरकार उसमें ऐसे परिष्कार कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ और १९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०, २१ तथा २२

वार्षिक रिपोर्ट।

२०—बोर्ड प्रति वर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय, जो नियत किया जाय, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्वगामी वर्ष के उसके कार्यों का सच्चा और पूरा ब्योरा दिया जायगा। इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भेजी जायंगी।

लेखे और लेखा परीक्षा।

२१—(१) बोर्ड अपने लेखे (accounts) के सम्बन्ध में ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, बहियां (books of accounts) तथा अन्य लेखा पुस्तकें (books) रखवायेगा।

(२) बोर्ड के लेखों (accounts) का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, परीक्षण (audit) किया जायेगा।

विवरणियां

२२—बोर्ड अपनी निधि अथवा कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसे विवरण (returns) आंकड़े (statistics) लेखे तथा अन्य सूचनायें देगा जिनको राज्य सरकार समय-समय पर मांगें।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० की पंक्ति ४ के शब्द "जायेंगी" के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"और राज्य सरकार उस रिपोर्ट को विधान सभा की जानकारी के लिये सदन के सदस्यों में वितरित करेगी ।"

यदि हमारा यह संशोधन मान लिया जाय तो यह खंड इस प्रकार से हो जायगा---

"बोर्ड प्रति वर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय, जो नियत किया जाय, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्वगामी वर्ष के, उसके कार्यों का सच्चा और पूरा ब्योरा दिया जायगा । इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भेजी जायेंगी और राज्य सरकार उस रिपोर्ट को विधान सभा की जानकारी के लिये सदन के सदस्यों में वितरित करेगी ।" मान्यवर हमारा इस संशोधन के रखने का तात्पर्य केवल यह है कि विधान सभा के सदस्य जो अपने प्रतिनिधि चुन कर बोर्ड में भेजेंगे, उनको भी जानकारी हो जाय कि उनके प्रतिनिधि और समाज-कल्याण के नाम पर बनाया गया जो बोर्ड है उसके सदस्य कितना काम कर रहे हैं और क्या-क्या कर रहे हैं । उसके साथ-साथ पूरे प्रान्त की इन संस्थाओं के साथ उनकी भी जानकारी रहे क्योंकि ये सदस्य प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों से आये हुये होंगे और कहीं न कहीं इन क्षेत्रों के जिन संस्थाओं के लिये यह विधेयक बनाया गया है, अवश्य होंगे । मुझे इस खंड में ऐसी कोई बात नहीं दिखायी दी और कार्य के लिये उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है जिससे उनको इन अनाथालयों और विधवाश्रमों में, होने वाली प्रगति के सम्बन्ध में कोई जानकारी होती रहे, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट बोर्ड भेजेगा वह सरकार के विचार के लिये भेजेगा ताकि सरकार को यह मालूम हो सके कि बोर्ड क्या कार्य कर रहा है । सम्भव है सरकार इस रिपोर्ट को प्रकाशित करे और उसकी कापी भी मैं समझता हूं जिन सदस्यों को इसकी आवश्यकता होगी वह प्राप्त हो सकेगी । इसके रखने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० की पंक्ति ४ के शब्द "जायेंगी" के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"और राज्य सरकार उस रिपोर्ट को विधान सभा की जानकारी के लिये सदन के सदस्यों में वितरित करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २०, २१ और २२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २३

अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation)

२३---बोर्ड सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा, जो लिखित रूप में होगी, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं (limitations) यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, के अधीन रहते हुये अपने सभापति (Chairman) अथवा अन्य किसी सदस्य या पदाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे अधिकार और कृत्यों का प्रतिनिधान कर सकता है, जिन्हें वह बोर्ड के दिन-प्रति-दिन के प्रशासन के कुशल संचालन के लिये आवश्यक समझे ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि खंड २३ की पंक्ति ३ में शब्द "सभापति (Chairman)" के बाद तथा पंक्ति ४ के शब्द "अथवा" के पहले शब्द "उपाध्यक्ष" जोड़ दिया जाय ।

इस तरह का संशोधन पहले भी आ चुका है और मैं चाहती हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इसमें इतना संशोधन करना चाहता हूं कि "उपाध्यक्ष" की जगह "उपसभापति" रख दिया जाय ।

आचार्य जुगल किशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं समझता । आप देखेंगे कि विधान में "वाइस चेयरमैन" का जिक्र आया है और साथ ही यह अधिकार तो बोर्ड को होगा ही कि वह अपने अधिकार दूसरों को दे सकता है । "उपसभापति" का कहीं जिक्र नहीं आया है । मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—मैं इसको वापस लेती हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि अभी माननीय द्वारकाप्रसाद जी का एक संशोधन स्वीकार हुआ है कि "निर्दिष्ट" के स्थान पर "नियत" रख दिया जाय, यह शब्द खंड २३ में भी आया है, इसलिये यह कर दिया जाय कि जहां-जहां भी शब्द "निर्दिष्ट" आया है वहां-वहां उसके स्थान पर "नियत" कर दिया जाय ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह तो देखकर होना चाहिये, जहां-जहां भी "निर्दिष्ट" आया है वहां-वहां सब जगह "नियत" कैसे हो सकता है ? कहीं-कहीं पर "निर्दिष्ट" दूसरे सेन्स में आया है हालांकि यहां तो प्रयुक्त हुआ है वह ठीक ही है ।

श्री अध्यक्ष—आप स्पष्ट करें, क्या आप विरोध करना चाहते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इस विधेयक में "निर्दिष्ट" और "नियत" शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं । खंड २३ में "निर्दिष्ट" शब्द "स्पेसिफाइड" के लिये आया है और हमेशा इस माने में "निर्दिष्ट" ही प्रयुक्त हुआ है, "नियत" तो दूसरे सेन्स में आता है और इस तरह से उस सेंस को कनफ्यूज करना उचित न होगा और ऐसा करने से बड़ी गड़बड़ी होगी और पहले जो संशोधन स्वीकार हुआ है वह तो ठीक ही हुआ है ।

श्री नवल किशोर—अध्यक्ष महोदय, पहले जो "निर्दिष्ट" शब्द का प्रयोग हुआ था वह रूल्स के बारे में था, यहां पर जो शब्द हैं कि बोर्ड सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा, जो लिखित रूप में होगी, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं (limitations) यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, उसमें भी "स्पेसीफाइड" के लिये है "निर्दिष्ट" था इसलिये यहां भी "नियत" ठीक नहीं होगा और "निर्दिष्ट" ही ठीक रहेगा । और वह जो पहले था वह तो रूल्स में था । वर्मा जी ने जो कहा है वह ठीक है और मैं इस को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४

संस्थाएं स्थापित करने और उनके संधारण के लिए अनुज्ञप्ति ।

२४—धारा ३४ में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था का न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसे स्थापित, संधारित अथवा संचालित करेगा ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ की पंक्ति १ में शब्द "छोड़ कर" तथा शब्द "कोई" के बीच में शब्द "अन्य किसी दशा में" जोड़ दिया जाय ।

श्रीमान् जी, इस संशोधन को जोड़ देने से इस खंड का रूप इस प्रकार से हो जायगा कि "धारा ३४ में दी गयी व्यवस्था को छोड़ कर अन्य किसी दशा में कोई भी व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था का न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसे स्थापित, संधारित अथवा संचालित करेगा।" इसके जो दो भाग हैं धारा ३४ में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर यह भाग दूसरे भाग से जुड़ता नहीं जब तक "छोड़कर" तथा शब्द "कोई" के बीच में शब्द 'अन्य किसी दशा में' न जोड़े जायं। तो "अन्य किसी दशा में" इन शब्दों का जोड़ना नितान्त आवश्यक है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ की पंक्ति १ में शब्द "छोड़ कर" तथा शब्द "कोई" के बीच में शब्द "अन्य किसी दशा में" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम सुभग वर्मा---सदन में कोरम नहीं है। कल भी बार बार तीन चार बार हमने यह सवाल उठाया पर आज भी कोरम नहीं हो रहा है। इसके लिये व्यवस्था करें या स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सचेतक यहां मौजूद हैं वह अपना कर्त्तव्य पूरा करें। यही मैं इसके लिये सुझाव दे सकता हूं। यदि दो एक दफा इस तरह से घंटी बजानी पड़ी तो मैं कार्य स्थगित कर दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---चेतक हैं, सचेतक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---आपके सचेतक को भी मैं कह रहा हूं वह जाकर सदस्यों को बुला लें।

श्री रामसुभग वर्मा---मैं तो सचेत हूं। कल भी और आज भी।

श्री अध्यक्ष---मैं तो यह कह रहा हूं कि आप अपने सदस्यों को बुला लें, इसके लिये सभी को सचेत होने की जरूरत है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खण्ड २५ व २६

२५---(१) महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था के निमित्त अनुज्ञप्ति का लिखित प्रार्थना-पत्र उस संस्था के प्रबंधक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को नियत रूप (form) में दिया जायेगा। अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(२) यदि प्रार्थना-पत्र सब तरह से ठीक (in order) है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उसके सम्बन्ध में ऐसी जांच करायेगा जो नियत की जाय और जिसे वह आवश्यक समझे।

२६---यदि धारा २५ के अधीन की गयी जांच के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि : अनुज्ञप्ति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति।

(क) अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिये तो वह नियत रूप में अनुज्ञप्ति देगा ; अथवा

(ख) अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिये तो वह प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर देगा तथा प्रार्थी को तदनुसार सूचित करेगा।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करती हूं कि खंड २५ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"बशर्ते प्रबंधक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर सके कि उसने ईमानदारी और तत्परता के साथ कम से कम १० वर्षों तक जन-सेवा में जीवन बिताया है।"

अध्यक्ष-महोदय, मेरे इस संशोधन को रखने का तात्पर्य केवल इतना है कि आज के जमाने में लोग नई संस्थायें खोलना चाहते हैं चाहे उन्हें अनुभव न हो। वह एक व्यापार की तरह इन संस्थाओं को खोलना चाहते हैं चाहे छोटे बच्चों की हों या स्त्रियों की, बच्चों की होती हैं तो वह बहुत सारे बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उनसे भिक्षावृत्ति भी करवाते हैं या छोटे-छोटे बैंड बाजे ला देते हैं और उनके द्वारा भीख मंगवाते हैं। अगर स्त्रियों की होती है तो स्त्रियों का व्यापार होता है। उनकी बगैर मर्जी के शादी कर दी जाती है। छोटी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि यह संशोधन माने कि दस वर्ष का अनुभव संस्था खोलने वाले के लिये आवश्यक है।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे खेद है कि बार-बार मुझे बहन सज्जन देवी महनोत के संशोधन की मुखालिफत करना पड़ रही है। इस संशोधन की यहां कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मान्यता प्राप्ति करने के लिये कोई भी संस्था बोर्ड या लाइसेंसिंग अथारिटी के सामने आयेगी तो इस बात का विचार किया जायगा कि यह व्यक्ति इस काम के उपयुक्त है या नहीं या यह संस्था इस कार्य के लिये मुनासिब है या नहीं। दस साल का प्रतिबन्ध लगाने से बहुत कम व्यक्तियों को या संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हो सकेगी और जो व्यक्ति यह काम कर रहे हैं या जो संस्थायें चल रही हैं उनके काम में रुकावट पड़ेगी। मैं समझता हूं कि सज्जन देवी महनोत इसे वापस ले लेंगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बड़ा भारी कार्य स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है मैं समझता हूं इस जिम्मेदारी को समझ रही है। जो संस्थायें अब तक संचालित थीं उन संस्थाओं में काफी दोष थे और इसी कारण कंट्रोल के लिये विधेयक उपस्थित किया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि यह बड़ी भारी जिम्मेदारी की बात है, बच्चों और स्त्रियों का प्रश्न है। जो लाइसेंस देने की अथारिटी है उनके सामने जो प्रबंधक पेश होंगे लाइसेंस लेने के लिये तो उस समय हर बात पर विचार करेंगे, यह ठीक है। यहां पर एक प्राविजन करना है तो स्पष्ट प्राविजन इस बात के लिये करना है कि जन सेवा के कार्य में जो प्रबंधक अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और जिनके सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है, यह साबित हो सके और होना चाहिये क्योंकि बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है। यह भी मैं नहीं मानता कि हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी है। बल्कि हमारे देश में ऐसे कार्यकर्ताओं का बाहुल्य है जो इस कार्य में आगे आयेंगे और जो संस्थायों के चलाने में सरकार की सहायता करेंगे। जहां तक जो लोग मौजूद हैं इस समय भी वे ही सामने आयें तो उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको १० वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उनकी प्रसिद्धि भी है। तो ऐसे लोगों के अलावा जो दूसरे लोग सामने आयेंगे लाइसेंस लेने के लिये वह भी ऐसे लोग आयें जिन्होंने जन सेवा का काम किया है और १० वर्ष तक का अनुभव प्राप्त है तो उसको लाइसेंस दिया जा सकेगा, इस बात का प्रबंध होना ही चाहिये। क्योंकि मुझे इस बात का भय है कि सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से मान्यता लेने के लिये बहुत से लोग ऐसे आ सकते हैं जिन्होंने इस तरह की संस्थायें बच्चों और स्त्रियों की खोल रखी हों, केवल व्यापार का साधन बनाने हेतु।

आजकल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं उसमें हम देखते हैं लोग खामख्वाह एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल दिया करते हैं और उसको व्यापार का साधन बना लिया करते हैं। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बात का अनुभव करें और अनुभव करने के बाद इसके मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। केवल वही व्यक्ति जो जन सेवा कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और जो अपनी ईमानदारी का परिचय दे चुके हैं वही इस जिम्मेदारी के कार्य को निभाने के

लिये लाइसेंस प्राप्त करें। वास्तव में ऐसी संस्थायें अधिक नहीं हैं लेकिन जो हैं वह आदर्श रूप में अपना काम कर सकें इसका हमको ख्याल करना पड़ेगा। अन्यथा इसमें अगर किसी तरह की त्रुटि आ गई तो फिर पूरा वायु मंडल दूषित हो जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं चाहे आप १० वर्ष न मानें लेकिन कोई ऐसी शर्त जरूर रखें जिसमें जनसेवा कार्य में जो ख्याति प्राप्त लोग हैं वही सामने आ सकें प्रबंधक के रूप में और उस उत्तरदायित्व को निभा सकें।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह आश्वासन दिया है, और मैं यह प्रार्थना करती हूं कि जैसा पद्मनाथ सिंह जी ने बताया कि वह १० साल न मानें लेकिन कुछ शर्तें उनके ऊपर जरूर रखनी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेती हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २५ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"और यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित करेगा कि अमुक व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति (licence) के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है।"

मेरा मतलब यह है कि जैसे मुझे तजुर्बे से यह मालूम है कि किस तरह लोगों ने इसका फायदा उठाया है, जो लोग यह काम करते हैं उनके बड़े अच्छे-अच्छे मकान बन जाते हैं, बड़े आदमी समझे जाते हैं वह लेकिन जो लोग उनके और इधर-उधर रहते हैं वह समझते हैं कि वह कैसे-कैसे करते हैं। और लोगों को तो यह मालूम नहीं होता। तो अगर अखबारों में यह छप जाय तो जिसको मालूम होगा वह फौरन खबर देगा कि यह आदमी ऐसा है इसको लाइसेंस न दिया जाय। मुझे तो खुशी है कि यह बिल सात आठ वर्ष बाद यहां आया। मैंने एक बिल भेजा था विडोज होम ऐंड आर्फनेज बिल उस पिछली असेम्बली में। लेकिन वह असेम्बली खत्म हो गई जिससे उस पर विचार न हो सका और फिर नयी असेम्बली आयी। इस असेम्बली के आने पर रावत जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने कि अपनी रिपोर्ट लिखी। मुझे खुशी है कि हमारे मन्त्री जी ने कार्य रूप में इसको परिणत किया और इस पर अब काम हो रहा है। तो यह बहुत जरूरी है कि जिस तरह से लोग इसका फायदा उठाते हैं और बेइमानियां करते हैं, मुझे मालूम है कानपुर में जो लोग औरतें बेचते हैं उनके तीन-तीन मकान खड़े हैं, और उनके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब जब यह अखबार में निकाला जायगा तो मेरी राय में बड़ा अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि अखबारों में खबर देने से कोई बात उनके खिलाफ होगी तो वह आ जायगी कि यह आदमी ऐसा है, इसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर जवाहरलाल जी का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस तरह का सुझाव रखा है। यह बहुत मुनासिब सुझाव है। परन्तु मेरा ख्याल यह है कि यह विधेयक का कोई अंग बने इसके बजाय रूल्स में ऐसी हिदायतें कर देना अधिक अच्छा होगा। जब नियम बनेंगे उस समय ऐसे नियम बना देंगे कि जब कभी लाइसेंस के लिए कोई अप्लीकेशन आये तो उसकी सूचना समाचार-पत्रों को भी दे दी जाय। यह सुझाव बहुत ठीक है। लेकिन यहां इसको संशोधन के रूप में लाना ठीक नहीं होगा। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि रूल्स में या और किसी रूप में यह बात रख दी जायगी।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के विरुद्ध अपील।

२७---(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २६ के खंड (ख) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह अनुज्ञप्ति के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र की अस्वीकृति आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है।

(२) उक्त अपील पर बोर्ड की आज्ञा अंतिम होगी तथा उस पर किसी भी रीति से किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८ व २९

अनुज्ञप्ति की शर्तें।

२८---अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी ;

(क) अनुज्ञप्त (Licensed) संस्था का नाम और ठिकाना (location) ;

(ख) प्रबंधक का नाम ;

(ग) संस्था का स्वरूप (nature) संस्था महिलाओं के लिये है अथवा बालकों के लिये अथवा दोनों के लिये ;

(घ) संस्था द्वारा लिये जाने वाले बालकों या महिलाओं की संख्या ; और

(ङ) अन्य कोई शर्तें या विवरण, जो नियत किये जायं।

(२) कोई भी अनुज्ञप्त संस्था, जब तक कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा उसे एतदर्थ अधिकृत न किया गया हो, आठ वर्ष से अधिक की वय के विपरीत लिंगीय (of different sex) व्यक्तियों को भर्ती न करेगी।

(३) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी भी अनुज्ञप्त संस्था को विपरीत लिंगीय व्यक्तियों को भर्ती करने की सामान्यतया अनुज्ञा न देगा परन्तु वह ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुये, जो जनहित के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हों, ऐसा कर सकता है।

संस्था के ठिकाने में परिवर्तन।

२९---कोई भी अनुज्ञप्त संस्था अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना अनुज्ञप्ति उस निर्दिष्ट अपने ठिकाने में परिवर्तन नहीं करेगी और न अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी सेवा के सम्पादन में ही कोई परिवर्तन करेगी।

श्री रामेश्वर लाल---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (३) के बाद नया उपखंड (४) निम्न रूप में रख दिया जाय---

"(४) अनुज्ञप्ति अधिकारी किसी भी संस्था को तब तक अनुज्ञप्त न होने देगा जब तक कि उस संस्था के नाम संस्था संचालन हेतु उपयुक्त धन राज्य सरकार के इच्छानुकूल किसी मान्य बैंक में जमा न हो जाय।"

श्रीमन् यह साफ है कि इस विधेयक के ऐक्ट बन जाने के बाद जो सामाजिक बातों में रुचि रखते हैं उनमें इस तरह के अनेक लोग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे और उन्हें अनुज्ञप्ति मिलेगी भी। मैं अपने इस संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि ऐसे लोग जो एक प्रोफ़ेशन के तौर पर विधवा आश्रमों और अनाथालयों को इस्तेमाल करते हैं

उनको यह मौका न मिले और इसलिए मैं यह प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं अपने संशोधन में कि जो लोग इस तरह की अनुज्ञप्ति लेना चाहें, उनके लिए आवश्यक हो कि उस संस्था को चलाने के लिए किसी भी मान्य बैंक में कुछ रुपया जमा करें जिससे यह विश्वास हो सके कि वह इस संस्था को वास्तव में चलाना चाहते हैं और उसके पीछे कुछ धन है, इसलिए वह व्यक्ति उसके लिए वह चेष्टा कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई वाद-विवाद नहीं करना है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे और इसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं होगी।

आचार्य जुगल किशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामेश्वरलाल जी ने पेश किया है यह तो बोर्ड के फंक्शंस और कार्य-क्रम में है कि किस तरह के लाइसेंस की क्या-क्या शर्तें लगायेंगे। उन्होंने संशोधन में रखा है "उपयुक्त धन"। कोई निर्धारित धन तो नहीं बतलाया गया है। यह तो आवश्यक है कि कोई भी लाइसेंसिंग की कंडीशंस जो लगायी जायंगी उनमें इस बात पर विचार होगा कि इसमें धन है या नहीं। उपयुक्त धन क्या होगा, यह भी बोर्ड में तय हो सकता है। तो मुझे आशा है कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे और मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वरलाल जी ने जो यह संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह कहीं नहीं है कि जब अनुज्ञप्ति देंगे तो फलां-फलां शर्तें पूरी करने के बाद देंगे। माननीय रामेश्वर लाल जी ने रखा है जिस संस्था को कोई चलाना चाहेगा, उसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहेगा तो जिस वक्त वह किसी बैंक में धन जमा कर देगा और अधिकारी को यह विश्वास हो जायगा कि इतना रुपया उन्होंने जमा किया है और इस रुपये से वह इस संस्था को चला सकेंगे तो उनको यह ठीक ठीक ज्ञान हो सकेगा कि इस संस्था में उनकी रुचि है, नहीं तो इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो संस्था को खोल देते हैं और उसको मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी भावना से प्रेरित होकर इस संशोधन को रखा है। माननीय मंत्री जी को इसको कबूल करना चाहिये।

श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना और मैंने जो समझा वह यही समझा कि जो उपयुक्त धन मैंने रख दिया अपने संशोधन में तो वह साफ होता कि वह धन क्या होगा। मैंने तो माननीय मंत्री जी और सरकार की इच्छा पर ही छोड़ दिया कि जो वह उचित समझें एक संस्था को चलाने के लिए वह नियमों में ठीक किया जाता, इसलिए मैंने वह रख दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने "मान्य बैंक" की बात अपने संशोधन में रखी है, उसमें माननीय मंत्री जी जितना भी धन चाहें जमा करें। मुझे शंका है कि सार्वजनिक संस्थाओं के नाम पर बहुत सी संस्थाएं अपने प्रान्त और देश में चल रही हैं और बहुत बड़ी संस्था में धन आज प्राईवेट तरीकों की तरफ से और व्यापारियों के पास जमा है जो सामाजिक कार्य के नाम पर जनता से लिया जाता रहा है लेकिन वह वसूल नहीं हो पा रहा है। आश्रमों के नाम पर, अनाथालयों के नाम पर, ऐसे बहुत से सामाजिक कार्यों के नाम पर धन जनता से लिया जाता है और अगर व्यापारियों के खाते जांचे जायं तो लाखों रुपया सामाजिक कार्यों के नाम पर जनता से प्राप्त धन उनकी बहियों में जमा मिलेगा। इसलिए मैंने रखा था कि मान्य बैंक में जमा हो और उपयुक्त धन हो।

उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह नियमों में ऐसा ख्याल करेंगे, लेकिन मान्यवर, आप देखेंगे कि जितने भी संशोधन माननीय मंत्री जी ने माने नहीं हैं या उनको मानना उचित नहीं समझा उन सारे संशोधनों के सम्बन्ध में उन्होंने यही कह दिया कि नियमों में ख्याल करेंगे, इससे आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो मान्य नहीं हैं उनके लिए नियमों की बात कह दी गयी। श्रीमन् यदि नियम में व्यवस्था हो सकती है तो नियम

[श्री रामेश्वर लाल]

के ऊपर ज्यादा जोर न दिया जाय और सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव और संशोधन के रूप में सुझाव आयें उन पर विचार किया जाय और उनके हानि-लाभ दोनों को सामने रखा जाय। अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि किसी भी प्रस्ताव से हानि होने वाली है इस प्रान्त का या सम्मानित सदस्यों के उद्देश्य की तो उसको साफ-साफ कहें। यह क्यों कहा जाता है कि नियमों में व्यवस्था कर दी जायगी। यदि विधेयक में व्यवस्था कर दी जायगी तो क्या अंतर हो जायगा। मैं अपने प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वह विचार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वह इस पर विचार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इस संशोधन के सम्बन्ध में यह आश्वासन भी दिलाया और मैं समझता हूं कि यह कार्य कि क्या शर्तें होंगी, वह बोर्ड के अधिकार की बात है। हम बोर्ड को नियुक्त करने जा रहे हैं, हमारा बोर्ड पर विश्वास होना चाहिये कि वह ऐसी शर्तें अवश्य लगायगा जो एक संस्था के चलाने के लिये जरूरी है। मैं समझता हूं कि धन किसी संस्था के पास कितना है इस पर विचार करके ही वह लाइसेंस की स्वीकृति देगा। इस लिये मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ व २९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०

आवधिक प्रमाणन (periodical attestation)

३०---(१) किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समक्ष अपनी अनुज्ञप्ति को प्रमाणन तथा पृष्ठांकन (attestation and endorsement) के लिये प्रस्तुत करेगा।

(२) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रमाणित तथा पृष्ठांकित करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी (licensee) को यह आदेश दे सकता है कि वह अनुज्ञप्त संस्था के विगत दो वर्षों के संचालन के सम्बन्ध में सूचना दे और अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्धक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जहां तक उसकी शक्ति में हो, अपेक्षित सूचना दें।

(३) यदि प्रबन्धक अपेक्षित सूचना नहीं देता अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह विश्वास करने के कारण हों कि संस्था अथवा उसके प्रबन्धक धारा ३१ की उपधारा (१) में उल्लिखित कार्य या कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं तो वह जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा वह अन्यथा निश्चय न करे, अनुज्ञप्तिधारी को आदेश देगा कि वह उन कारणों को बताये कि उसकी अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाय और तत्पश्चात् धारा ३१ और ३२ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों वह धारा ३१ के अधीन किया गया कोई अधिग्रहण (requisition) हो।

(४) जब कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उपर्युक्त सूचना नहीं चाहता तो वह अनुज्ञप्ति को प्रमाणित और पृष्ठांकित करेगा परन्तु ऐसा करते समय वह ऐसी नयी शर्तें भी लगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी कोई नयी शर्त लगाये तो अनुज्ञप्ति तदनुसार परिष्कृत हो जायगी।

श्री नवल किशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शाब्दिक संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३० के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द "करेगा" के पश्चात् का शब्द "वह" निकाल दिया जाय।

मान्यवर, यह एक ही पंक्ति में तीन बार आ गया है।

आचार्य जुगल किशोर---मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द "करेगा" के पश्चात् का शब्द "वह" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३१

अनुज्ञप्ति का रद्द करना।

३१---(१) यदि बोर्ड से परामर्श करने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को समाधान हो जाय कि---

(क) अनुज्ञप्त संस्था अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है; अथवा

(ख) अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्ध (management) संस्था वासियों के नैतिक और शारीरिक उत्कर्ष के लिये निरन्तर असन्तोषजनक अथवा बाधक रहा है; अथवा

(ग) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के मत में अनुज्ञप्त संस्था ने अपने को अन्य किसी प्रकार से अनुपयुक्त कर लिया है, तो वह नोटिस द्वारा अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्धक को आदेश दे सकता है कि वह एक उचित अवधि के भीतर, जो निर्दिष्ट कर दी जायगी, इस बात का कारण बताये कि अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द कर दी जाय।

(२) यदि किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक उपधारा (१) में दिये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होता अथवा यदि उपस्थित होने पर कारण नहीं बता पाता तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ऐसी और जांच कर लेने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे,

(क) या तो अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है और उस दशा में संस्था बन्द कर दी जायेगी और ऐसे दिनांक से, जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निश्चित करे वह अपना कार्य करना समाप्त कर देगी, या

(ख) अनुज्ञप्ति रद्द करने के बजाय, संस्था में ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह निश्चित करे, यथा स्थिति, महिलाओं और बालकों का प्रवेश प्रतिषिद्ध कर सकता है।

(३) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) कोई व्यक्ति आज्ञा प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है।

(४) ऐसी अपील पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी भी रीति से किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन, प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३१ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (२-अ) जोड़ दिया जाय :—

"(२-अ) जब पूर्वांकित उपखंड (२) के भाग (क) के अन्तर्गत कोई अनुज्ञप्ति रद्द हुई है, तो अनुज्ञप्ति अधिकारी संस्था के संचालन के हेतु संस्था के बन्द होने की अवधि तक के लिये ऐसे आदेश, जिनके अन्तर्गत एक अधिशासक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति भी सम्मिलित है, जिन्हें वह संस्था के संचालन के लिये आवश्यक अथवा उचित समझता हो, जारी कर सकता है।"

श्रीमन्, मेरा इस संशोधन से तात्पर्य यह है कि खंड ३० में दिया हुआ है कि किन-किन स्थितियों में उसकी मान्यता समाप्त हो सकती है। यह जो (क) है इसमें यह है कि उसकी अनुज्ञप्ति खत्म हो सकती है और संस्था बन्द हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि इस बीच में उसके असेट्स का क्या होगा। यह भी हो सकता है कि उसकी सम्पत्ति को नष्ट किया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रावीजन आ जाय कि उसको अधिकार हो कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइंट कर दे और वह फाइनल फैसला होने तक उसके असेट्स को टेक ओवर कर ले। मुझे आशा है कि मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं इसको आवश्यक समझता हूं और स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—शब्द पूर्वोक्त हैं या पूर्वांकित।

श्री नवलकिशोर—पूर्वोक्त कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—वह तो जो शब्द आप रक्खेंगे वही मैं रखूंगा। आपने पूर्वोक्त ही कहा था।

श्री नवल किशोर—पूर्वोक्त ही होना चाहिये। उसके कंटीनुएशन में है यह।

श्री जयराम वर्मा—पूर्वांकित की तो कोई जरूरत नहीं। अगर रखना ही है तो पूर्वोक्त रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप कोई भी नहीं चाहते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर शब्द को रखना ही है तो "उपर्युक्त" रखना चाहिये और पंक्ति २ में "अनुज्ञप्त" लिखा हुआ है वह "अनुज्ञप्ति" होना चाहिये और तीसरी लाइन में "अधिशासक" की जगह "प्रशासक" होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इनको आप स्वीकार करते हैं माननीय नवल किशोर जी ?

श्री नवल किशोर—मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह तो शब्दों की बात है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं संशोधित रूप में रखता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ३१ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (२-अ) जोड़ दिया जाय—

"(२-अ) जब उपर्युक्त उपखंड (२) के भाग (क) के अन्तर्गत कोई अनुज्ञप्ति रद्द हुई है, तो अनुज्ञप्ति अधिकारी संस्था के संचालन के हेतु संस्था के बन्द होने की अवधि तक के लिए ऐसे आदेश, जिनके अन्तर्गत एक प्रशासक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति भी सम्मिलित है, जिन्हें वह संस्था के संचालन के लिये आवश्यक अथवा उचित समझता हो, जारी कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३२

३२—अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्त संस्था की अनुज्ञप्ति रद्द कर देने के पश्चात् बोर्ड के परामर्श से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी महिला अथवा बालक जो उक्त संस्था का वासी है, अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रभाव।

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्त संस्था को, जहां कहीं ऐसी संस्था हो; स्थानान्तरित कर दिया जाय; अथवा

(ख) यथास्थिति उसके माता, पिता, पति अथवा अभिभावक की अभिरक्षा में वापस दे दिया जाय; अथवा

(ग) किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देख-रेख में दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य जुगल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरी गलती हो गयी। खंड ३२ का जो संशोधन है कि पंक्ति २ के शब्द "बोर्ड के परामर्श से" निकाल दिये जायं यह मुझे स्वीकार है और यह आवश्यक भी है। मैं चाहता हूं कि ये शब्द निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—किसी को इसमें आपत्ति तो नहीं है इसको फिर से उपस्थित करने में?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो मैं इस पर राय लिये लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ३२ की पंक्ति २ के शब्द "बोर्ड के परामर्श से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

३३—किसी ऐसी संस्था के लिये, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर पहले से ही सम्बद्ध क्षेत्र में वर्तमान हो, अनुज्ञप्ति का प्रार्थना-पत्र उक्त दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, दिया जायगा और तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति के प्रार्थना-पत्र संबंधी इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे प्रार्थना-पत्र के देने और उसकी सुनवाई के संबंध में लागू होंगे। वर्तमान संस्थाओं के लिये अनुज्ञप्ति का प्रार्थना पत्र।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३३ की पंक्ति ४ के अन्त में शब्द "प्रार्थना-पत्र" के उपरान्त शब्द "तथा अपील" जोड़ दिये जायं।

इस विधेयक में ऐसा प्रतीत होता है कि जहां नये लाइसेंस कोई विधवाश्रम या अनाथालय के लिये लेना चाहें वह अगर अस्वीकृत हों तो उसके लिये तो अपील की गुंजाइश है, लेकिन जो पहले से विद्यमान संस्थायें हैं अगर वे लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दें और वह

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

अस्वीकृत हो जायं तो उनके लिये कोई गुंजाइश इस विधेयक में अपील की नहीं है। यह उचित ही था कि इसमें यह गुंजाइश रखी जाती। इसलिये यह संशोधन मैंने इसमें उपस्थित किया है और आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे स्वीकार है लेकिन इसमें एक शाब्दिक परिवर्तन होना जरूरी हो जायगा। इसी खंड की आखिरी पंक्ति में शब्द "उसकी" के जगह पर "उनकी" कर दिया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—जी हां, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ की पंक्ति ४ के अन्त में शब्द "प्रार्थना-पत्र" के उपरान्त शब्द "तथा अपील" जोड़ दिये जायं तथा अंतिम पंक्ति में शब्द "उसकी" के स्थान पर शब्द "उनकी" कर दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय मलखानसिंह जी और माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने भी इस प्रकार के संशोधन दिये हैं। इसके स्वीकृत होने के बाद उनकी आवश्यकता नहीं रही।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड ३४

वर्तमान संस्थाओं का जारी रहना।

३४—(१) धारा ३३ में अभिदिष्ट (referred to) कोई संस्था धारा २४ में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण (disposal) होने तक पूर्ववत् संधारित और संचालित (maintained and conducted) होती रहेगी।

(२) यदि ऐसी संस्था को अनुज्ञप्ति देने के संबंध में दिया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति जो उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, उस संस्था को तुरन्त बन्द कर देने के संबंध में कार्यवाही करेगा और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अभिदिष्ट दिनांक से पूर्व उसे बन्द करने के लिये बाध्य होगा।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "अस्वीकार" के स्थान पर शब्द "अस्वीकृत" कर दिया जाय। यह केवल व्याकरण की भूल रह गई है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—मैं इसको भी स्वीकार करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "अस्वीकार" के स्थान पर शब्द "अस्वीकृत" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "प्रार्थना-पत्र" तथा "अस्वीकृत" के बीच में शब्द "अंतिम रूप से" जोड़ दिये जायं।

यह भी उसी आशय से संशोधन उपस्थित किया गया है जिस आशय से कि मैंने अपना संशोधन खंड ३३ में रखा था। यह कांस्क्विंशियल है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "प्रार्थना-पत्र" तथा "अस्वीकृत" के बीच में शब्द "अंतिम रूप से" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और शब्द "उसे" के बीच शब्द "अथवा" जोड़ दिया जाय तथा शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जो पंक्ति ३ इस प्रकार से लिखी है "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के लिये कि जो भी उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है।" अब स्वामी है उस संस्था का अथवा संधारित करता है, जिस रूप में यह शब्द लिखे हुए हैं उससे यह स्पष्ट नहीं है कि जो उस संस्था का स्वामी है और उस संस्था को संधारित अथवा संचालित करता है या उनमें से कोई हो, मेरा ख्याल है कि इसमें वह कोई काम करता हो, चाहे स्वामी हो, अथवा संचालित करता हो अथवा संधारित करता हो, सबके लिये यह नियम लागू होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको स्पष्ट करने के लिये जहां पर यह कामा लिखा हुआ है वहां पर शब्द "अथवा" जोड़ दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है। चाहे वह उसका स्वामी हो अथवा उसको संधारित करता हो। चूंकि दोबारा "अथवा" आता है तो "अथवा" की जगह भी "या" कर दिया जाय। इससे भाषा स्पष्ट हो जाती है और अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और शब्द "उसे" के बीच शब्द "अथवा" जोड़ दिया जाय तथा शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "प्राधिकारी" तथा शब्द "द्वारा अभिदिष्ट" के बीच में शब्द "अथवा बोर्ड" रख दिये जायं।

इसमें यह लिखा हुआ है कि "उस संस्था को तुरन्त बन्द कर देने के संबंध में कार्यवाही करेगा और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अभिष्ट दिनांक से पूर्व उसे बन्द करने के लिये बाध्य होगा"। तो यह बन्द तभी होगा जब कि बोर्ड का निर्णय होगा। जब वह निश्चित करेगा तभी यह बन्द करेगा। चूंकि पहले अपील की गुंजाइश नहीं थी और जब यह चीज इसमें बढ़ा दी गई है, जब पहले बोर्ड के द्वारा निश्चित होगा तभी प्राधिकारी के द्वारा निश्चित होगा। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं इसके उद्देश्य को समझा नहीं हूं। जहां तक मेरा ख्याल है कि "इस उपखंड में केवल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अभिदिष्ट दिनांक से पूर्व उसे बन्द करने के लिये बाध्य होगा" बोर्ड की आज्ञा होने पर प्राधिकारी ही उसको बन्द करने के लिये आज्ञा जारी करेगा। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी आदेश दिया जायगा वह लाइसेंसिंग अथारिटी के द्वारा पहुंच जायगा, इसलिये इस बोर्ड को रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, उसको अपील का अधिकार जब दिया गया है तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा वह बोर्ड का होगा तो बोर्ड अपील के वक्त निर्णय अगर यह देता है कि यह संस्था बन्द कर दी जाय तो प्राधिकारी को वह आदेश नहीं होगा बल्कि बोर्ड का आदेश होगा यह किसके द्वारा वहां दिया जायगा यह अच्छी तरह से इसमें आना चाहिये। इसमें अपील का नाम नहीं था। इस वजह से सिर्फ प्राधिकारी का नाम दिया गया, बोर्ड का जिक्र नहीं किया गया था। चूंकि अब बोर्ड के पास अपील जायगी इसलिये जो बोर्ड का आदेश होगा उसमें यह हो सकता है कि यह किसी निश्चित तारीख तक बन्द हो जाय। तो बोर्ड के आर्डर को लीगलाइज करने के लिये यह शब्द होने चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि बोर्ड शब्द का रखना उचित होगा और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है।

आचार्य जुगल किशोर—मुझे अभी तक इसका उद्देश्य समझ में नहीं आया कि इसके रखने से क्या फायदा होगा? वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि इसका मतलब यह हो कि लाइसेंस अथारिटी को यह अधिकार होगा कि वह आदेश दे.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यदि इसको स्वीकार कर लिया गया तो उस दशा में तो वह बोर्ड द्वारा दिये गये आदेश को पालन करेगा चाहे वह कोई भी नीचे का अधिकारी हो वह उसको करेगा। तारीख का कायम करना बोर्ड का काम होगा, लेकिन इसमें जैसा अब है वह सिर्फ प्राधिकारी कर सकता है। अभी जो कुछ लिखा है उसके हिसाब से अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ही कोई दिनांक मुकर्रर करेगा। लेकिन जहां तक फैसले की बात है वह दोनों के लिये लागू है। यह उसका अर्थ होता है। अब इस अर्थ को सामने रखकर आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं?

आचार्य जुगल किशोर—मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "अभिदिष्ट" के स्थान पर शब्द "निर्दिष्ट" रख दिया जाय तथा पंक्ति ५ में शब्द "से पूर्व" के स्थान पर शब्द "तक" रख दिया जाय।

श्रीमान, जी यहां पर भी भूल से अभिदिष्ट प्रयुक्त हो गया है। निर्दिष्ट शब्द के अर्थ में यह प्रयुक्त किया गया है। स्पैसीफाइड से मतलब है कि प्राधिकारी द्वारा जो दिन नियत किया जाय। तो यह निर्दिष्ट ही होना चाहिये। जब समय निर्दिष्ट हो जाय, जो समय निर्दिष्ट होगा, तो उससे पूर्व बन्द करने के लिये वह बाध्य होगा। यह भी ठीक नहीं मालूम पड़ता है। इसलिये "से पूर्व" की जगह "तक" होना चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इन्हें स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—अभिदिष्ट के बजाय निर्दिष्ट को मैं स्वीकार करता हूं। परन्तु दूसरे को मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। अगर आज ३१ तारीख है तो "तक" का मतलब है कि आज भी और "से पूर्व" का मतलब है ३० तक। "से पूर्व" का

मतलब है १ दिन पहले। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता था कि पूर्व शब्द भी काफी होगा। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "अभिदिष्ट" के स्थान पर शब्द "निर्दिष्ट" रख दिया जाय और पंक्ति ५ में शब्द "से पूर्व" के स्थान पर शब्द "तक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड ३५

३५---(१) यदि धारा ३३ के अनुसार उसमें अभिदिष्ट के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र न है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को, जो भी उस संस्था व उसे संधारित अथवा संचालित करता है, इस आशय का नोटिस भेजेगा कारण बताये कि उस संस्था के बारे में यह क्यों न समझा जाय के लिये पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही उसका स्वाम उसे संधारित या संचालित करता था।

(२) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (१) के अ तामील हो गयी हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थि और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पा के लिये प्रार्थना-पत्र न दे सकने के पर्याप्त कारण थे और वह तत्क पत्र दे देता है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नोटिस को रद्द कर देगा और उसके प्रार्थना-पत्र को ले लेगा तथा उस पर इस प्रकार से विचार करेगा मानों वह धारा ३३ के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त प्रार्थना-पत्र हो।

(३) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थित न हो, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यह आज्ञा देगा कि उस संस्था को ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बन्द कर दिया जाय। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील करेगा जो उस संस्था का स्वामी है अथवा उसे संधारित या संचालित करता है।

(४) यदि वह संस्था जिसके बारे में उपधारा (३) के अधीन कोई आज्ञा दी जा चुकी है आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् कार्य करती रहती है तो यह समझा जायगा कि वह संस्था पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही स्वामित्व में रही है अथवा स्थापित, संधारित अथवा संचालित रही है।

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "है" तथा शब्द "उसे" के बीच कामा का चिन्ह के स्थान पर शब्द "अथवा" और पंक्ति ४ में शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय।

यह संशोधन जो खंड ३५ में उपस्थित किया गया है, उसी तरह का संशोधन खंड ३४ में भी स्वीकृत हो चुका है, इसलिये इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता मालूम नहीं होती। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—जो संशोधन माननीय जयराम वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है वह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "है" तथा शब्द "उसे" के बीच कामा का चिन्ह के स्थान पर शब्द "अथवा" और पंक्ति ४ में शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ का शब्द "ऐसे" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस धारा की पंक्ति ३ में यह लिखा हुआ है कि "जो भी उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, इस आशय का नोटिस भेजेगा कि वह ऐसे कारण बताये कि उस संस्था के बारे में यह क्यों न समझा जाय।"

अब यह "ऐसा" शब्द और किसी से संबंधित नहीं है इसलिये इसका प्रयोग व्यर्थ ही हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका निकाला जाना स्वीकार किया जायगा।

आचार्य जुगल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ का शब्द "ऐसे" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "उस संस्था" के स्थान पर शब्द "उसके" रख दिया जाय। श्रीमन्, उसमें लिखा हुआ है कि—

"उस व्यक्ति को जो उस संस्था का स्वामी है, उसे संधारित अथवा संचालित करता है, इस आशय का नोटिस भेजेगा कि वह ऐसे कारण बताये कि उस संस्था के बारे में यह क्यों न समझा जाय कि वह संस्था के लिये पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही उसका स्वामी था अथवा उसे संधारित या संचालित करता था।"

इसमें शब्द है "उस व्यक्ति को नोटिस देगा" जब उस व्यक्ति को नोटिस देगा तो उसके बारे में यह क्यों न समझा जाय कि वह बगैर लाइसेंस प्राप्त किये ऐसा काम कर रहा है, लेकिन इसमें लिखा गया कि संस्था के बारे में ऐसा समझा जाय, तो यह जो लिखा गया है उससे भाषा ठीक नहीं रह जाती, भाषा जरा अस्पष्ट सी हो जाती है। उस व्यक्ति के बारे में ही क्यों न समझा जाय जिसको आप नोटिस देते हैं, कि वह ऐसा काम बिना लाइसेंस के कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि यह भाषा का संशोधन है और मेरे संशोधन को मान लेने से भाषा स्पष्ट हो जायगी।

आचार्य जुगल किशोर—मैं तो समझता हूं कि जो इसमें दिया गया है इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह साफ माने बतलाता है, इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—माननीय मंत्री जी को यह स्वीकार नहीं है तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "लिये" के पश्चात् शब्द "उसके पूर्व" जोड़ दिया जाय।

यह खंड इस प्रकार से है—"(२) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील हो गयी हो, नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक के पहले उपस्थित होता है और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र न दे सकने के पर्याप्त कारण थे।" तो जिस वक्त प्रार्थना-पत्र नहीं दिया उसके पहले वह ऐसा करने में असमर्थ था तो वह समाधान कर देता है। इसलिये मैंने "उसके पूर्व" ये शब्द जोड़ दिये हैं। जिस वक्त वह हाजिर होता है उसके पहले ऐसा करने में वह असमर्थ था इसलिये वह समाधान कर देता है। इस तरह से इसके अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं "उसके पास अनुज्ञप्ति के लिये उसके पूर्व प्रार्थना-पत्र न दे सकने के पर्याप्त कारण थे।"

आचार्य जुगलकिशोर—मैं समझता हूं कि जो संशोधन दिया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखलाई पड़ती है। काफी स्पष्ट है जो इसमें दिया हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें तो अच्छा ही होगा। इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ के शब्द "बिना ही" के बाद शब्द "उस व्यक्ति के" बढ़ा दिये जायं।

इससे थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाता है और उसके द्वारा जो कि मैंने पेश किया है उनसे वह उपखंड ज्यादा जुड़ भी जाता है। मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायगा।

आचार्य जुगल किशोर—मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ के शब्द "बिना ही" के बाद शब्द "उस व्यक्ति के" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६

३६—इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञप्ति संक्राम्य (transferable) न होगी। अनुज्ञप्ति का संक्रामण।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७

३७—यदि कोई व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी संस्था का स्वामित्व ग्रहण करता है अथवा उसे संधारित, स्थापित या संचालित करता है, चाहे प्रबन्धक के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में अथवा अन्य किसी प्रशासकीय हैसियत से अथवा उस संस्था के संधारण, स्थापन या संचालन में, अथवा इस अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (४) में निर्दिष्ट किसी सेवा के संपादन में सहायता करता है तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जिसके लिये ५०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। बिना अनुज्ञप्ति के कार्य करने पर दण्ड।

(१) ऐसी किसी भी संस्था के वासियों को वहां से हटाया जा सकेगा तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के स्वविवेकानुसार अन्य किसी अनुज्ञप्त संस्था में रक्खा जा सकेगा।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है उसकी भाषा में थोड़ा सा मैंने संशोधन कर दिया है। आपकी आज्ञा से मैं उस संशोधन की भाषा को पढ़ देता हूं—

"धारा ३७ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा (२) जोड़ दी जाय और विधेयक की उपधारा (२) को (३) कर दिया जावे।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के आधीन अर्थदंड और दंड्य अपराध करने के निमित्त किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध हो चुका हो, उसी अपराध के लिये दूसरी बार अथवा उसके पश्चात् दोषी पाया जाय तो वह कारावास के दंड का जिसकी अवधि ६ महीने तक हो सकती है अथवा अर्थदंड का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दंड का भागी होगा।"

मेरा इस संशोधन से मान्यवर, अभिप्राय यह है कि अभी तक जो खंड ३७ था उसमें यह था कि जो भी व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए हुए किसी ऐसी संस्था को संचालित करेगा तो उस पर ५०० रुपया जुर्माना होगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई हेबिचुअल आफेंडर हो जाय और इस तरह के कार्य करता रहे तो इसमें उसके लिए कोई प्राविजन नहीं है। मेरे इस संशोधन से यह चीज स्पष्ट हो जाती है और इसमें यह भी है कि अगर वह दूसरी बार ऐसा काम करेगा तो उसके लिए दंड की मात्रा भी अधिक कर दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—२२-क पर आगे जो माननीय पालीवाल जी का संशोधन है वह भी इसी संबंध में है, मैं उसको पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह कहां पर होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह अन्तिम पंक्ति का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३७ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति के अन्त से विराम चिन्ह हटा कर निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"तीन महीने तक की सजा दी जा सकती है"।

श्रीमन्, जो प्रथम अपराध करेगा उसके लिए ५०० रुपए तक के जुर्माने की सजा रखी गई है और अपराध ऐसा भी हो सकता है जो अनैतिकता वगैरा का गम्भीर आचरण का अपराध हो सकता है और दूसरे प्रकार के भी गम्भीर अपराध हो सकते हैं। इसलिए केवल ५०० रुपए का जुर्माना ही रखना उचित नहीं है और इसके साथ-साथ प्रथम अपराध के लिए ३ मास का दंड भी होना चाहिए। मैं श्री नवल किशोर जी के संशोधन से सहमत हूं, उनका संशोधन दूसरे अपराध के लिए है। उन्होंने दूसरे अपराध में ६ मास तक की सजा, १००० रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड की सजा रखी है। वह ठीक है लेकिन पहले आफेन्स में भी उसका आधा यानी ३ मास का दंड ५०० रुपए के जुर्माने के साथ रखा जाय। आशा है कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और माननीय नवल किशोर जी ने जो संशोधन रखा है उसको भी स्वीकार करेंगे, दोनों ही ठीक हैं।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवल किशोर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं यह बहुत ही जरूरी है और उसके बाद जो मेरा प्रस्ताव आगे है उसको वापस लेता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम की घंटी बजाई गयी ।)

श्री रामेश्वर लाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए आश्वासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं . . . .

श्री शिवनारायण—आप बैठ जायं अभी कोरम की घंटी बज रही है ।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर कोरम के विषय में एक दो बार यदि यही घटना घटी तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि इस वक्त सदन स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं ऐसा प्रबन्ध हो जायगा कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।]

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—मैं अपने इस प्रस्ताव के बजाय श्री नवल किशोर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और जो मेरा प्रस्ताव आ गया है उसको वापस लेता हूं । मैं समझता हूं उस प्रस्ताव में सब आ जाता है । अपराध करने पर यदि आप देखते हैं कि जुर्माने की सजा काफी नहीं है तो कारावास की सजा दी जाय । क्योंकि यह हो सकता है कि वह रुपया काफी कमाता है तो जुर्माना उसके लिए कोई बड़ी सजा नहीं होगी, इसलिए कैद होना बिलकुल जरूरी है । दोबारा करे तो अवश्य कैद की सजा होनी चाहिये । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—उपाध्यक्ष महोदय, इन दो संशोधनों के बजाय मैं तो यह ज्यादा उचित समझता था कि पहले ही खंड में यह कर दिया जाता कि ऐसे अपराध के लिए दोषी होगा तो ६ महीने का कारावास अथवा हजार रुपया जुर्माना किया जा सकता है और यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया जाता कि जैसा उसका अपराध हो उसके अनुसार वह सजा दे । क्योंकि पहला अपराध ही इतना जघन्य हो सकता है कि जिसमें कारावास देने की जरूरत पड़े और अगर कारावास पहले अपराध में नहीं दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि ५०० रुपया का जुर्माना तो ऐसी चीज है जिससे निर्भयता पूर्वक कोई किसी तरह का अपराध कर सकता है और जो बातें हमने रिपोर्टों में पढ़ी हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह से स्त्रियों का व्यापार हो रहा है, बच्चों को पैसा मांगने के लिए भेजा जाता है, उसकी कमाई लोग खुद खा रहे हैं, स्त्रियों को बेचा जाता है, ये सब काम हो रहे हैं उनके लिए ५०० रुपये का दंड मैं समझता हूं बिलकुल अपर्याप्त है और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें वह डिस्क्रिमिनेशन कोर्ट को दे दें कि अगर कोर्ट पहले अपराध करने पर भी दंड देना चाहे कारावास का और वह अपराध को देखते हुए दिया जायगा, तो दे सके । तो ६ महीने का कारावास और या हजार रुपये का जुर्माना इस तरीके से किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि मामूली अपराध है तो कोर्ट को कारावास देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि सबको पहली बार अपराध करने की निर्भयता रहेगी और इस ऐक्ट की लोग परवाह नहीं करेंगे । मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत आवश्यक है और मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री शिवनारायण—मान्यवर, यह ऐक्ट जो हमारे सामने है, यह बिल एक्सपेरिमेंटल है । समाज में समाज-सेवक लोग काम कर रहे थे, समाज ही का काम कर रहे थे, कोई जुर्म नहीं कर रहे थे, सरकार ने बहुत अहतियात के साथ ताकि क्रिटिसिज्म न हो ५०० रुपया

[श्री शिवनारायण]

जुर्माना रख दिया है ताकि लोग सम्भल जायं और कमियां दुरुस्त हो जायं। फिर भी बिल में यही आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट धीरे-धीरे अधिकार कर लेगी तो ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नौकरों पर जुर्माना हो जायगा जो सरकार की गायडेंस में हों। यह तो एहतियात के तौर पर रख दिया कि अगर गलती होगी तो ५०० रुपया जुर्माना और जब-जब पकड़े जायंगे तो ५०० रुपया जुर्माना हो सकता है। कारावास की बात कर रहे हैं तो कोई कतले-आम नहीं हो रहा है। अगर ६ महीने के कारावास की राय हाउस की है तो उससे मैं ऐग्री करता हूं। यह ५०० रुपया ठीक है। मैं समझता हूं कि जो बिल में प्रबन्ध है वह सुन्दर है, उसका समर्थन करता हूं और बकियों का विरोध करता हूं।

श्री रामसेवक यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी विचार श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने व्यक्त किये उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं और वास्तव में इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि कोई लाइसेंस लिये बगैर कोई कार्य करे तो ५०० रुपया जुर्माना या सजा, या दोनों ही होने चाहिये और इसके बाद यह धारा कि अगर एक बार सजा हो जाय और उसके बाद दोबारा फिर इस तरह का मामला फंसे तो उसे ज्यादा सजा देना चाहिये। यह सिद्धान्ततः ठीक नहीं है क्योंकि उसका दूसरा जो कार्य होगा वह इंडिपेंडेन्ट ऐक्ट होगा। पहले ऐक्ट से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आज तक जो भी सिद्धान्त हैं जूरिस्प्रुडेंस के उसमें यह चीज देखी जाती है कि पहले अपराध से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। तो इस तरह की जो चीज लाई जा रही है वह ठीक बात नहीं होगी। इस सदन का इससे मतलब भी हल हो जायगा कि पहले अपराध में उसे सजा या जुर्माना या दोनों दिये जायं लेकिन बाद को जो रेकरिंग चीज बनाई जा रही है इस तरह की चीज ठीक नहीं होगी। पंचायत राज ऐक्ट के सिलसिले में इसी तरह से कुछ रेकरिंग फाइन के सम्बन्ध में मुकदमे चले। हाईकोर्ट तक गये और वहां कानूनी अड़चन पड़ी और उनको उन्हें रद्द करना पड़ा। इस धारणा पर कि दुगुनी या तिगुनी सजा मिले यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं कि यदि इसको रखना है तो पहले ही ऐक्ट में व्यवस्था कर दीजिये जुर्माने की या सजा की या दोनों की लेकिन कानून एक बार तोड़ने पर अगर दोबारा करता है तो दुगुनी या तिगुनी सजा रखना ठीक नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं श्री नवलकिशोर जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका तो समर्थन और जो खंड ३७ में माननीय पालीवाल जी का संशोधन श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा रक्खा गया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आप खंड ३७ को देखें जो मैं अक्षरशः पढ़ देना चाहता हूं "यदि कोई व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी संस्था का स्वामित्व ग्रहण करता है अथवा उसे संधारित, स्थापित या संचालित करता है, चाहे अधिकारी के रूप में अथवा अन्य किसी प्रशासकीय हैसियत से अथवा उस संस्था के संधारण, स्थापन या संचालन में, अथवा इस अधिनियम की धारा २- की उपधारा (१) के खंड (४) में निर्दिष्ट किसी सेवा के संपादन में सहायता करता है तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जिसके लिये ५०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।" और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी चाहते हैं कि तीन महीने तक सजा दी जा सकती है इसके आगे बढ़ा दिया जाय।

मान्यवर, खंड ३७ (१) जिसको मैंने आपकी आज्ञा से पढ़ा उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस संस्था के संधारण, संस्थापन और संचालन इन तीनों कार्यों में यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाला आदमी कुछ गड़बड़ी करता है तो उसे ५०० रुपये जुर्माना हो जाय। भाषण देते हुए माननीय तिवारी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बड़ा अनैतिक कार्य कर सकता है, इसलिये जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने की सजा भी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यहां अनैतिक कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, अमानवीय कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध तो

इससे है कि वह यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में कोई आनाकानी करता है, धृष्टता करता है और उसके संधारण, संस्थापन और संचालन में गड़बड़ी पैदा करता है तो ५०० रुपये तक जुर्माना हो। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि समाज कल्याण के लिये बनाया गया बोर्ड हर एक चीज को समाज कल्याण की भावना से ही देखेगा और इस सदन को भी श्रीमन, देखना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ५०० रुपये तक जुर्माने की जो व्यवस्था की गई है इस कार्य के लिये वह कोई कम है। इसलिये मैं तिवारी जी से कहूंगा कि इस पर वह पुनः विचार करके कम से कम इसे वापस ले लें और माननीय नवलकिशोर जी का जो प्रस्ताव है उसे ही स्वीकृत होने दें।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि हमारे माननीय तिवारी जी का संशोधन है उसको तो स्वीकार करने में दिक्कत है इस खयाल से कि यह जो संशोधन उन्होंने दिया है वह इस धारा २७ से सम्बन्धित है। उसमें यदि कोई व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी संस्था का स्वामित्व ग्रहण करता है उसके बारे में है। सम्भव है कुछ ऐसे व्यक्ति हों, उनकी ऐसी कोई मंशा भी न हो, लेकिन उनको इस बात का पता न हो कि इस तरह का लाइसेंस लेने का कोई नियम बना है या नहीं। तो ऐसी हालत में उसके लिये वार्निंग देना या ५०० रु० जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर दुबारा करता है तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने अनजानेपन में नियम का उल्लंघन किया है। तो तब उसको सजा देना मुनासिब होगा। इसलिये मैं समझता हूं जो संशोधन माननीय नवलकिशोर जी ने पेश किया है वह काफी है। पहले आफेंस के लिये केवल ५०० रु० जुर्माना। दूसरे आफेंस के लिये उसको कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी एक हजार रु० हो सकता है। मैं समझता हूं सामाजिक ऐसे नियमों में और कारणों के लिये जहां तक हो सके सजा की बात पहले पहल न रखी जाय। अगर बोर्ड समझता है कि लाइसेंसिंग अथारिटी समझती है, गवर्नमेंट समझती है कि यह जान करके लाइसेंस नहीं ले रहा है, मान्यता के लिये ऐप्लीकेशन नहीं देता है तब उसको सजा देने के लिये गवर्नमेंट बाध्य हो जायगी और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। ऐसी हालत में मैं समझता हूं माननीय तिवारी जी भी इस बात को समझेंगे कि पहले आफेंस के लिये किसी सोशल वर्कर को, उसकी अच्छी इंटेंशन है लेकिन उसको जानकारी नहीं है, तो ऐसी हालत में उसके ऊपर सिवाय इसके कि ५०० रु० जुर्माना हो जाय और कोई सजा देने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिये मैं तिवारी जी के संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया उसको सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अगर किसी को कानून का पता न हो। तो वैसे तो बहुत से कानून गजट में छपते हैं और बहुतों को मालूम नहीं होते, कितने ही नियम ऐसे होते हैं। तो यह तो जूरिस्प्रुडेंस का सामान्य सूत्र है: "इनगोरेंस आफ ला इज नो ऐक्सक्यूज। "*Ignorantia junis non exuseta*" वह तो ठीक है। अगर सामान्य न्याय के अनुसार डिक्टम गलत है तो ठीक है। मैं समझता हूं मंत्री जी इस बात को आगे भी ध्यान रखेंगे जो उक्ति मैंने उनसे कही है, इसकी मेरी उनसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति के अन्त से विराम चिन्ह हटा कर निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं।

"तथा तीन महीने तक की सजा दी जा सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि खंड ३७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखंड (२) जोड़ दिया जाय और उपखंड (२) को (३) कर दिया जावे—

[श्री उपाध्यक्ष]

"(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन अर्थ दंड द्वारा दंड्य अपराध करने के निमित्त किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध हो चुका हो, उसी अपराध के लिये दूसरी बार अथवा उसके पश्चात् दोषी पाया जाया, तो वह कारावास के दंड का जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है अथवा अर्थदंड का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों दंड का भागी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन पर रखा था उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—वह संशोधन गिर गया। श्री तिवारी जी के संशोधन के साथ वह भी गिर गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, उनका संशोधन भी प्रस्तुत होना चाहिये इसके पहले।

श्री उपाध्यक्ष—आवश्यक तो नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, एक प्रार्थना और है। "अर्थ दंड से दण्डनीय" शब्द हटा दें अन्यथा क्या होगा कि अगर किसी केस में उन्होंने कोई जुर्माना नहीं किया और वार्निंग दे दी तो ऐसा केस कोई नहीं आयेगा इसमें। खाली "अधीन किसी अपराध का दोषी" लिख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब तो इसके लिए समय नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—उपाध्यक्ष महोदय, उस पर बिना वोटिंग के ही वह गिर गया ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं जब वह संशोधन ही पास नहीं हुआ है तो संशोधन पर संशोधन का कोई सवाल नहीं उठता। क्या सदन का यह मत है.....

श्री रामसेवक यादव—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि यह सम्भव है कि सदन का मत यह हो कि वहां पर छः महीने का कारावास रख दिया जाय और हजार रुपये जुर्माने की सजा रख दी जाय। तो वह इस वजह से माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन तो रद्द कर दिया, लेकिन मेरा जो उस संशोधन में संशोधन था उसको हो सकता है कि यह सदन स्वीकार कर ले। इसलिये मैं समझता हूं कि उस पर वोट तो हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम १७८ के खंड (२) की ओर खींचना चाहता हूं—

"It shall be in the discretion of the Speaker to put first to the vote either the original motion or any of the amendment which may have been brought forward.

तो इस आप्शन के मुताबिक मैंने ओरिजनल को रख दिया और जब ओरिजनल गिर गया तो माननीय सदस्य का संशोधन भी गिर जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उनका सेपरट अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि तीन अमेंडमेंट्स नहीं चल रहे थे, केवल दो अमेंडमेंट्स चल रहे थे।

श्री शिवनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं जरा एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब इस सदन की भाषा हिन्दी है तो हिन्दी में पढ़ना चाहिए न कि अंग्रेजी में। जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो आब्जेक्शन हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके हिन्दी में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—यह ठीक है। लेकिन नियमों की जो कापी मिली उसे पढ़कर सुना दिया।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—आपका निर्णय तो मान्य है लेकिन जो आपने पढ़ा है उसका मतलब तो यही है कि जिसको चाहे उस पर पहले वोट ले सकते हैं। उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि उस पर कहीं वोट नहीं लिया जायगा। यह जो आपने पढ़ा उससे ऐसी बात तो नहीं निकलती है। मेरा संशोधन जो था वह संशोधन पर संशोधन था। तो बिना मेरे संशोधन पर वोट लिए ही वह कैसे गिर गया। जैसे मैंने निवेदन किया कि सम्भव है कि सदन का यह मत हो कि वहां ६ महीने का कारावास और १ हजार रुपये की सजा होनी चाहिए, तो वह मेरा संशोधन स्वीकार कर सकते हैं। इस वजह से मैंने निवेदन किया था। वैसे आपका जो फैसला होगा वह मुझे मान्य है।

श्री उपाध्यक्ष—तो मैंने अपना निश्चय तो आपको बता दिया अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उस पर भी वोटिंग ले लूं। लेकिन यह आपने लिखकर कोई संशोधन दिया नहीं। आप अपने भाषण के बीच में कुछ बातें कह गये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—वह तो शाब्दिक था थोड़ा ही सा, इसलिए मैंने कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आपके पास कोई विशेष संशोधन हो और आपको यह आशा हो कि उसे सदन स्वीकार कर सकता है तो आप वह लिखकर मुझे दे दीजिए। मैं उस पर राय ले लूंगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं अभी एक सेकेंड में दिये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "५०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"छः महीने के कारावास अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—७

विपक्ष में—४५।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

अनुज्ञप्ति का अर्पण (Surrender) तथा उसका प्रभाव।

३८—(१) किसी अनुज्ञप्ति संस्था का प्रबंधक संस्था की अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है परन्तु उसे ऐसा करने के निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में छः मास का नोटिस देना होगा यदि इस समय के पूर्व नोटिस वापस न ले लिया जाय तो नोटिस के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर अनुज्ञप्ति तदनुसार रद्द हो जायगी और संस्था कार्य करना बन्द कर देगी।

(२) अनुज्ञप्ति रद्द करने के नोटिस के दिनांक के पश्चात अनुज्ञप्त संस्था में कोई भी महिला अथवा बालक ग्रहण न किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द होने तक की छः मास की अवधि में संस्थावासियों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने (to teach, train, lodge, clothe and feed) का प्रबन्धक का कर्त्तव्य यथावत बना रहेगा।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के अन्तिम शब्द "अनुज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "पूर्वोक्त उपधारा १ में उल्लिखित" रख दिये जायं।

इससे मेरा केवल अभिप्राय यह है कि इससे और अधिक स्पष्टीकरण हो जाता है।

आचार्य जुगलकिशोर—स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के अन्तिम शब्द "अनुज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "पूर्वोक्त उपधारा (१) में उल्लिखित" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(३) जब उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति (Licence) के निरसन (Cancellation) के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया गया हो तो अनुज्ञप्ति (Licence) देने वाला प्राधिकारी, यदि वह किसी विशेष मामले में ऐसा करना आवश्यक समझे, ऐसी अवधि के लिये और उसमें ऐसे अधिकार निहित करते हुए, जो नियत किये जायं, संस्था का एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है। जब उपर्युक्त प्रकार से प्रशासक की नियुक्ति हो गयी हो तब तक संस्था का प्रबन्धक या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके ऊपर संस्था के प्रबन्ध का भार हो, प्रशासक के आदेशों के अनुसार संस्था को चलाने के लिये बाध्य होगा।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, सरकार जो अमेंडमेंट्स मूव करती है मैं समझता हूं कि उसकी कापियां हमको दी जाती थीं। आज हमें एक की भी कापी नहीं मिल रही है। मैं अपोज करता हूं इस अमेंडमेंट को।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप चाहें तो एक कापी आपको दे दी जायगी।

श्री शिवनारायण—आज जितने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी, वे सब ज़बानी ही आ रहे हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, आप कापी देंगे तो तिवारी जी उसको पढ़ लेंगे लेकिन उसका उद्देश्य क्या है मैं यह बता देना चाहता हूं। इस धारा के अनुसार अगर कोई संस्था चलाने वाला हो और वह उस संस्था को बन्द करना चाहे तो प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि मेरा लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया जाय। इस धारा में यह कहा गया है कि जब वह प्रार्थना-पत्र दे देगा तो उसको ६ महीने तक वह संस्था चलानी होगी। अब एक प्रश्न यह उठ सकता है कि किसी आदमी ने प्रार्थना-पत्र दे दिया कि मैं अपने लाइसेंस का कैन्सिलेशन चाहता हूं और ६ महीने तक उसके बाद उसे चलाना है तो इस बीच में वह ठीक तरीके से काम न करे, यह भी सम्भव है। संस्था में जो कोई संपत्ति है या कोई चीज है उसका दुरुपयोग करे, यह भी सम्भव है या जो लोग वहां रहते हैं उनका ठीक तरह से पालन-पोषण न करें। इसलिये किसी भी समय यह आवश्यकता प्रतीत हो सकती है कि इस संस्था को ठीक तरह से चलाने के लिये कोई प्रशासक होना चाहिये। उसी अधिकार को लेने के लिये यह उपधारा जोड़ी गयी है। मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति तिवारी जी को न होगी और न किन्हीं और दोस्तों को होगी इस ख्याल से कि जो ये संस्थायें हैं उन सबका सुप्रबन्ध तो वे चाहते ही हैं।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैलाशप्रकाश जी ने कहा, ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि संस्था के संचालक ने नोटिस दे दिया अपनी मान्यता को वापस ले लेने के लिये परन्तु ६ महीने तक अगर नोटिस की स्वीकृति न हो सकी किन्हीं कारणों से और उस संस्था का प्रबन्ध भी ठीक तरह से न हो सका तो यह अधिकार लाइसेंसिंग अथारिटी को होना चाहिये कि एक ऐडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करे जो उसका संचालन उस समय तक करे जब तक कि उसका लाइसेंस कैन्सिल न किया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है और सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, एक शंका अवश्य है। उसमें उपखंड (१) में एक प्रोविजन यह भी है कि वह नोटिस वापस भी ले सकता है। अब आपने प्रशासक तो नियुक्त कर दिया उसके लाइसेंस निरसन करने के प्रार्थना-पत्र पर और फिर उसने वापस भी ले लिया तब उस हालत में क्या होगा? क्या उसको संस्था वापस मिल जायगी या प्रशासक के ही अधीन रहेगी? यह स्थिति आ सकती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शंका मेरे मन में भी है। जब इस प्रशासक के हाथ में प्रबन्ध सौंप दिया जायगा तब उस संस्था के चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। अगर उसके फायनेंसेज ऐसे नहीं हैं कि वह चलाई जा सके तो क्या सरकार उसके फायनेंसेज का इन्तिजाम करेगी या जो उस वक्त तक चलाता था उसकी जिम्मेदारी होगी। यह बात साफ नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश—उपाध्यक्ष महोदय, जो एतराज माननीय तिवारी जी ने किया है वह तो स्पष्ट ही है कि जब वह वापस ले लेगा तब यह धारा उस पर लागू नहीं होगी। यह तो कोई सरकार से सम्बन्ध नहीं रखती बल्कि उसके संस्थापकों से सम्बन्ध रखती है। उसने नोटिस दिया कि licence cancel कर दिया जाय। वह वापस लेना चाहता है उसको ले सकता है और वह वापस हो जाती है, क्योंकि सरकार की मंशा कोई उसके खिलाफ कार्यवाही करने की नहीं है। इसलिये प्रशासक की नियुक्ति अथवा अन्य किसी प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती और नोटिस वापस होने के बाद प्रशासक अपने आप वापस हो जायगा।

अब जहां तक माननीय पालीवाल जी ने कहा है उसके लिये कोई संस्था कैसे चल रही है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है यह सवाल तो उन संस्थाओं के लिये भी हो सकता है जो आलरेडी लाइसेंस्ड हैं जिस तरह से उनका प्रबन्ध होगा, जिस तरह से उनको

[श्री कैलाशप्रकाश]

अनुदान आदि दिया जायगा वही इस संस्था के लिये भी होगा। यहां केवल यही मंशा है कि किसी ने नोटिस दे दिया कि उस संस्था को बन्द करना चाहते हैं अब चूंकि वह सार्वजनिक संस्था है, इसलिये यह भी रखा गया है कि जिसने नोटिस दिया है, हो सकता है उसके अलावा कोई और व्यक्ति उसका इन्तजाम करने के लिये आ जाय और यह इसीलिये है कि ६ महीने तक इस चीज को देख लिया जाय और ६ महीने तक उसको भी अपने नोटिस को वापस लेने की इजाजत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--उस बीच में खर्च कैसे होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश-- खर्च की बात तो हर संस्था के लिये आवेगी। यह संशोधन तो सिर्फ उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है। खर्च की जिम्मेदारी मैनेजर पर है और जो भी सरकार को देना होगा वह उस ऐडमिनिस्ट्रेटर के काल में देना आसान होगा बनिस्बत उस मैनेजर के काल में।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी भी कुछ कहना चाहेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर-- जी नहीं।

श्री रामसेवक यादव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(३) जब उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्ति (licence) के निरसन (cancellation)के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया गया है तो अनुज्ञप्ति (licence) देने वाला प्राधिकारी, यदि वह किसी विशेष मामले में ऐसा करना आवश्यक समझे, ऐसी अवधि के लिये और उसमें ऐसे अधिकार निहित करते हुए, जो नियत किये जायं, संस्था का एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है। जब उपर्युक्त प्रकार से प्रशासक की नियुक्ति हो गयी हो तब तक संस्था का प्रबन्धक या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके ऊपर संस्था के प्रबन्ध का भार हो, प्रशासक के आदेशों के अनुसार संस्था को चलाने के लिये बाध्य होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (२) के बाद नया उपखंड (३) निम्नप्रकार रख दिया जाय--

"(३) अनुज्ञप्ति रद्द हो जाने के यथा समय बाद उस संस्था की चल, अचल संपत्ति पर यदि कोई हो राज्य सरकार का अधिकार हो जावेगा।"

श्रीमन्, यह तो सही है कि अनुज्ञप्ति के बाद उस संस्था की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में इस खंड में निर्देश है किन्तु इस सम्बन्ध में कि उस संस्था के पीछे यदि कोई चल अथवा अचल संपत्ति है तो उसके बारे में यह खंड कोई निर्देश नहीं देता। इसलिये मैंने यह उपखंड (३) इस खंड में जोड़ कर यह इच्छा प्रकट की है और चाहता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी मान लें कि यदि वह संस्था अनुज्ञप्ति का निरसन करती है, सरेंडर करती है और उसके बाद उसके पीछे कोई चल अथवा अचल संपत्ति है तो वह राज्य सरकार के हाथ में आ जाय। यही मेरा मंशा है जो मेरा ख्याल है कि साफ हो गया होगा

और माननीय मंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिली।

श्री रामसेवक यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामेश्वरलाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में साफ व्यवस्था होनी चाहिये थी कि जब लाइसेंस रद्द होने का प्रश्न उठता है तो उस संस्था के पीछे जो संपत्ति है उसका क्या होगा। किन्तु इस तरह की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है और चूंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और जो संशोधन रखा गया है उससे वह पूरी हो जाती है इसलिये मैं समझता हूं कि यह कोई कठिन बात नहीं है और इसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा बिल जो हमारे सामने है यह उसी व्यवस्था के लिये हमारे सामने है। हमारे मित्र कहते हैं कि लाइसेंस के कैंसिलेशन के बाद उस संस्था की संपत्ति का क्या होगा। सारी गवर्नमेंट मौजूद है, लोकल बाडीज मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद है, तमाम सी चीजें हैं और हमारे मित्र कहते हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं है। हम लोग जिम्मेदार हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एक कामन सेंस की बात है जिसको सभी समझते हैं उसी को वह समझ नहीं पाते। इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सब इसका विरोध करेंगे।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन पेश हुआ है मैं समझता हूं कि अगर इसको मान लिया गया तो इसमें बड़े कानूनी कांप्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर खंड ३ में हमने यह बात कही थी कि यह कानून जो हमारा है वह जितने एक्जिस्टिंग कानून हैं उनको सप्लीमेंट करता है, उनकी धाराओं को काटता नहीं है। इसमें दिक्कत यह आयेगी कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने कोई धन दिया हो और उसके साथ कुछ कंडीशन्स हों, एंडाउमेंट के साथ तो वह गवर्न होगा दूसरे एक्ट से। तो मैं इस बात पर श्योर नहीं हूं कि सरकार के इस विधेयक के द्वारा इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में लेने पर क्या परिस्थिति होगी। मैं समझता हूं कि उस कानून का इससे कांट्रेडिक्शन हो सकता है यह उचित नहीं है और किसी की प्रापर्टी को इस तरह से कब्जा लेना भी उचित और ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा—मैं रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी ने यह बतलाया कि सभी लोग अधिकारी हैं। वह अपने को भी अधिकारी बना रहे हैं। इस बिल में कहीं पर यह नहीं है कि जब उस संस्था का लाइसेंस रद्द हो जायगा तो उस संस्था के नाम से जो प्रापर्टी होगी वह कहां चली जायगी। इसमें नहीं है तो उन्होंने यह रखा है कि उस संस्था के नाम से कोई जायदाद अगर है और वह संस्था बिना लाइसेंस के हो जाती है तो फिर वह चल नहीं सकती। तो वह सम्पत्ति कहां जायगी। इसलिये उन्होंने यह संशोधन रखा है कि इसमें यह जोड़ दिया जाय कि वह सम्पत्ति सरकार की हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अच्छा है और माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं समझता हूं कि जो संशोधन का आशय है वह तो इस तरह से पूरा हो जायगा कि जो नवलकिशोर जी के संशोधन का आशय था जिसमें ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की बात थी। जब एक तरह का प्रबन्ध समाप्त हो जायगा तो फिर ऐडमिनिस्ट्रेटर उसका परिचालन करेगा। उसके बाद जो सम्पत्ति जहां से आयी है वहीं चली जायगी। जिसने उसको दिया है और जिसने उसमें लगाया है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, इस समय आप देखें कि फिर कोरम नहीं है। आज १०,१२ बार घंटी बज चुकी है, इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का कार्य स्थगित कर दया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय तो कोरम है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस प्रबन्ध का संबंध है इसमें ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के लिये प्राविजन रखा गया है। बाद में जहां से सम्पत्ति आयेगी वहीं चली जायगी। जिस ट्रस्ट से आयी थी वहीं चली जायगी; यह उचित भी नहीं है कि उस जायदाद को इस बहाने लाइसेंस रद्द करके हथियाया जाय। क्या फिर उसके लिये कोई तैयार होगा कि अनाथालय या कोई आश्रम खोल सके। मैं समझता हूं इस संशोधन को वापस ले लिया जाय तो अच्छा है।

आचार्य जुगलकिशोर---इस संशोधन को स्वीकार करने से आपत्ति पैदा हो सकती है। यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो कोई भी व्यक्ति इस तरह की संस्था को खोलने के लिये तैयार नहीं होगा। तो उसके ऊपर यह चीज लगाना कि किसी भी समय गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को कैंसिल करके उसकी प्रापर्टी को अपने कब्जे में ले ले यह उचित नहीं है। जो उद्देश्य है कि अगर ६ महीने तक उस संस्था को चलाना पड़े तो जो संशोधन स्वीकार हुआ है उससे काम चल जायगा यानी उसका प्रबन्ध ६ महीने तक एक ऐडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी। उसकी प्रापर्टी के ऊपर कब्जा करने का प्रश्न उठाना बहुत आपत्तिजनक है। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं और इससे और भी समस्यायें पैदा हो सकती हैं। मुझे आशा है वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामेश्वरलाल---मान्यवर, मैंने अपने संशोधन के पक्ष में और विपक्ष में जो भी भाषण इस सदन में हुये हैं उनको बड़े गौर से सुना है। माननीय शम्भूनाथ जी का तर्क कि उस संस्था के लिये जो सम्पत्ति जहां से आयी है वहीं चली जायगी हमारी समझ में नहीं आया। मान लीजिये कि एक अनाथालय या विधवाश्रम चल रहा है और समाज के व्यक्तियों ने चाहे वह जिस जाति और वर्ग से संबंध रखते हों अचल या चल सम्पत्ति उन्होंने उन संस्थाओं को चलाने के लिये दान दिया वह संस्था समाप्त हो गई, तो माननीय शम्भूनाथ जी का कहना है कि उसके बाद जो चल या अचल सम्पत्ति जहां से आई होगी वहां चली जायगी। मुझे दुख है कि इस विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। न आज के समाज में और देश प्रदेश में इस प्रकार की कोई प्रचलित प्रथा देखने में आती है। होता यह है कि सामाजिक शुभ कार्यों के नाम पर जो चन्दे चल या अचल सम्पत्ति के नाम पर लिये जा रहे हैं, कुछ लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और जानबूझ कर संस्था को समाप्त कर दिया जाता है। मुझे भय है कि यदि मेरे संशोधन को नहीं माना गया तो आने वाले जमाने में माननीय मंत्री जी देखेंगे कि संस्थायें खुलेंगी, लोग उनके लाइसेंस ले लेंगे, प्रबन्ध समितियां उसकी सिफारिश भी दे देंगी और फिर दो महीने के बाद वह संस्था समाप्त हो जायगी और उसकी सम्पत्ति पर लोग कब्जा कर लेंगे। माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में और आसपास के रहने वालों को देखें, तो देखने को मिलेगा कि व्यापार की बड़ी-बड़ी दूकानें खोली गईं और इस मंशा से खोली गईं कि पूंजीपति उसका दिवाला बोलते हैं। इस प्रकार लोग समाज सेवा के नाम पर कार्य करेंगे यदि मेरे संशोधन को नहीं माना जाता है।

माननीय नवलकिशोर जी की बातों की मैं बहुत कद्र करता हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कहा कि संशोधन को मान लेने से कानूनी गड़बड़ी हो जायगी। यदि ऐसा है तो उसे वह और उनकी सरकार बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन दूर करने की मेरी मंशा पर वह गम्भीरतापूर्वक विचार करें। श्रीमन्, मंत्री जी की बात मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री जी ने, आशंका प्रकट की कि अगर इस तरह

की संस्थाओं के पीछे जो संम्पत्ति है उसे ले लें तो फिर कोई दूसरी संस्था खोलने की हिम्मत नहीं करेगा? हम तो वह दिन देखना चाहते हैं कि जब इन संस्थाओं की आवश्यकता ही न हो। काश कि यह सरकार उसे पूरा कर सके, जिसको यह कल्पना करती है और हम कामना भी करते हैं। लेकिन मैं कब्जा करने या जब्त करने की बात नहीं करता हूं। मैं यह कहता हूं कि यदि संस्था टूट जाय तो उसकी सम्पत्ति को राज्य सरकार अपने अधिकार में कर ले। मैं यह चाहता हूं कि पूंजीपतियों और समाजविरोधी लोगों को अधिकार न हो? मुझे ऐसी संस्थाओं के लोगों की करनियों का अनुभव है। जो कोई संस्था सरकार के हाथ में हो उसे वह दे दी जाय। मैं तो कहता हूं कि अधिकार सरकार का हो। उन्होंने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर होगा। वह उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर उस संस्था के लिये क्या बना रहेगा? वह तो खत्म हो जायगा। तो मैं जब्त करने की बात नहीं कहता हूं। उसके ऊपर राज्य सरकार का अधिकार या प्रभुत्व हो यह मैं चाहता हूं। जब्त करने और प्रभुत्व में अन्तर है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे संशोधन को मानेंगे। इससे समाज विरोधी तत्वों को शोषण करने का कम मौका मिलेगा। आशा है कि माननीय मंत्री गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—मैंने पहले ही इस संशोधन के बारे में अपनी मजबूरी जाहिर की कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। जो दलीलें रामेश्वरलाल जी ने दी हैं उनको सुनने के बाद भी मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरे की चीजें होंगी कि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार किया जाय। हमारी मंशा यह है कि जो संस्थायें हमारे प्रदेश में चल रही हैं वे मजबूत बनें और उनको प्रोत्साहन मिले और अगर कोई संस्था नहीं चलती है तो उसको बन्द करा दिया जाय। लेकिन बन्द कराने के साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं में जो बालक और बालिकायें होंगी उनका इन्तजाम उस संस्था से कराया जायगा। जहां तक उसकी प्रापर्टी का ताल्लुक है यह देने वाला जाने अथवा ट्रस्ट वाले जानें कि वे उसका क्या इन्तजाम करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में और भी कानून हैं कि अगर अनियमित रूप से उस प्रापर्टी का दुरुपयोग होता है तो उस पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस धारा को यहां पर इस प्रकार रख देने से शंका पैदा हो जायगी। संभव है इसमें कोई कठिनाई भी पड़ जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (२) के बाद नया उपखंड (३) निम्नप्रकार रख दिया जाय—

"(३) अनुज्ञप्ति रद्द हो जाने के यथा समय बाद उस संस्था की चल, अचल सम्पत्ति पर यदि कोई हो राज्य सरकार का अधिकार हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३९

प्रबन्ध समिति

३९—(१) प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध की अवधायक (incharge of) एक प्रबन्ध समिति होगी जिसके सदस्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संस्था के प्रबन्धक समझे जायेंगे।

(२) प्रबन्ध समिति के अधिकार और कृत्य तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था ऐसी संस्था से संबद्ध विधान में की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४०

संबद्ध सदस्य (associate-members)।

४०—(१) जिले में प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था की प्रबन्ध समिति के पदेन संबद्ध सदस्य (ex officio associate member) निम्नलिखित समझे जायेंगे:—

(क) बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;
(ख) संबद्ध स्थानीय अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;
(ग) सिविल सर्जन; और
(घ) स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ।

(२) संबद्ध सदस्य (associate members) को प्रबन्ध समिति की कार्यवाहियों में भाषण करने तथा उनमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुये भी, उसे उनमें मतदान करने का अधिकार न होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संस्था का प्रबन्धक न समझा जायगा।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४० के उपखंड (१) की पंक्ति में १ में शब्द "के" तथा शब्द "पदेन" के बीच शब्द "निम्नलिखित" जोड़ दिया जाय और पंक्ति २ का शब्द "निम्नलिखित" निकाल दिया जाय ।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "के" तथा शब्द "पदेन" के बीच में शब्द "निम्नलिखित" जोड़ दिया जाय और पंक्ति २ का शब्द "निम्नलिखित" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४० के उपखंड (१) के भाग (ग) में शब्द "सिविल सर्जन" के बाद "सेमीकोलन" हटा दिया जाय और शब्द "अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो कि ऐसी अर्हता रक्खेगा जैसी कि नियत की जाय" जोड़ दिये जायं ।

मेरी मंशा सिर्फ यह है कि सिविल सर्जन या तो खुद मेम्बर होगा या जिसको वह नामिनेट करे। यह मैंने इसलिये रक्खा है कि सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश हों कि जो महिला संस्थायें हैं उनमें वह लेडी डाक्टर को नामिनेट कर दे तो अच्छा होगा, इससे काम आसानी से चल सकेगा । मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन में एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि "सिविल सर्जन" के साथ-साथ "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट" भी रख लिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि वह लोकल बोर्ड का फर्स्ट सिटीजन होता है, इसलिये उसका भी नाम "एंड" कर लिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना संशोधन लिखित दें।

श्री शिवनारायण—मैं लिख कर दे देता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, श्री नवलकिशोर जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि महिला संस्थाओं के लिये सिविल सर्जन को आदेश दे दिया जायगा कि किसी महिला संस्था के लिये वे किसी लेडी डाक्टर को ही एसोशिएट मेम्बर बनावें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय शिवनारायण के संशोधन के लिये आपने कुछ नहीं कहा।

आचार्य जुगलकिशोर—उसको मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री शिवनारायण—जब उन्होंने नहीं माना तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन पर संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) के भाग (ग) में शब्द "सिविल सर्जन" के बाद "सेमी कोलन" हटा दिया जाय और शब्द "अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो कि ऐसी अर्हता रखेगा जैसी कि नियत की जाय" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह सुझाव दिया है वह श्री नवलकिशोर जी ने जो सुझाव पेश किया है उसमें आ जाता है और माननीय मंत्री जी ने भी इस बात का विश्वास दिलाया है कि लेडी डाक्टर को जरूर लिया जायगा। इसलिये मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करता हूं।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४० के उपखंड (१) के भाग (घ) के शब्द "स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला विद्यालय निरीक्षक" रख दिये जायं। यह मैंने अंग्रेजी से हिन्दी में ट्रांसलेशन कर दिया है, और कोई बात नहीं है। आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) के भाग (घ) के शब्द "स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिला विद्यालय निरीक्षक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४० के उपखंड (१) के भाग (घ) के बाद उपखंड (ङ) निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"(ङ) जिला प्लानिंग कमेटी का १ प्रतिनिधि।"

मान्यवर, आप इस विधेयक के खंड ४० को देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो प्रत्येक जिले में अनुज्ञप्त संस्था हो जायगी उस अनुज्ञप्त संस्था की प्रबन्ध समिति बनेगी और उस प्रबन्ध समिति के पदेन कुछ सदस्य होंगे जिनकी व्यवस्था इस उपखंड में की गयी है। वे पदेन सदस्य बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित होंगे। अगर माननीय मंत्री जी बोर्ड की जगह जिला बोर्ड कर दें तो उसमें आसानी होगी समझने में, क्योंकि जिले में म्युनिसिपल बोर्ड आदि बहुत से बोर्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहां पर जिला बोर्ड कर दिया जाय तो ठीक होगा, क्योंकि यहां बोर्ड से मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही है। वह पदेन सदस्य होंगे, बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति—अगर यहां जिला बोर्ड कर दें तो ठीक होगा, क्योंकि जिले में म्युनिसिपल बोर्ड और दूसरे बोर्ड भी होते हैं, मेरा मतलब यह है कि यहां साफ तौर से जिला बोर्ड कर दिया जाय और (क) यह हो जाय कि जिला बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, और (ख) संबद्ध स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति और तीसरे सिविल सर्जन या जैसा अभी संशोधन स्वीकार हुआ है कि उनके द्वारा नामिनेट किया हुआ कोई व्यक्ति और जिला विद्यालय निरीक्षक या उनके द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि, पदेन सदस्य

[श्री रामेश्वरलाल]

होंगे। मैं चाहता हूं कि इन तमाम के अलावा इसमें एक पांचवां और जोड़ दिया जाय और हर जिले में जो प्लानिंग कमेटी है उसका भी एक प्रतिनिधि एक्स-आफिशियो या पदेन सदस्य हो जाय, वह प्रत्येक जिले में बन गई है। इस पर बहुत बहस की जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे, वह इस मूड में भी दिखाई देते हैं जब उसमें अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि सभी को रखा जा रहा है तो जिला प्लानिंग कमेटी का भी एक प्रतिनिधि उसमें अवश्य रखा जाय। इसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। अभी जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट को रखने का संशोधन रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर प्लानिंग कमेटी से महिला आश्रम या विधवा आश्रम का क्या संबंध है। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है और इसे स्वीकार न किया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता और मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि का होना उसमें जरूरी है और उन सबको रख दिया गया है लेकिन प्लानिंग आफिसर की ऐसी संस्थाओं के विषय में कोई आवश्यकता नहीं है कि वह यहां पर कांस्टीट्यूएन्ट मेंबर बनाये जायं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस कर लेंगे और जैसा विधेयक में रखा गया है वही ठीक है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था। उन्होंने अभी जिला प्लानिंग आफिसर के लिये कहा है उन्होंने रखा है जिला प्लानिंग कमेटी द्वारा नामजद हुआ एक सदस्य, वह स्वयं नहीं बैठेंगे तो एक तो यह चीज स्पष्ट होनी चाहिये। दूसरे (ख) में आया है कि संबद्ध स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, तो इस "सम्बद्ध" से क्या मतलब है, जो लोकल अथारिटी होगी वह किस से सम्बद्ध होगी यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में जब समिति का निर्माण होगा तो दिक्कत पेश आ सकती है कि वह कौन सा स्थानीय प्राधिकारी हो और किस प्रकार से उनके द्वारा कौन नामजद व्यक्ति हो। यह दो चीजें माननीय मंत्री जी यदि साफ कर दें तो सुविधा होगी और इस वक्त कोई चीज छूटनी नहीं चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---उपाध्यक्ष महोदय, आज कम से कम १५-१६ बार सदन में कोरम की घंटी बजाई जा चुकी है और इस विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि अगर बार-बार ऐसा होगा तो सदन को स्थगित कर दिया जायगा। अभी ४ बार घंटी बज चुकी है इसलिये आप स्थगित कर दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---इस वक्त कोरम है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भ्रम-सा हो रहा है। बोर्ड से मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से नहीं है बल्कि जो मेम्बर्स कांस्टीट्यूट हुये हैं उनके द्वारा नियुक्त होगा, उसके बारे में यह है। लेकिन जो अभी माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने प्रश्न पूछा इसमें जो लोकल अथारिटीज कंसर्ड हैं उसका मतलब यह है कि म्युनिसिपल लिमिट्स में आता है तो म्युनिसिपल बोर्ड नियुक्त करेगा और अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की लिमिट्स में आता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नियुक्त करेगा। एक बात यह तो हल हो जाती है। बाकी रहा प्रतिनिधि तो वह माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे कि प्लानिंग समिति के प्रतिनिधि को यह उचित समझते हैं या नहीं।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, आप देखेंगे कि प्रत्येक जिले में जो अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्था के लिये सदस्य हैं उनकी संख्या ४ है। परन्तु ऐसी संस्था देखने में कम आयी है जिनके सदस्य चार ही रहे हों। एक तो मेरे संशोधन को मान लेने से सदस्यों की संख्या चार से ५ हो जाती है। दूसरे यह कि प्लानिंग समिति का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। श्रीमन्, यह तो मुझे समझाना नहीं है कि प्लानिंग समिति का कितना बड़ा और अच्छा अस्तित्व जिले में है। सारे कारबार और सारे मुहकमे इसके काम के सामने एक तरह से पीछे ही हैं। तो सामाजिक दशा सुधारने के लिये जो सदस्य प्रबन्ध समिति बनायेगी जिलों में और उसमें जिले का निरीक्षक हो, सिविल सर्जन या नामिनेटेड आदमी हों और प्लानिंग समिति का आदमी न हो तो श्रीमन्, मुझे कम से कम यह अच्छा दिखाई नहीं देता और इसी से मैंने इसको रखा है। माननीय मंत्री मेरे संशोधन का मतलब प्लानिंग आफिसर से समझें, लेकिन प्लानिंग आफिसर से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने तो साफ लिखा है कि प्लानिंग समिति का कोई सदस्य हो; उनका चुना हुआ प्रतिनिधि होगा चाहे कोई हो। माननीय शिवनारायण जी ने तो शायद कसम खा रक्खी है कि मैं अगर कहूंगा किसी चीज को सही तो वह गलत कहेंगे और अगर मैं गलत कहूंगा तो वह सही कहेंगे। गवर्नमेंट ने भी संशोधन को सही माना, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। मुझे उनके संबंध में श्रीमन्, कुछ कहना नहीं है वह तो अपोजीशन से कही हुई किसी भी सही चीज को भी गलत कहने के लिये मजबूर हैं।

श्री शिवनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने आक्षेप लगाया कि मैंने अपोजीशन के सभी संशोधनों का विरोध किया। प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। मैंने कई बार उनके लाये हुये संशोधनों का समर्थन भी किया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, यह तो प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन है।

श्री रामेश्वरलाल—मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को विश्वास हो गया होगा कि मेरा मतलब क्या है और वे इस पर विचार करके इसको मानेंगे तो बोर्ड भी ५ का हो जायगा और प्लानिंग कमेटी का प्रतिनिधित्व भी हो जायगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—पेश्तर इसके कि माननीय मंत्री जी उत्तर दें मैं एक त्रुटि बतला देना चाहता हूं वर्ना यह गलत हो जायगा। वह यह है कि इसमें लिखा हुआ है "दी फालोइंग शैल बी. . . .

श्री रामसुभग वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर। एक मर्तबा बोल लेने के बाद क्या माननीय सदस्य दोबारा बोल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। माननीय सदस्य बैठ जाने की कृपा करें।

आचार्य जुगलकिशोर—जो माननीय रामेश्वरलाल जी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज की तरह से कोई रिप्रेजेन्टेटिव होगा तो उसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। जिन सदस्यों का यहां जिक्र किया गया है। वही काफी होंगे क्योंकि एक कमेटी के साथ उससे ज्यादा संख्या में मेम्बर्स ऐसोशियेट उनके ऊपर बोझ होगा और कोई जरूरत भी नहीं है। यदि बोर्ड समझेगा कि प्लानिंग आफिसर या प्लानिंग आफिसर के कोई और ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करे तो वह हो सकता है। संबद्ध स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, सिविल सर्जन या एक महिला जिसको वह मनोनीत करे और स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि उनका ऐसी संस्थाओं से संबंध रहता है और वे कुछ मदद भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं इन चार व्यक्तियों का होना ही काफी है। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय सदस्य को जो कुछ कहना था वह इससे पहले कहते।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं कह रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है "exofficio members of the Board" तो यह सारा क्लाज का क्लाज ही गलत हो जायगा। कारण यह कि "exofficio members" वही हो सकते हैं जो पदाधिकारी हों। लेकिन नौमिनीज आफ दी बोर्ड और आफ दी लोकल अथारिटीज, इनको "exofficio members" कहना गलत होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) के भाग (घ) के बाद उपखंड (ङ) निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"(ङ) जिला प्लानिंग कमेटी का १ प्रतिनिधि।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये आज्ञा नहीं दी इसलिये जो माननीय शम्भूनाथ जी बोले हैं वह प्रोसीडिंग्स में से ऐक्सपंज कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—बात यह उन्होंने किसी बात को समझाने की कोशिश की। वह सदन ने सुन ली है।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना संशोधन पेश करने के पहले आपका ध्यान खंड ४० के उपखंड (१) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें जो शब्द "पदेन" आया है यह गलत है। जब कोई आदमी नौमीनेट होता है वह पदेन नहीं होता है, इस को ठीक करना होगा। जैसा माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने कहा वह ठीक कहा कि शब्द "पदेन" यहां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें नीचे नौमीनेट आदमी भी लिखे हुए हैं। इसलिये उनका कहना सही था। इसलिये शब्दों में जरूरी हेरफेर करना होगा। "पदेन" शब्द निकाल दिया जाय तो अच्छा होगा। "प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित संबद्ध सदस्य समझे जायेंगे" बस इतना ही काफी होगा। तो मेरा पहले प्रस्ताव यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) की पहली पंक्ति में शब्द "पदेन" निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं जिस संशोधन को आपने दिया है उसके पहले यह कोई और संशोधन है।

श्री जयराम वर्मा—यह संशोधन उसके पहले होना चाहिये। इसलिये मैं इसकी इजाजत चाहता हूं कि आप इसकी आज्ञा दे दें तो ठीक है। माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं क्योंकि यह गलती रह गयी।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तो ऐजेन्डे में ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यदि कोई एतराज हो तो मैं इसको पेश करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री जयराम वर्मा—मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "असोशियेट मेम्बर्स" (associate members) के स्थान पर शब्द "असोशिएट मेम्बर" (associate member) रख दिया जाय।

गलती से यह शब्द प्लूरल इस्तेमाल हो गया है, सिंगुलर होना चाहिये था। पंक्ति ३ में शब्द "उसे" प्रयोग हुआ है, जो सिंगुलर में है, प्लूरल में नहीं है? इसलिए मैं समझता हूं कि यह स्वीकार होगा।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "असोशिएट मेम्बर्स" (associate members) के स्थान पर "असोशिएट मेम्बर" (associate member) रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

प्रबन्ध संबंधी नियमों में संशोधन करने तथा प्रबन्ध समिति के पुनस्संगठन करने के बोर्ड के अधिकार।

४१—जब कभी ऐसा करना आवश्यक हो, बोर्ड उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे (recorded) यह आज्ञा दे सकता है कि:—

(क) अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध से संबद्ध विधान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जायगा और संशोधित किया गया समझा जायगा; अथवा

(ख) प्रबन्ध समिति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संगठित अथवा पुनस्संगठित की जाय; अथवा

(ग) कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४१ का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

श्रीमान् जी, खंड ४१ में बोर्ड को कुछ अधिकार दिये गये हैं। एक तो यह अधिकार दिया गया है कि अनुज्ञप्त संस्था से संबद्ध विधान को संशोधित कर सकेगा, दूसरे प्रबन्ध समिति को संगठित या पुनस्संगठित करने के लिए आज्ञाएं दे सकेगा, तीसरा अधिकार उसको दिया गया है कि कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाय, ऐसी आज्ञा देने का उसको अधिकार होगा। प्रथम तो यह जो वाक्य लिखा हुआ है कि "कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा" इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बोर्ड समाप्त हो जायगा। लेकिन अगर इसका मतलब यह भी हो कि कोई पर्टिकुलर सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जायगा तब भी यह गलत है। क्या हम बोर्ड को यह अधिकार देने को तैयार हैं कि यह बोर्ड कह सके कि फलां विधान सभा का सदस्य अब इसका मेम्बर नहीं रह जायगा, क्योंकि यह माननीय सदन ३ सदस्यों को चुन कर भेजेगा, तो इसका कितना अपमान होगा। उसमें कौंसिल के प्रतिनिधि भी होंगे, तो इस प्रकार का अधिकार बोर्ड को देना कि वह कह सके कि कौंसिल के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, यह बड़ी अनुचित बात होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस खंड को निकाल देना श्रेयस्कर है।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बोर्ड का मतलब अशुद्ध है, कमेटी का मतलब था। लेकिन जयराम जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ का भाग "ग" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४२

अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक प्रत्येक संस्थावासी को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिये बाध्य होगा।

४२—(१) किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला अथवा बालक को तब तक शिक्षा देने, प्रशिक्षण (training) देने, संस्था में रखने, वस्त्र देने तथा खिलाने-पिलाने को बाध्य होगा, जब तक कि महिला का पुनर्वास नहीं किया जाता, अथवा बालक १८ वर्ष की वय नहीं प्राप्त कर लेता, अथवा जब तक कि वे संस्था से हटा नहीं लिये जाते, अथवा संस्था समाप्त नहीं हो जाती।

(२) यदि किसी संस्थावासी महिला का खर्च उठाने वाला कोई ऐसा अभिभावक है जैसा धारा ४३ के खंड (छ) में उल्लिखित है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह संस्था उस महिला के पुनर्वास के लिये उत्तरदायी ठहरायी जाय।

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले संशोधन की आवश्यकता नहीं रह गयी है, दूसरा उपस्थित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४२ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "वे" तथा शब्द "संस्था" के बीच में शब्द "इससे पूर्व" जोड़ दिये जायं।

इस उपखंड (१) में यह उल्लेख है कि अनुज्ञप्ति संस्था का प्रबन्धक कब तक महिलाओं को या बालकों को, जिनको वह अपने यहां रखता है अपने यहां संरक्षण देने के लिए बाध्य होगा इसका उल्लेख है। तो जहां तक कि महिलाओं का सम्बन्ध है उसके लिए उसको बाध्य किया गया है कि जब तक महिलाओं का पुनर्वास न हो जाय तब तक उनको रखने के लिये बाध्य होगा। जहां तक बालकों का सम्बन्ध है उनके बारे में यह कहा गया है कि जब तक १८ वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें और तीसरी एक व्यवस्था और की गई है, बालकों और महिलाओं दोनों को मिला करके कि जब तक कि वह संस्था से हटा नहीं लिए जाते। तो इससे एक भ्रम पैदा हो जाता है। अगर दोनों बातें जो रखी गई हैं उनके पूर्व वह हटा नहीं लिया जाता है इस तरह से नहीं कर दिया जाता तो एक भ्रम रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि "इससे पूर्व" यह शब्द जोड़ देना ठीक रहेगा।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे यह स्वीकृत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "वे" तथा शब्द "संस्था" के बीच में शब्द "इससे पूर्व" जोड़ दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४२ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "संस्थावासी" के स्थान पर शब्द "संस्थावासिनी" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, महिला शब्द का प्रयोग हुआ है। महिला स्त्रीलिंग है तो संस्थावासी पुलिंग नहीं रहना चाहिये। संस्थावासिनी रहना चाहिए था। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी को यह स्वीकार होगा।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसको स्वीकार करने में।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४२ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "संस्थावासी" के स्थान पर "संस्थावासिनी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४३-४९

अभिलेखों का रजिस्टर।

४३---प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक नियत रूप में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें संस्था में भर्ती की गयी प्रत्येक महिला और बालक के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे:---

(क) संस्थावासी का नाम;

(ख) वय, धर्म और स्त्री है या पुरुष;

(ग) भर्ती के समय उसके स्वास्थ्य की दशा,

(घ) अन्तिम पता;

(ङ) निकटतम संबंधी;

(च) माता-पिता के नाम और वे जीवित हैं या नहीं (विवाहित महिला के संबंध में पति का नाम);

(छ) उसकी देख-रेख के लिये उत्तरदायी व्यक्ति;

(ज) धनराशि, यदि कोई उसकी देख-रेख के लिये दी गयी हो;

(झ) उस व्यक्ति या अभिकरण (agency) का नाम, जो उस महिला अथवा बालक को भर्ती कराना चाहता हो;

(ञ) भर्ती के कारण;

(ट) भर्ती के निबन्धन (terms) और शर्तें;

(ठ) मामले (case) का संक्षिप्त इतिहास; और

(ड) ऐसे अन्य विवरण जो समय-समय पर नियत किये जायं।

प्रबन्धक रजिस्टर की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

४४---अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक ऐसे कालान्तरों (intervals) पर, जो नियत किये जायं बोर्ड के समक्ष उक्त रजिस्टर की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

संस्था वासियों की मृत्यु अथवा उनके कर्मचारियों (personnel) में परिवर्तन।

४५---किसी अनुज्ञप्त संस्था के वासी की मृत्यु होने पर अथवा उसकी प्रबन्ध समिति में कोई परिवर्तन होने पर, संस्था का प्रबन्धक ४८ घंटों के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी तथा बोर्ड को उसकी लिखित सूचना देगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्थावासी की अकस्मात् (Sudden) मृत्यु होने की सूचना तत्काल दी जायगी।

परीक्षित लेखों (audited accounts) का प्रस्तुत करना।

४६---किसी अनुज्ञप्त संस्था का प्रबन्धक अपने द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गयी समस्त धनराशियों को समुचित लेखे (accounts) रक्खेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण, जो किसी ऐसे प्राधिकारी, द्वारा जो नियत किया जाय, परीक्षित (audited) होगा, बोर्ड को भी प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षण।

४७---बोर्ड का कोई सदस्य अथवा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सामान्यतया अथवा विशेषतया प्राधिकृत किया हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, नियत रीति से किसी अनुज्ञप्ति संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

सामान्य आदेश (directions) जारी करने के बोर्ड के अधिकार।

४८---बोर्ड अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्धक को ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों। और प्रबन्धक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन आदेशों का तत्काल पालन करे।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नियोजन (employment)।

४९---प्रत्येक अनुज्ञप्त संस्था, जिस समय और जैसे बोर्ड अपेक्षा करे उस समय और वैसे राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात अथवा संधारित (recognized or maintained) प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को नियोजित करेगी।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४३ के उपखंड (ए) का शब्द "धर्म" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि खंड ४३ में यह व्यवस्था है कि जो अनुज्ञप्त संस्था होगी उस अनुज्ञप्त संस्था में एक जो प्रबन्धक होगा वह एक रजिस्टर मेन्टेन करेगा और जिन व्यक्तियों की इंट्री उस संस्था में होगी उनके सम्बन्ध में उनके कुछ नियम बने हुए हैं जो क से ड तक दिग्दर्शित किये गए हैं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसमें दिया हुआ है---संस्थावासी का नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, वय, धर्म और स्त्री है या पुरुष यह लिखा हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि वय और स्त्री है या पुरुष यह लिख दिया जाय। धर्म उसमें से निकाल दिया जाय। श्रीमन्, यह तो ज्ञात ही है कि सदन को कि हमारा यह देश धर्म निरपेक्ष राज्य है और अब यह आवश्यकता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के पीछे उसे किसी भी तरह की राहत दी जाय या उसे बाध्य किया जाय कि वह धर्म न लिखाना चाहे तो अवश्य लिखावे। ऐसा करने से एक ऐसी महिला या ऐसा बालक जो धर्म नहीं बतलाना चाहता बाध्य होगा कि वह बतावे कि किस धर्म से वह सम्बन्ध रखता है। मान्यवर, इससे बड़ा झगड़ा संस्था में भी फैल सकता है और मनमुटाव आपस में संस्थावासियों में हो सकता है। आज पचास सुधारों के बाद भी राज्य सरकार की इच्छा के विपरीत बहुत सी ऐसी प्रथायें समाज में कुप्रथाओं की शक्ल में प्रचलित हैं। अगर मान लिया जाय कि किसी संस्था में बीस या पच्चीस सदस्य भर्ती किए गए और उन सदस्यों में कुछ ऐसे हैं जो अपने को हिन्दू मानते हैं, कुछ ईसाई धर्मावलम्बी आ जायं और कुछ मुस्लिम धर्मावलम्बी आ जायं, क्योंकि कोई प्रतिबन्ध तो है नहीं कि विभिन्न धर्म के लोग नहीं रह सकते हैं। यह व्यवस्था नहीं है। सब धर्म के लोग इनमें रह सकते हैं। अब रजिस्टर मेन्टेन होगा और संस्था वालों को मालूम होगा कि विभिन्न धर्म वाला कोई महिला या बालक आ गया है तो सम्भव है वह धर्म के नाम पर उससे

घृणा करने लग जाय जो संस्था के हित में भी अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करें और धर्म शब्द को निकाल देने का कष्ट करें।

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं कि माननीय रामेश्वरलाल जी को धर्म शब्द से न जाने क्यों अरुचि या आपत्ति है। इस शब्द के निकालने में कोई अहमियत नहीं मालूम होती है। यह तो गैर सरकारी संस्था होगी अगर सरकार की तरफ से होती तब तो यह हो सकता था कि धर्म के नाम पर दाखला न किया जाय। यह गैर सरकारी संस्थायें हिन्दू, मुस्लिम तथा सभी धर्म के लोगों की होंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें धर्म शब्द को रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे हमारा यह मतलब नहीं निकलता है कि हम किसी धर्म का पक्षपात कर रहे हैं। कोई भी शख्स संस्था को रख सकता है। जब हम ग्रान्ट दें तब इस चीज को रखा जा सकता है लेकिन मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि धर्म शब्द को निकालने की जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन, मैं माननीय मंत्री जी के भाषण से जो कुछ समझा हूं उससे मुझे अपने संशोधन को वापस लेने में कोई बल नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि यदि यह शब्द धर्म यहां बना रहेगा तो फिर हमें विधवाओं को ३ या ४ श्रेणियों में विभाजित करना पड़ेगा। हिन्दू विधवा, मुस्लिम विधवा, ईसाई विधवा तथा सिक्ख विधवा, इसी तरह से हिन्दू अनाथ, मुस्लिम अनाथ, ईसाई अनाथ तथा सिक्ख अनाथ। लेकिन मैं तो समझता हूं कि अनाथ अनाथ हैं विधवा विधवा हैं और राज्य सरकार की तरफ से इनको हमदर्दी अनाथ तथा उनके विधवा होने के नाते मिलनी चाहिये। यही प्रेरणा मुझे मिली थी इसी लिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैं समझता हूं कि यदि धर्म शब्द रहेगा तो हमें विधवाओं और अनाथों को तीन चार श्रेणियों में विभाजित करना पड़ेगा और यह विधवाश्रम अनाथालय तथा वहां के निवासियों के लिये भी अहितकर होगा। आगे के जमाने में मंत्री जी इस संशोधन को उपयुक्त समझेंगे यदि आज नहीं समझ पाते।

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उपखंड (ख) का शब्द "धर्म" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८ और ४९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५०--५३

संस्थाओं के नाम।

५०--किसी अनुज्ञप्त संस्था को वही नाम दिया जायगा जिसे बोर्ड अनुमोदित करे।

पदाधिकारियों की सुरक्षा।

५१--किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के संपादन करने का अधिकार दिया गया हो, किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सद्भाव के साथ किया हो अथवा ऐसा करना उसे अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजना (prosecution) अथवा अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सरकारी कर्मचारी (public-servant)।

५२--प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को संपादित करने का अधिकार दिया गया हो, इंडियन पेनल कोड की धारा २१ के अर्थ में सरकारी कर्मचारी (public-servant) समझा जायगा।

जुर्माने ५३—इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जुर्माने कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ द्वारा नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५० के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु अनुमोदन के लिये संस्था के प्रबन्धकों एवं शुभचिन्तकों द्वारा १० नाम दिये जा सकते हैं।"

श्रीमन्, खंड ५० में यह व्यवस्था है कि किसी अनुज्ञप्त संस्था को वही नाम दिया जायगा जिसे बोर्ड अनुमोदित करे। मैं यह चाहता हूं कि जो संस्था के प्रबन्धक या सहायक हैं वे राज्य सरकार के सामने १० नाम तक प्रस्तुत करें और उनमें से जो भी नाम राज्य सरकार चाहे वह उस संस्था का रख दे। श्रीमन्, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का सामाजिक कार्य करना चाहते हैं और काफी सम्पत्ति भी उसके पीछे वे लगाते हैं लेकिन वे यह चाहते हैं कि उनका नाम उस संस्था से सम्बद्ध रहे। मैं उनको थोड़ा सा प्रश्रय देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह जो आपका संशोधन है यह इससे कुछ मेल सा नहीं खाता दीखता है। इसमें लिखा हुआ है कि "किसी अनुज्ञप्त संस्था को वही नाम दिया जायगा जिसे बोर्ड अनुमोदित करे।" तो नाम तो एक ही दिया जायगा। लेकिन आप कहते हैं कि उनके अनुमोदन के लिये संस्था के प्रबन्धकों एवं शुभचिन्तकों द्वारा १० नाम दिये जा सकते हैं। यानी १० नाम स्वीकार किये जायंगे।

श्री रामेश्वरलाल—जी नहीं। दस में से एक नाम को जिसे राज्य सरकार चाहे चुन ले।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो ठीक है।

श्री रामेश्वरलाल—तो श्रीमन्, उससे सरकार को भी आसानी होगी किसी संस्था का नामकरण करने में और इसके साथ-साथ उन लोगों को प्रश्रय भी मिलेगा जो इस तरह का काम करना चाहते हैं और सम्पत्ति लगाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस विचार को समझ गये होंगे और इसे मान लेने में उनके सामने कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे बहुत आपत्ति है इस कारण कि इस विधेयक के पीछे यह मन्शा है कि ऐसी संस्थाओं का ऐसा नाम न हो जैसा कि खासतौर से इस भवन में जिक्र किया गया कि "विधवाश्रम" या "अनाथाश्रम"। श्री रामेश्वरलाल जी के संशोधन से यह होगा कि अगर दसों नामों में उन्होंने "विधवाश्रम या अनाथाश्रम" जोड़ दिया तो बोर्ड को एक न एक स्वीकार करना होगा। वैसे उनको अधिकार होगा कि दस के बजाय २० नाम दें। लेकिन एप्रूवल जो होगा वह बोर्ड अगर यह देखेगा कि कोई ऐसा नाम नहीं है जो अपमानजनक हो या उस संस्था को बदनाम करने के लिये हो तब ऐसा करेगा। इसी ख्याल से यह धारा इस विधेयक में है। किसी संस्थापक के लिये यह बाधा नहीं है वह जितने चाहे नाम दे दस, पन्द्रह, बीस आपस में बातें करके वह दे दें। उसके बाद निर्णय कर लिया जायगा कि इस संस्था के लिये कौन सा नाम उपयुक्त होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आपत्ति बतलाई है इस संशोधन के स्वीकार करने में वह स्पष्ट नहीं है। चूंकि संशोधन केवल यह है कि अनुमोदन के लिये संस्था के प्रबन्धकों एवं शुभचिन्तकों द्वारा नाम दिये जा सकते हैं तो इस में यहां कहां है कि जो दस नाम दिये जायं उन्हीं में से चुनना होगा।

इनको केवल यह अधिकार दिया गया है कि वे दस नाम भेज सकते हैं और इन नामों से अगर वह चाहे तो स्वीकार करे और न चाहे तो न करे। अगर इसमें बाध्यता होती कि इन्हीं में से चुनना अनिवार्य है तब तो बात हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की कठिनाई काल्पनिक है वास्तविक नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री शिवनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो अमेंडमेंट दिया है उसका विरोध करता हूं। हमारे वयोवृद्ध नेता ने उधर से अभी कहा कि मंत्री जी की कठिनाई काल्पनिक है। लेकिन जैसा इसमें है वह तो यही है कि वह जितने चाहें उतने नाम दे दें तीन, या पचास या पचीस जितने नाम चाहें दें, अब बोर्ड को अधिकार होगा जिसको चाहे सेलेक्ट कर दे। कानून में लिमिटेशन नहीं होना चाहिये, उसका दरवाजा खुला रहेगा ताकि रुकावट न रहे इसलिये मैं विरोध करता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया वही ठीक है और जैसा कानून बना हुआ है वह उचित है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और सरकार का जो कानून है उसका समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी माननीय सदस्य ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी माननीय मंत्री जी का भाषण सुना। मैं इसको मानता हूं कि जो इसमें संशोधन है कि दस आदमी का नाम सजेस्ट करे उसमें बोर्ड को अधिकार होगा कि उसमें किसी को सेलेक्ट करे या न करे यानी संशोधन के पेश करने वाले सज्जन तो यह चाहते हैं कि दस नाम देने का अधिकार मिलना चाहिये। अभी इस धारा के जरिये यह अधिकार नहीं है। वह अधिकार लेने के लिये ही चाहते हैं कि दस नाम भेजें। कोई यह तो है नहीं कि दस में से एक चुना ही जाय। यह मैं समझता हूं कि उचित है और इसको मानने में कोई हानि नहीं होगी।

श्री कैलाश प्रकाश---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन अनावश्यक प्रतीत होता है। इसमें मुझे भ्रम भी प्रतीत होता है। कोई संस्था बनाना चाहता है और उसका नाम रखना चाहता है तो उस नाम का ऐप्रूवल गवर्नमेंट से लेगा। गवर्नमेंट को नाम नहीं रखना है या बोर्ड को नाम नहीं रखना है। अगर आप कहें कि १० नाम भेजें तो यह अजीब सी बात मालूम होगी। कोई संस्था बनाई जाती है उसका एक नाम रखा जाता है। मामूली तरीके से एक नाम भेजेगी। अगर कोई एतराज होगा उस नाम में या जो इस बिल के उद्देश्य हैं उन पर गलत प्रभाव डालता होगा तो बोर्ड या गवर्नमेंट उसमें यह कहेगी कि इस तरह का नाम ठीक नहीं है। इसमें कुछ संशोधन हो जाना चाहिये। ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरी जगह से लाकर नाम रख देंगे। तो यह बिल्कुल अनावश्यक है कि वह १० या १५ नाम भेजें। वह नाम भेजें और उसका अप्रूवल होगा यहां से और इसलिये यह अनावश्यक प्रतीत होता है और मेरा ख्याल है कि उनका मंशा भी यही है और यह ऐसे ही स्पष्ट है। इसलिये मुझे इसमें आपत्ति है।

श्री रामेश्वर लाल---श्रीमन्, यह मैं भलीभांति जानता हूं कि राज्य सरकार को यह जो नाम आयेंगे उनके सम्बन्ध में किसी का अनुमोदन ही करना है। यह समझते हुए भी मैंने यह प्रस्ताव किया था, लेकिन मैं कुछ काम आसान कर देना चाहता था राज्य सरकार का। मैं जानता हूं कि संस्थाओं के नामकरण के संबंध में तीन चार तरह के नाम आते हैं राजनैतिक नेताओं के नाम सामाजिक नेताओं के नाम धार्मिक नाम और व्यक्तियों के नाम। इन्हीं चार श्रेणियों के बीच के नाम आयेंगे, लेकिन यदि

[श्री रामेश्वर लाल]

किसी विशेष व्यक्ति के पीछे कोई संस्था चलती है तो क्या हो। अगर यही रख दिया जाय कि जितने नाम दिये जायं किसी संस्था के लिये सरकार की एप्रूवल के लिये तो उसमें बहुत से नाम आ सकते हैं और राज्य सरकार उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती। अगर यह मान लें कि एक हजार नाम एक संस्था के नामकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास आये तो श्रीमन्, मेरी यह बात अपनी जगह पर सही है कि एक हजार नामों में एक नाम छांट लेना राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों के लिये एक असुविधाजनक कार्य होगा, एक बड़ा कठिन और दुस्तर कार्य होगा। इसलिये मैं चाहता था कि यहां १० नाम कर दिये जायं—आपस में लड़-झगड़ कर, फ़ैसला करके, जैसे भी हो संस्था के लोग केवल १० नाम ही सरकार के पास भेजें। तो राज्य सरकार का काम आसान हो जायगा और उनमें जिस नाम का राज्य सरकार अनुमोदन करना चाहती है वह कर देगी। तो मैं कार्य को सूक्ष्म और आसान बनाना चाहता था इसलिये मैंने इस संशोधन को रखा है। यदि माननीय मंत्री जी इस पर विचार नहीं करेंगे तो मुझे इसको वापस लेने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने कर्मचारियों और राज्य सरकार की कठिनाइयों की तरफ ध्यान दें। हजारों नाम आयेंगे और एक-एक आदमी के वहां दस-दस नाम प्रस्तावित होंगे और उस में यह जान लेना कि संस्था के लिये कौन उपयुक्त होगा यह सुविधाजनक नहीं है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। अगर वह इसको स्वीकार कर लें तो अच्छा है, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो उनका कार्य गुरुतर होगा और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय पालीवाल जी ने यह कहा कि प्रस्ताव का यह मंशा नहीं है कि दस नामों में से ही वह नाम लिये जायं या रक्खे जायं। मैंने जहां तक मुझे याद है सुना यह कि रामेश्वरलाल जी ने यह कहा था कि दस नामों में से ही एक नाम होना चाहिये इसलिये उन्होंने यह संशोधन रक्खा है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं था। नाम तो पेश हो ही सकते हैं। उनका मंशा था कि दस नाम दिये जायं और उनमें से ही एक नाम मंजूर किया जाय। अगर यह बात है तो मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और अगर यह बात नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी आजादी होगी किसी भी संस्था के लोगों को दस, बारह, पंद्रह नाम हमारे पास भेजें, आपस में समझौता करके उसका नाम रख लिया जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री रामेश्वरलाल—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५०, ५१, ५२ और ५३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५४

नियम बनाने के अधिकार।

५४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है:

(क) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और वेतन तथा उनके भत्ते और सेवा की शर्तें;

(ख) बोर्ड के कृत्य और कर्तव्य;

(ग) वह रूप जिसमें तथा अवधि जिसके भीतर, बोर्ड का बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाय और राज्य सरकार को भेजी जाय;

(घ) वह रूप जिसमें और रीति जिससे बोर्ड के लेखे (accounts) रक्खे जायं तथा वह समय जब और रीति जिससे इन लेखों की परीक्षा की जाय;

(ङ) विवरण और सूचनाएं जिन्हें राज्य सरकार को भेजने के लिये बोर्ड से अपेक्षा की जाय;

(च) बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं के निबन्धन तथा शर्तें (terms and Conditions);

(छ) बोर्ड की बैठकें तथा उनमें कार्य-संचालन की प्रक्रिया (manner);

(ज) रीति जिससे और प्रयोजन जिनके लिये उपसमितियों और स्थानीय समितियां नियुक्त की जा सकती हैं;

(झ) रीति जिससे और प्रयोजन जिनके लिये धारा १३ के अधीन बोर्ड के साथ व्यक्तियों को संबद्ध किया जा सकता है;

(ञ) उपसमितियों और स्थानीय समितियों के सदस्यों तथा धारा १३ के अधीन बोर्ड से संबद्ध व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ट) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त संस्था के प्रबन्ध के निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण (supervision, direction and Control) से सम्बद्ध विषय;

(ठ) धारा २६ के अधीन अनुज्ञप्ति देने या देने से संबद्ध प्रक्रिया;

(ड) धारा ३० के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रमाणन से संबद्ध प्रक्रिया;

(ढ) धारा ३१ के अधीन अनुज्ञप्ति रद्द करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ण) धारा २७ अथवा ३१ के अधीन अपीलें प्रस्तुत करने और उनका निस्तारण करने से संबद्ध प्रक्रिया;

(त) धारा ३२ के अधीन एक संस्था के वासियों के दूसरी संस्था में स्थानान्तरण करने से संबद्ध विषय;

(थ) धारा ३४ के अधीन वर्तमान संस्थाओं को बन्द करने से संबद्ध विषय;

(द) धारा ३५ के अधीन नोटिस की सुनवाई से संबद्ध प्रक्रिया;

(ध) वे विषय जिनका संबंध अनुज्ञप्त संस्थाओं के प्रबन्ध तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने से हो; और

(न) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम सदन की मेज पर रखे जायंगे और ऐसा करने के १४ दिन के भीतर सदन को उसमें समुचित संशोधन करने का अधिकार होगा।"

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब यह संशोधन पेश करता हूं तो एक सिद्धांत की रक्षा के लिये पेश करता हूं। संसार में सर्वत्र ही जहां-जहां जनतांत्रिक पद्धति है वहां-वहां यह सवाल पैदा हुआ है कि कौन-कौन से अधिकार एक्जिक्यूटिव के हाथ में होने चाहिये और कौन से अधिकार जनप्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिये। उसमें यह माना गया है कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एक्जिक्यूटिव के ऊपर है चूंकि वह उस प्रशासन के विषय के विशेषज्ञ होते हैं---वहां, एक्जिक्यूटिव के लोगों में नौकरशाही में, सरकारी अधिकारियों में वह दृष्टिकोण नहीं होता जो जनप्रतिनिधियों में होता है। इसलिये जनता के संबंध में विधान बनाने का अधिकार विधान सभा को ही होता है। लेकिन जब नियम बनाने का अधिकार किसी कानून के अनुसार एक्जिक्यूटिव के हाथ में दे दिया जाता है तब उससे बहुधा उसका उद्देश्य विफल होता है और उस भावना का हनन होता है। इसीलिये संसार में सर्वत्र यह नियम अब चल गया है कि यह नियम भी इस सदन की कमेटी के सामने जाने चाहिये जो उनकी परीक्षा करे कि यह नियम जो बनाये गये हैं वह उस भावना के विरुद्ध तो नहीं है. . ..

श्री रामसेवक यादव---अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस कोरम के संबंध में भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो आज यहां कम से कम १५,१६ बार यह कोरम की घंटी बजायी गयी है। इससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस सदन के काम में किसी की दिलचस्पी नहीं है। ऐसी दशा में क्या यह बेहतर नहीं है कि अगर लोग सदन के काम में दिलचस्पी नहीं रखते तो आज की सभा स्थगित कर दी जाय। इस प्रकार से बारबार घंटी बजाना और कार्य का संचालन करना ठीक नहीं है। इस संबंध में जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह अनुचित है कि इतनी बार यहां पर कोरम कायम नहीं रह सका। मैंने आज सबेरे भी थोड़ा सा इसका जिकर किया था जब कि बारह बजे के पहले ही ऐसा मौका आया कि एक बार घंटी बजानी पड़ी। मैंने सबेरे इसलिये सदन को स्थगित नहीं किया कि जब एक विधेयक समाप्त हो रहा हो तो उस विधेयक के संबंध में ऐसी चीज न की जाय लेकिन आइन्दा कड़ाई के साथ इस विषय में कार्यवाही करूंगा और अगर २,३ बार घंटी बजानी पड़ी तो मैं अभी से आगाह कर देता हूं कि सोमवार से मैं सदन का कार्य स्थगित कर दूंगा चाहे काम पूरा हो या न हो। आज तो परिस्थिति को भुगत लेना ही पड़ेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिये इस प्रकार की कमेटी बनायी जाती है जो इस बात को देखे कि जो नियम बनाये गये हैं अधिकारियों द्वारा वह जो ऐक्ट बना है उसकी भावना के विरुद्ध तो नहीं हैं। मेरी राय में इस बात के देखे जाने की आवश्यकता है। कभी-कभी ऐसे नियम आम जनता के लिये बड़े हैरेसिंग, परेशान करने वाले हो जाते हैं और बड़ी कठिनाई हो जाती है और अधिकारियों द्वारा या क्लर्कों द्वारा जनता के शोषण का साधन बन जाते हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है, और स्वयं सरकार भी बहुधा इस तरह के विधेयक लाई है, कि जिनमें मेरे जैसे प्रतिबन्ध रखे गये हैं। इसलिये शायद इस विधेयक में यह भूल से रह गया है। अगर कोई विशेष कारण न हो, जो मैं माननीय मंत्री जी की बात सुन कर ही जान सकता हूं, तो मेरा विश्वास है कि वह इस सिद्धांत की बात को मान लेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी यदि मुझे यह इत्मीनान हो जाय कि इस अधिनियम के लागू कराने में

रूल्स के कारण, संभव है कि सदन फिर न बैठ सकें, और दूसरी असेम्बली के सामने मामला न आवे, तो मैं चाहता हूं कि ये नियम बना लिये जायं और लागू भी हो जावें और इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी जावें जिस पर वे विचार कर लें। अगर यह आश्वासन दिया जा सकता है कि यह बिल बनने के बाद, रूल्स बनने के बाद वे लागू हो जावेंगे, उसके बाद यदि माननीय सदस्यगण चाहेंगे तो अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो लाजमी तौर से वे रूल्स हाउस के सामने आवेंगे और उन पर विचार कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम को लागू करने की व्यवस्था जल्द हो और इस प्रकार का बंधन न पड़े कि नियमों के इस सदन से स्वीकृति होने पर यह लागू हो।

श्री अध्यक्ष—नियम तो तभी लागू हो जावेंगे और वे अमल में आ जावेंगे। लेकिन सदन में वह रख दिया जायगा और १४ दिन के अन्दर उसके ऊपर लोग संशोधन दे सकते हैं और यदि कोई स्वीकार हो जावेंगे तो वह संशोधित रूप में ही नियम लागू होंगे इस तरह की यह धारा हो सकती है। इसमें जरा थोड़ा वाक्यों में अन्तर होगा। पालीवाल जी अन्तर करेंगे तो वह हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरा मंशा यही है कि नियम लागू हो जावें लेकिन सदन में अवश्य आवें। सदन से संशोधित होकर फिर वे लागू उस रूप में हों।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में अन्य अधिनियमों की शब्दावली मैं मंगाता हूं। उसे अगर आप लोग स्वीकार कर लें तो उनका मंशा पूरा हो जायगा। अन्य विधेयकों में ऐसा हुआ है। जब तक वह आवें तब तक हम आगे का खंड ले लें।

(खंड ५४ पर विचार स्थगित हुआ।)

खंड १

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (३) की पंक्ति २ के शब्द "करे" के बाद पूर्ण विराम रख कर उसके बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, खंड १ (३) इस प्रकार है—

"यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।"

इसमें मैं यह चाहता हूं कि "राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं", यह शब्द निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस खंड के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि यह जो उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल-संस्था अधिनियम है उसके जारी हो जाने पर वह कहीं भी लागू किया जा सकता है और किसी भी दिनांक से लागू किया जा सकता है लेकिन इसमें यह भी व्यवस्था की गयी है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं। जब यह सरकारी गजट में प्रकाशित ही होगा तो यह जो आगे वाले शब्द हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक क्षेत्र के लिये भी हो सकता है और समस्त क्षेत्रों के लिये भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को विचार करने के बाद स्वीकार कर लेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, यह नहीं मालूम पड़ता कि इन शब्दों को निकाले जाने की क्या आवश्यकता है। गवर्नमेंट की तो यह कोशिश होगी कि सभी जगहों पर एक ही समय में उसको लागू कर दिया जाय। संभव है कोई ऐसा स्थान हो जहां पर लागू न किया जा सकता हो, इसके लिये यह शब्द रक्खे गये हैं लेकिन गवर्नमेंट की मंशा यही है कि सब स्थानों पर इसको एक ही समय में लागू कर दिया जाय। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब मैं खंड ५४ को लिये लेता हूं।

जमींदारी ऐक्ट में यह दिया हुआ है:—

"इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे।"

इसके आगे है:—

"इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वह इस प्रकार रक्खे जायं।"

मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले खंड की जो शब्दावली है वह ठीक है कि "इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे।"

दूसरा भाग इस प्रकार रहेगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम सदन की मेज पर यथाशीघ्र रखे जायेंगे और ऐसा करने के १४ दिन के भीतर सदन को उसमें संशोधन लाने का अधिकार होगा और किसी संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर नियमों में सदन की आज्ञानुसार संशोधन कर दिया जायगा।"

इस तरह की शब्दावली में इसमें रख दूंगा। इस तरह का अधिकार आप मुझको दे दें।

प्रश्न यह है कि जो शब्दावली अभी मैंने सदन के सामने रखी है उसको यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक और प्रस्तावना

महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाली संस्थाओं के श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण की व्यवस्था करने का

विधेयक

प्रस्तावना

महिलाओं तथा बालकों की देख-रेख करने वाले अनाथालयों तथा अन्य संस्थाओं का श्रेष्ठतर नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा उन संस्थाओं में रहने वालों की समुचित अभिरक्षा (custody) और देख-रेख और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है :

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य जुगलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और सोमवार, ३ सितम्बर, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ४३ मिनट पर सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३१ अगस्त, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में, संसद द्वारा विधितः राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से भिन्न ऐसे स्मारकों, स्थानों और अवशेषों के परिरक्षण तथा संरक्षण (Preservation and protection) की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में, ऐंशेंट ऐंड हिस्टारिकल मानूमेंट्स ऐंड आर्क्योलाजिकल साइट्स ऐंड रिमेन्स (डिक्लेरेशन आफ नेशनल इम्पार्टेन्स) ऐक्ट, १९५१ द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से भिन्न ऐसे स्मारकों, स्थानों और अवशेषों के परिरक्षण तथा संरक्षण की तथा अन्य संबद्ध विषयों की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातत्वीय स्थानों या अवशेषों के किसी भी निर्देश (reference) से तात्पर्य है ऐंशेन्ट ऐंड हिस्टारिकल मानूमेन्ट्स ऐंड आर्क्योलाजिकल साइट्स ऐंड रिमेन्स (डिक्लेरेशन आफ नेशनल इम्पार्टेन्स) ऐक्ट, १९५१ द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्वीय स्थान या अवशेषों से भिन्न ऐसे स्मारक, स्थान या अवशेष।

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों के सम्बन्ध में ऐक्ट संख्या ७, १९०४ ई० का पुनः अधिनियमन और उसका लागू होना।

३—ऐंशेंट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, १९०४ के उपबन्ध, जैसे कि वे अनुसूची १ में उन परिष्कारों सहित निर्दिष्ट हैं जो अनुसूची २ में उल्लिखित हैं, एतद्द्वारा पुनः अधिनियमित (re-enacted) किये जाते हैं और वे उत्तर प्रदेश के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर लागू होंगे और हमेशा से लागू हुये समझे जायेंगे।

४—ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रीजरवेशन ऐक्ट, १९०४ के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत की गयी या की हुई समझी गयी या जारी की गयी या जारी हुई समझी गयी कोई घोषणा, नियुक्ति, विज्ञप्ति, आज्ञा, अनुदेश, आदेश, योजना, नियम, विनियम, आकार-पत्र या प्रमाण-पत्र जहां तक वह इस अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित तथा परिष्कृत उक्त अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबंधों के अधीन किये गये या प्रचारित किये गये समझे जायेंगे, जब तक कि अन्यथा आदेश न हों अथवा वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी बात अथवा किये गये किसी कार्य से अधिक्रांत न हों।

ऐक्ट ७, १९०४ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्तियों तथा आज्ञाओं का बना रहना।

अनुसूची १

(धारा ३ देखिये)

THE ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION ACT, 1904

(Act No. VII of 1904)

(18*th March*, 1904)

[AS MODIFIED UP TO THE 25TH OCTOBER, 1951]

AN Act

to provide for the preservation of Ancient Monuments and Objects of Archaeological, Historical or Artistic Interest

WHEREAS it is expedient to provide for the preservation of ancient monuments, for the exercise of control over traffic in antiquities and over excavation in certain places, and for the protection and acquisition in certain cases of ancient monuments and of objects of archaeological, historical or artistic interest;

It is hereby enacted as follows :

1. Short title and extent—(1) This Act may be called the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

(2) It extends to the whole of India except the States of Jammu and Kashmir.

2. Definitions—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "ancient monument" means any structure, erection or monument or any tumulus or place of interment, or any cave, rock-sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest, or any remains thereof, and includes—

(*a*) the site of an ancient monument;

(*b*) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument ; and

(*c*) The means of access to and convenient inspection of an ancient monument.

(2) "antiquities" include any movable objects which the Central Government, by reason of their historical or archaeological associations, may think it necessary to protect against injury, removal or dispersion ;

(3) "Commissioner" includes any officer authorized by the Central Government to perform the duties of a Commissioner under this Act;

(4) "maintain" and "maintenance" include the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of maintaining a protected monument or of securing convenient access thereto ;

(5) "land" includes a revenue-free estate, a revenue-paying estate, and a permanent transferable tenure, whether such an estate or tenure be subject to incumbrances or not; and

(6) "owner" includes a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners, and any manager or trustee exercising powers of management over an ancient monument, and the successor in title of any such owner and the successor in office of any such manager or trustee :

Provided that nothing in this Act shall be deemed to extend the powers which may lawfully be exercised by such manager or trustee.

3. Protected monuments—(1) The Central Government may, by notification in the official *Gazette*, declare an ancient monument to be a protected monument within the meaning of this Act.

(2) A copy of every notification published under sub-section (1) shall be fixed up in a conspicuous place on or near the monument, together with an intimation that any objections to the issue of the notification received by the Central Government within one month from the date when it is so fixed up will be taken into consideration.

(3) On the expiry of the said period of one month, the Central Government, after considering the objections, if any, shall confirm or withdraw the notification.

(4) A notification published under this section shall, unless and until it is withdrawn, be conclusive evidence of the fact that the monument to which it relates is an ancient monument within the meaning of this Act.

4. Acquisition of rights in or guardianship of an ancient monument—(1) The Collector, with the sanction of the Central Government, may purchase or take a lease of any protected monument.

(2) The Collector, with the like sanction, may accept a gift or bequest of any protected monument.

(3) The owner of any protected monument may, by written instrument, constitute the Commissioner the guardian of the monument, and the Commissioner may, with sanction of the Central Government, accept such guardianship.

(4) When the Commissioner has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title and interest in and to the monument as if the Commissioner had not been constituted grardian thereof.

(5) When the Commissioner has accepted the guardianship of a monument under sub-section (3), the provisions of this Act relating to agreements executed under section 5 shall apply to the written instrument executed under the said sub-section.

(6) Where a protected monument is without an owner, the Commissioner may assume the guardianship of the monument.

5. Preservation of ancient monument by Agreement—(1) The Collector may, with the previous sanction of the Central Government, propose to the owner to enter into an agreement with the Central Government for the preservation of any protected monument in his district.

(2) An agreement under this section may provide for the following matters, or for such of them as it may be found expedient to include in the agreement—

(*a*) the maintenance of the monument ;

(*b*) the custody of monument, and the duties of any person who may be employed to watch it ;

(*c*) the restriction of the owner's right to destroy, remove, alter or deface the monument or to build on or near the site of the monument;

(*d*) the facilities of access to be permitted to the public or to any portion of the public and to persons deputed by the owner or the Collector to inspect or maintain the monument;

(*e*) the notice to be given to the Central Government in case the land on which the monument is situated is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the Central Government to purchase such land, or any specified portion of such land, at its market value;

(*f*) the payment of any expenses incurred by the owner or by the Central Government in connexion with the preservation of the monument ;

(*g*) the proprietary or other rights which are to vest in his Majesty in respect of the monument when any expenses are incurred by the Central Government in connexion with the preservation of the monument;

(*h*) the appointment of an authority to decide any dispute arising out of the agreement; and

(*i*) any matter connected with the preservation of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the Central Government.

(3) * * * *

(4) The terms of an agreement under this section may be altered from time to time with the sanction of the Central Government and with the consent of the owner.

(5) With the previous sanction of the Central Government, the Collector may terminate an agreement under this section on giving six months notice in writing to the owner.

(6) The owner may terminate an agreement under this section on giving six months' notice to the Collector.

(7) An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be owner of the monument to which it relates, through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.

(8) Any rights acquired by the Central Government in respect of expenses incurred in protecting or preserving a monument shall not be affected by the termination of an agreement under this section.

6. Owners under disability or not in possession—(1) If the owner is unable, by reason of infancy or other disability, to act for himself, the person legally competent to act on his behalf may exercise the powers conferred upon an owner by section 5.

(2) In the case of village property, the headman or other village-officer exercising powers of management over such property may exercise the powers conferred upon an owner by section 5.

(3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person not being of the same religion as the persons on whose behalf he is acting to make or execute an agreement relating to a protected monument which or any part of which is periodically used for the religious worship or observances; of that religion.

7. Enforcement of agreement—(1) If the Collector apprehends that the owner or occupier of a monument intends to destroy, remove, alter, deface, or imperil the monument or to build on or near the site thereof in contravention of the terms of an agreement for its preservation under section 5, the Collector may make an order prohibiting any such contravention of the agreement.

(2) If an owner or other person who is bound by an agreement for the preservation or maintenance of a monument under section 5 refuses to do any act which is in the opinion of the Collector necessary to such preservation or maintenance, or neglects to do any such act within such reasonable time as may be fixed by the Collector, the Collector may authorize any person to do any such act, and the expense of doing any such act or such portion of the expense as the owner may be liable to pay under the agreement may be recovered from the owner as if it were an arrear of land revenue.

(3) A person aggrieved by an order made under this section may appeal to the Commissioner, who may cancel or modify it and whose decision shall be final.

8. Purchasers at certain sales and persons claiming through owner bound by instrument executed by owner—Every person who purchases, at a sale for arrears of land revenue or any other public demand, or at a sale made under the Bengal Patni Taluks Regulation, 1819 (Ben. Reg. VIII of 1819), an estate or tenure in which is situated a monument in respect of which any instrument has been executed by the owner for the time being, under section 4 or section 5 and every person claiming any title to a monument from, through or under an owner who executed any such instrument, shall be bound by such instrument.

9. Application of endowment to repair of an ancient monument—(1) if any owner or other person competent to enter into an agreement under section 5 for the preservation of a protected monument, refuses or fails to enter into such an agreement when proposed to him by the Collector and if any endowment has been created for the purpose of keeping such monument in repair, or for that purpose among others, the Collector may institute a suit in the Court of the District Judge, or, if the estimated cost of repairing the monument does not exceed one thosand rupees, may make an application to the District Judge for the proper application of such endowment or part thereof.

(2) On the hearing of an application under sub-section (1), the District Judge may summon and examine the owner and any person whose evidence appears to him necessary, and may pass an order for the proper application of the endowment or of any part thereof, and any such order may be executed as if it were the decree of a Civil Court.

10. Compulsory purchase of ancient monument—(1) If the Central Government apprehends that a protected monument is in danger of being destroyed, injured or allowed to fall into decay, the Central Government may direct the State Government to acquire it under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894), as if the preservation of a protected monument were a "public purpose" within the meaning of that Act.

(2) The powers of compulsory purchase conferred by sub-section (1) shall not be exercised in the case of—

(*a*) any monument which or any part of which is periodically used for religious observances ; or

(*b*) any monument which is the subject of a subsisting agreement executed under section 5.

(3) In any case other than the cases referred to in sub-section (2) the said powers of compulsory purchase shall not be exercised unless the owner or other person competent to enter into an agreement under section 5 has failed, within such reasonable period as the Collector may fix in this behalf, to enter into an agreement proposed to him under the said section or has terminated or given notice of his intention to terminate such an agreement.

10-A. Power of Central Government to control mining, etc. near ancient monument—(1) If the Central Government is of opinion that mining, quarrying, excavating, blasting and other operations of a like nature should be restricted on regulated for the purpose of protecting or preserving any ancient monument, the Central Government may, by notification in the official *Gazette*, make rules—

(*a*) fixing the boundaries of the area to which the rules are to apply,

(*b*) forbidding the carrying on of mining, quarrying, excavating, blasting or any operation of a like nature except in accordance with the rules and with the terms of a licence, and

(*c*) prescribing the authority by which, and the terms on which, licences may be granted to carry on any of the said operations.

(2) The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

(3) A rule made under this section may provide that any person committing a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(4) If any owner or occupier of land included in a notification under sub-section (1) proves to the satisfaction of the Central Government that he has sustained loss by reason of such land being so included, the Central Government shall pay compensation in respect of such loss.

11. Maintenance of certain protected monuments—(1) The Commissioner shall maintain every monument in respect of which the Government has acquired any of the rights mentioned in section 4 or which the Government has acquired under section 10.

(2) When the Commissioner has accepted the guardianship of a monument under section 4, he shall, for the purpose of maintaining such moument, have access to the monument at all reasonable times, by himself and by his agent, subordinates and workmen, for the purpose of inspecting the monument, and for the purpose of bringing such materials and doing such acts as he may consider necessary or desirable for the maintenance thereof.

12. Voluntary Contributions—The Commissioner may receive voluntary contributions towards the cost of maintaining a protected monument and may give orders as to the management and application of any funds so received by him :

Provided that no contribution received under this section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed.

13. Protection of place of worship from misuse, pollution or desecration—(1) A place of worship or shrine maintained by the Government under this Act shall not be used for any purpose inconsistent with its character.

(2) Where the Collector has, under section 4, purchased or taken a lease of any protected monument, or has accepted a gift or bequest, or the Commissioner has, under the same section, accepted the guardianship thereof, and such monument, or any part thereof, is periodically used for religious worship or observances by any community, the Collector shall make due provision for the protection of such monument, or such part thereof, from pollution or desecration—

(*a*) by phohibiting the entry therein, except in accordance with conditions prescribed with the concurrence of the persons in religious charge of the said monument or part thereof, of any person not entitled so to enter by the religious usages of the community by which the monument or part thereof is used, or

(*b*) by taking such other action as he may think necessary in this behalf.

14. Relinquishment of Government rights in a monument—With the sanction of the Central Government, the Commissioner may--

(*a*) where rights have been acquired by the Central Government in respect of any monument under this Act by virtue of any sale, lease, gift or will, relinquish the rights so acquired to the person who would for the time being be the owner of the monument if such rights had not been acquired, or

(*b*) relinquish any guardianship of a monument which he has accepted under this Act.

15. Right of access to certain protected monuments—(1) Subject to such rules as may after previous publication be made by the Central Government, the public shall have a right of access to any monument maintained by the Central Government under this Act.

(2) In making any rule under sub-section (1) the Central Government may provide that a breach of it shall be punishable with fine which may extend to twenty rupees.

16. Penalties—Any person other than the owner who destroys, removes, injures, alters, defaces or imperils a protected monument, and any owner who destroys, removes, injures, alters, defaces or imperils a monument maintained by the Central Government under this Act or in respect of which an agreement has been executed under section 5, and any owner or occupier who contravenes an order made under section 7, sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, or with imprisonment which may extend to three months, or with both.

17. Power to Central Government to control traffic in antiquities—(1) If the Central Government apprehends that antiquities are being sold or removed to the detriment of India or of any neighbouring country, it may, by notification in the official *Gazette*, prohibit or restrict the bringing or taking by

sea or by land of any antiquities or class of antiquities described in the notification into or out of the territories to which this Act extends or any specified part of the said territories.

(2) Any person who brings or takes or attempts to bring or take any such antiquities into or out of (the said territories) or any part of (the said territories) in contravention of a notification issued under sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(3) Antiquities in respect of which an offence referred to in sub-section (2) has been committed shall be liable to confiscation.

(4) An officer of Customs, or an officer of Police of a grade not lower than Sub-Inspector, duly empowered by the Central Government in his behalf, may search any vessel, cart or other means of conveyance, and may open any baggage or package of goods, if he has reason to believe that goods in respect of which an offence has been committed under sub-section (2) are contained therein.

(5) A person who complains that the power of search mentioned in sub-section (4) has been vexatiously or improperly exercised may address his complaint to the Central Government and the Central Government shall pass such order and may award such compensation, if any, as appears to it to be just.

18. Power to Central Government to control moving of sculptures, carvings or like objects—(1) If the Central Government considers that any sculptures, carvings, images, bas-reliefs, inscriptions or other like objects ought not to be moved from the place where they are without the sanction of the Central Government, the Central Government may by notification in the official *Gazette*, direct that any such objects or any class of such objects shall not be moved unless with the written permission of the Collector.

(2) A person applying for the permission mentioned in sub-section (1) shall specify the object or objects which he proposes to move, and shall furnish, in regard to such object or objects, any information which the Collector may require.

(3) If the Collector refuses to grant such permission, the applicant may appeal to the Commissioner, whose decision shall be final.

(4) Any person who moves any object in contravention of a notification issued under sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(5) If the owner of any property proves to the satisfaction of the Central Government that he has suffered any loss or damage by reason of the inclusion of such property in a notification published under sub-section (1), the Central Government shall either—

(*a*) exempt such property from the said notification ;

(*b*) purchase such property, if it be movable, at its market value ; or

(*c*) pay compensation for any loss or damage sustained by the owner of such property, if it be immovable.

19. Purchase of scupltures, carvings or like objects by the Government—(1) If the Central Government apprehends that any object mentioned in a notification issued under section 18, sub-section (1) is in danger of being destroyed, removed, injured or allowed to fall into decay, the Central Government may pass orders for the compulsory purchase of such object at its market value, and the Collector shall thereupon give notice to the owner of the object to be purchased.

(2) The power of compulsory purchase given by this section shall not extend to—

(*a*) any image or symbol actually used for the purpose of any religious observance ; or

(*b*) anything which the owner desires to retain on any reasonable ground personal to himself or to any of his ancestors or to any member of his family.

20. Power of Central Government to notify areas as protected—(1) if the Central Government is of opinion that excavation of archaeological purposes in any area should be restricted and regulated in the interests of archaeological research the Central Government may, by notification in the official *Gazette*, specifying the boundaries of the area, declare it to be a protected area.

(2) From the date of such notification all antiquities buried in the protected area shall be the property of the Government and shall be deemed to be in the possession of the Government and shall remain the property and in the possession of the Government until ownership thereof is transferred but in all other respects the rights of any owner or occupier of land in such area shall not be affected.

20-A. Power to enter upon and make excavations in a protected area—(1) Any officer of the Archaeological Department or any person holding a licence under section 20-B may, with the written permission of the Collector, enter upon and make excavations in any protected area.

(2) Where, in the exercise of the power conferred by sub-section (1), the rights of any person are infringed by the occupation on disturbance of the surface of any land, the Central Government shall pay to that person compensation for the infringement.

20-B. Power of Central Government to make rules regulating to archaeological excavation in protected areas—(1) The Central Government may make rules—

(*a*) prescribing the authorities by whom licences to excavate for archaeological purposes in a protected area may be granted;

(*b*) regulating the conditions on which such licences may be granted, the form of such licences, and the taking of security from licensees;

(*c*) prescribing the manner in which antiquities found by a licensee shall be divided between the Central Government and the licensee; and

(*d*) generally to carry out the purposes of section 20.

(2) The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

(3) Such rules may be general for all protected areas for the time being or may be special for any particular protected area or areas.

(4) Such rules may provide that any person committing a breach of any rule or of any condition of a licence shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and may further provide that where the breach has been by the agent or servant of a licensee the licensee himself shall be punishable.

20-C. Power to acquire a protected area—If the Central Government is of opinion that a protected area contains an ancient monument or antiquities of national interest and value (it) may direct the State Government to acquire such area, or any part thereof, and the State Government may thereupon acquire such area or part under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) as for a public purpose.

21. Assessment of market-value or compensation—(1) The market value of any property which Government is empowered to purchase at such value under this Act, or the compensation to be paid by Government in respect of anything done under this Act, shall, where any dispute arises (in respect) of such market-value or compensation, be ascertained in the manner provided by the Land Acquisition Act, 1894, sections 4, 8 to 34, 45 to 47, 51 and 52 so far as they can be made applicable :

Provided that when making an inquiry under the said Land Acquisition Act, 1894, the Collector shall be assisted by two assessors, one of whom shall be a competent person nominated by the Collector, and one a person nominated by the owner or, in case the owner fails to nominate an assessor within such reasonable time as may be fixed by the Collector in his behalf, by the Collector.

22. Jurisdiction—A magistrate of the third class shall not have jurisdiction to try any person charged with an offence against this Act.

23. Power to make rules—(1) The Central Government may make rules for carrying out any of the purposes of this Act.

(2) The power to make rules given by this section is subject to the condition of the rules being made after previous publication.

24. Protection to public servants acting under Act—No suit for compensation and no criminal proceeding shall lie against any public servant in respect of any act done, or in good faith intended to be done, in the exercise of any power conferred by this Act.

अनुसूची २

(धारा ३ देखिये)

ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिज़र्वेशन ऐक्ट, १९०४ में—

ऐंशेंट मानूमेंट्स प्रिज़र्वेशन ऐक्ट १९०४ में परिष्कार।

(१) धारा १ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) It extends to the whole of Uttar Pradesh."

(२) शब्द "Central Government," जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायं,

(३) धारा २ के खंड (६) के पश्चात् नये खंड (७) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(7) State Government means the Government of Uttar Pradesh".

(४) धारा ८ में शब्द "or at a sale made under the Bengal Patni Taluks Regulation, 1819" निकाल दिये जायं,

(५) धारा १० की उपधारा (१) में शब्द "direct the State Government to" निकाल दिये जायं।

(६) धारा १०—ए की उपधारा (१) में शब्द "may" और शब्द "by" के बीच में शब्द "after consulting the Central Government" जोड़ दिये जायं।

(७) धारा १७ निकाल दी जाय, तथा

(८) धारा २०—सी में शब्द "It may direct the State Government to acquire such area or any part thereof, and the State Government may thereupon" के स्थान पर शब्द "The State Government may" रख दिये जायं।

उद्देश्य तथा कारण

भारत के संविधान में प्राचीन स्मारकों से सम्बद्ध विषय विकेन्द्रित कर दिया गया है तथा इसका निम्नलिखित ढंग पर विभाजन कर दिया गया है :—

सूची १, प्रविष्टि ६७—संसद के विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थान और अवशेष ।

सूची २, प्रविष्टि १२—संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों से भिन्न ऐसे स्मारक और अभिलेख ।

सूची ३, प्रविष्टि ४०—संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से भिन्न ऐसे स्थान और अवशेष ।

२—सूची २ की प्रविष्टि १२ को ध्यान में रखते हुये उन प्राचीन स्थानों, स्मारकों तथा अवशेषों की, जो संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित नहीं हुये हैं, मरम्मत तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व उस राज्य सरकार पर होगा जिसके क्षेत्राधिकार में ये स्मारक आदि स्थित हों । भारत सरकार ने ऐंशेंट ऐंड हिस्टारिकल मानुमेन्टस ऐंड आर्क्योलाजिकल साइटस् ऐंड रिमेन्स (डिक्लेरेशन आफ नेशनल इम्पार्टेन्स) ऐक्ट, १९५१, को अधिनियमित करके पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है । अब राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह उन स्मारकों तथा स्थानों आदि के, जो उसकी देखरेख में आते हों, परिरक्षण, संरक्षण तथा खुदाई (protecting, preserving and excavating) के सम्बन्ध में अधिनियम बनावे ।

३—अतएव वर्तमान विधेयक का उद्देश्य उन प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों के, जो सूची २ की प्रविष्टि १२ के अन्तर्गत आते हों, संरक्षण एवं खुदाई की व्यवस्था करना है ।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

उत्तर प्रदेश शरीर-रचना विधेयक, १९५६

शरीर-रचना-शास्त्र संबंधी परीक्षण तथा चीरफाड (dissection) के निमित्त चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिये अनभियाचित मृत शरीर के संभरण (Supply of unclaimed bodies) की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि शरीर-रचना-शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिये अनभियाचित मृत शरीरों के संभरण की व्यवस्था की जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शरीर-रचना अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त हो जायगी तथा इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस दिनांक को तथा उस क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के तदर्थ निर्दिष्ट करे।

परिभाषाएं।

२—(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(क) "प्राधिकृत पदाधिकारी" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी,

(ख) "चिकित्सा संस्था" से तात्पर्य है कोई अस्पताल या चिकित्सा संस्था अथवा शैक्षिक संस्था (medical or teaching institution) जो शरीर-रचना-शास्त्र संबंधी परीक्षण एवं चीरफाड़ या दोनों के निमित्त, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके इस रूप में, राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित स्थापित, संधारित अथवा अभिज्ञात (established, maintained or recognized)) हो,

(ग) "संबंधी" से तात्पर्य है मृतक के निम्नलिखित सम्बन्धी अर्थात् पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मृतक से:—

(क) पिता/पितामहादि क्रमीय एकरक्तता (lineal consanguinity) की दशा में ६ पीढ़ी तक अथवा सपिन्ड एकरक्तता (collateral consanguinity) की दशा में बारह पीढ़ी तक, अथवा

(ख) इस खंड में निश्चित रूप से (specifically) उल्लिखित किसी सम्बन्धी के साथ अथवा उपर्युक्त पीढ़ियों तक के किसी भी सम्बन्धी के साथ विवाह होने के कारण, संबद्ध हो।

ऐक्ट संख्या २९, १९२५।

स्पष्टीकरण—पद "पिता/पितामहादि क्रमीय तथा सपिण्ड एकरक्तता", का अर्थ वही होगा जो इंडियन सक्सेशन ऐक्ट, १९२५ में पद "lineal and collateral consanguinity" को दिया गया है।

(घ) "नियत" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है, तथा

(ङ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(२) किसी भी मृत व्यक्ति का शरीर अनभियाचित (unclaimed) समझा जायगा यदि उस व्यक्ति का कोई भी संबंधी न हो, अथवा उस अवधि के भीतर, जो तदर्थ नियत की जाय, उस के किसी भी संबंधी द्वारा उसका शरीर अभियाचित न किया जाय।

धारा ४ के अधीन कार्य करने के निमित्त पदाधिकारियों को अधिकृत करने का राज्य सरकार को अधिकार।

३—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो अथवा उसके किसी भाग के निमित्त एक या एकाधिक ऐसे पदाधिकारी प्राधिकृत कर सकती है जिनके पास धारा ४ के अधीन प्रतिवेदन (report) दिया जायगा तथा जो उक्त धारा के अधीन कार्य करने के निमित्त सक्षम होंगे।

४—जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अस्पताल या जेल में हो जाय तथा उसका शरीर अनभियाचित रहे तो यथास्थिति ऐसे अस्पताल या जेल का अवधायक प्राधिकारी (authority in-charge) तत्काल प्राधिकृत पदाधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा जो उसे धारा ५ में उल्लिखित रीति से निस्तारित करेगा।

५—(१) प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी ऐसे व्यक्ति के अनभियाचित शरीर की दशा में जो :—

(क) किसी अस्पताल या कारावास में मरे; अथवा

(ख) किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे, जो उसका स्थायी निवास-स्थान न हो; अथवा

(ग) अपने शरीर को शरीर-रचना सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त लिखित रूप से समर्पित करने के पश्चात् मरे;

उसके अनभियाचित शरीर पर कब्जा कर लेगा तथा उसे शरीर-रचना-शास्त्र संबंधी परीक्षण या चीरफाड़ के लिये अपेक्षा करने वाली चिकित्सा संस्था को सौंप देगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खन्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में प्राधिकृत पदाधिकारी, जबकि यह मालूम हो कि मृतक का कोई सम्बन्धी जीवित है और वह नियत अवधि के भीतर ऐसे कारणों से शरीर की अभियाचना नहीं कर सका है जो उस के वश में न थे, मृतक शरीर को मृतक के धर्म से संबद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय।

(२) किसी ऐसे व्यक्ति का अनभियाचित शरीर, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व यह घोषित कर दिया हो कि उसका शरीर शरीर-रचना सम्बन्धी

परीक्षण अथवा चीरफाड़, अथवा दोनों, के काम में न लाया जाय, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा मृतक के धर्म से सम्बद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप दिया जायगा जो नियत की जाय।

(३) प्राधिकृत प्राधिकारी—

(क) मृतक की मृत्यु के कारण के विषय में कोई सन्देह होने पर तथा अन्य किसी स्थिति में जब उसकी राय में ऐसा करना इष्टकर हो, अनभियाचित शरीर को कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १०४ में तदर्थ निर्दिष्ट रीति से निस्तारित करेगा; ऐक्ट ५, १८९८।

(ख) ऐसी दशा में जब किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी को शरीर-रचना सम्बन्धी परीक्षण या चीरफाड़ या इन दोनों कार्यों के निमित्त अनभियाचित शरीर की अपेक्षा न हो तो, उस शरीर का निस्तारण ऐसी रीति से कर देगा जो नियत की जाय।

सम्बन्धी होने के विषय में शंका या विवाद।

६—जब इस विषय में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति मृतक का सम्बन्धी है या नहीं तो यह मामला किसी ऐसे पदाधिकारी को अभिदिष्ट कर दिया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा, तथा ऐसा निर्णय होने तक, मृत व्यक्ति का शरीर सड़ने से उस रीति से रक्षित रखा जायगा जो नियत की जाय।

दंड

७—यदि कोई व्यक्ति किसी अनभियाचित शरीर को इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय अन्य किसी रीति से निस्तारित करता है या उसके निस्तारण में सहायक होता है (abets) अथवा किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी (authority in-charge) अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रयोजनों के निमित्त ऐसा मृत शरीर सौंपने, उसका कब्जा लेने या उसे हटाने या उसका उपयोग करने में बाधा डालता है तो वह दोष सिद्ध होने पर अर्थदन्ड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

अनभियाचित मृत शरीरों पर कब्जा पाने में सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस तथा अन्य पदाधिकारियों के कर्तव्य।

८—इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में ऐसी सहायता और सहयोग दिया जायगा जैसा कि वह पुलिस, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय निकायों (Local Bodies) के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों से उचित रूप में अपेक्षा करेगा।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

९—इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से की गई अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

पदाधिकारी 'पब्लिक सर्वेन्ट' समझे जायेंगे।

१०—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अथवा प्राधिकृत समस्त पदाधिकारी इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में "पब्लिक सर्वेन्ट" समझे जायेंगे।

नियम बनाने का अधिकार ।

११—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है ।

(२) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है —

(क) वह अवधि, जिसके भीतर कोई सम्बन्धी मृत व्यक्ति का शरीर अभियाचित कर सकेगा;

(ख) वह अवधि, जिसके पाश्चात् मृत व्यक्ति का शरीर अनभियाचित समझा जायगा;

(ग) धारा ५ के अधीन अनभियाचित शरीर के निस्तारण की प्रक्रिया;

(घ) वे शर्तें, जिनके अधीन धारा ५ (२) (८) के प्रयोजनों के निमित्त संस्थाओं को अभिज्ञात किया जायगा;

(ङ) वह रीति, जिससे अनभियाचित शरीर सड़ने से रक्षित रखा जायगा;

(च) धारा ६ के अधीन कार्यवाहियां करने की प्रक्रिया; और

(छ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं ।

उद्देश्य और कारण

राज्य के मेडिकल कालेजों के प्राधिकारी मनुष्यों के मृत शरीरों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं में शरीर-रचना-शास्त्र की शिक्षा नियत प्रतिमान (Standard) के अनुसार नहीं दी जा रही है। इस कठिनाई का समना करने के लिये प्रस्ताव है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे शरीर-रचना-सम्बन्धी परीक्षण तथा चीर-फाड़ प्रयोजनों के लिये राज्य के मेडिकल, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी तथा होमियोपैथिक शिक्षा संस्थाओं को मनुष्यों के अनभियाचित मृत शरीरों को सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके।

तदनुसार यह विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० पी० १७७ एल० ए०—१९५६—७९६ ।